महानगर नई दिल्ली सोमवार 30 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

हेमंत सोरेन का शपथग्रहण समारोह

गैर-भाजपा दलों ने दिखाई ताकत

रांची में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दौरान जुटे गैर-भाजपा दलों के नेता।

रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ समारोह, झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने सोरेन

सोरेन के साथ कांग्रेस के दो और राजद के एक नेता ने भी मंत्री पद की शपथ ली

शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे देश भर के गैर-भाजपा दलों के नेता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सोरेन 2013 के बाद दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। मोरहाबादी मैदान में दोपहर सवा दो बजे हुए शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम व राष्ट्रीय जनता दल के एक मात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए।

2013 के बाद दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन

शपथ ग्रहण समारोह में गैर-भाजपा दलों ने ताकत दिखाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राकांपा नेता सुप्रिया सुले, दक्षिणी राज्यों के कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। समारोह में माकपा नेता सीताराम येचुरी, भाकपा के डी राजा और अतुल अंजान एवं द्रमुक नेता एमके स्टालिन भी शामिल हुए। इनके अलावा बाकी पेज 8 पर

युवाओं को पसंद नहीं अराजकता : मोदी

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में कहा कि नई पीढ़ी को अराजकता पसंद नहीं है और आने वाला दशक निश्चित तौर पर युवाओं और उनके सामर्थ्य के साथ देश के विकास का दशक होगा।

आकाशवाणी पर प्रसारित 2019 के आखिरी 'मन की बात' कार्यक्रम में मोदी ने कहा, 'आने वाला दशक दशक न केवल युवाओं के विकास का होगा, बल्कि, युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा और भारत को आधुनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।' उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि आज के युवा व्यवस्था को पसंद करते हैं, हालांकि कभी-कभी वे बैचैन भी होते हैं।

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, 'आने वाला दशक न केवल युवाओं के विकास का होगा, बल्कि, युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'युवा व्यवस्था का अनुसरण भी करना पसंद करते हैं और कभी कहीं व्यवस्था ठीक ढंग से जवाब न दे, तो वे बैचेन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ व्यवस्था से सवाल भी करते हैं।' उन्होंने कहा, 'मैं इसे अच्छा मानता हूं। हमारे देश के युवाओं को अराजकता से नफरत है। अव्यवस्था, अस्थिरता से भी उनको बड़ी चिढ़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना-पराया, स्त्री-पुरुष, इन भेद-भावों को पसंद नहीं करते हैं।' प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब संशोधित नागरिकता कानून सहित कुछ अन्य मुद्दों पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है और कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों ने हिसक रूप भी ले लिया। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में कहा कि आने वाली 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर प्रत्येक युवा अपने दायित्व का चितन जरूर करे और इस दशक के लिए कोई संकल्प ले।

उन्होंने कहा, 'भारत को इस पीढ़ी से बहुत उम्मीद हैं। इन्हीं युवाओं को देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।' मोदी ने कहा कि तीन दिन के भीतर बाकी पेज 8 पर

अगले चौबीस घंटे कड़ाके की सर्दी से राहत के आसार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड से अगले 24 घंटों में राहत मिलने का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से चल रही पश्चिमी हवाओं की गति कम होने व पूर्वी हवाओं का रुख उत्तरी क्षेत्रों में होने के कारण इन इलाकों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे खतरनाक ठंड की स्थिति सुधर कर काड़ाके की में ठंड तब्दील हो जाएगी।

जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में 31 दिसंबर को तेज बारिश और निचले इलाकों में कल हल्की बारिश का पूर्वानुमान

मौसम विभाग की उत्तर क्षेत्रीय पूर्वानुमान इकाई के मुखिया डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हवा के रुख में बदलाव के कारण उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिन के समय अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार को दिन में लगभग चार से पांच घंटे धूप रहने के कारण गंभीर ठंड की स्थिति से लोगों को राहत मिली है।

डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि इन इलाकों में शुक्रवार से जारी शीत लहर (कोल्ड वेव) के बीच रविवार को दिन के औसत तापमान में बढ़ोत्तरी को देखते हुए आगामी सोमवार और मंगलवार को 'सिवियर कोल्ड डे' के बजाय अब 'कोल्ड डे' की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पंजाब में अभी भी सिवियर कोल्ड डे की ही स्थिति बाकी पेज 8 पर

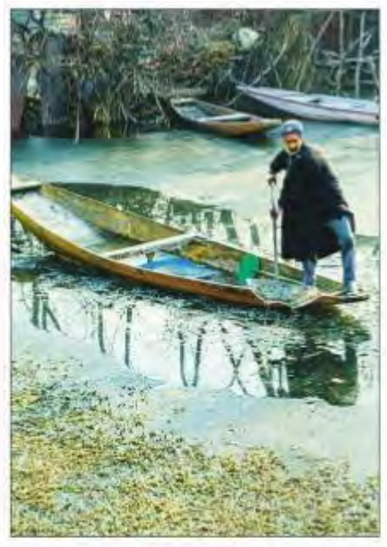

आज और कल 'सिवियर कोल्ड डे' के बजाय अब 'कोल्ड डे' की स्थिति रहने का अनुमान है।

मुजफ्फरनगर हिंसा

तीन जेएनयू छात्रों के पोस्टर जारी किए पुलिस ने

मुजफ्फरनगर, 29 दिसंबर (जनसत्ता)।

पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसा व प्रदर्शन में शामिल दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के तीन छात्रों की पहचान की है। पुलिस ने इन तीनों के पोस्टर जारी किए हैं और इनकी तलाश कर रही है। इनमें से दो की शिनाख्त मसूद और मारूफ निवासी मिमलाना रोड के रूप में की गई है जबकि एक अज्ञात की पहचान करने की कोशिश जारी है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ सड़कों पर अशांति फैलाने व अल्पसंख्यकों को इकट्ठा कर उन्हें हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

पुलिस के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड पर इन्ही तीनों ने भीड़ की अगुआई की थी

प्रदर्शन के दौरान इन तीनों ने 'ले के रहेंगे आजादी' जैसे नारे लगाए थे जिसके पुख्ता प्रमाण भी पुलिस ने जुटा लिए

पुलिस के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड पर इन्ही तीनों ने भीड़ की अगुआई की थी। प्रदर्शन के दौरान इन तीनों ने 'ले के रहेंगे आजादी' जैसे नारे लगाए थे जिसके पुख्ता प्रमाण भी पुलिस ने जुटा लिए हैं। पुलिस की मानें बाकी पेज 8 पर

देवबंद में दो समुदायों के बीच पथराव और फायरिंग

सुरेंद्र सिंघल
देवबंद (सहारनपुर), 29 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश के देवबंद नगर में रविवार रात दो समुदाय आमने-सामने हो गए और उनके बीच पथराव और फायरिंग हुई। सूचना मिलने पर एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु अर्धसैनिक बलों की कंपनियों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटने के निर्देश दिए। रात करीब नौ बजे डीएम आलोक पांडे ने 'जनसत्ता' को बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और वे हालात पर नजर रखे हुए हैं।

शाम को एक समुदाय विशेष के नकाबपोश हमलावरों ने वाल्मीकि समाज के दो किशोरों को चाकू मारकर लहूलुहान किया, फिर रात को बस्ती पर पथराव

पुलिस के मौके पर पहुंचते ही फरार हुए उपद्रवी, शहर में गश्त जारी, डीएम ने हालात काबू में होने का दावा किया

देवबंद की मंगलौर पुलिस चौकी के तहत एचएवी इंटर कालेज के पास सात बजे वाल्मीकि बस्ती पर एक समुदाय विशेष की भीड़ ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में बस्ती से भी डेढ़-दो सौ लोगों की भीड़ सड़क पर आ गई। भाजपा नेता एवं पूर्व सभासद राकेश गांगुली ने घटना की सूचना कोतवाली प्रभारी यज्ञदत्त शर्मा को दी जो पुलिस बल के साथ बाकी पेज 8 पर

डीडीसीए की बैठक में हाथापाई व मारपीट

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की रविवार को हुई बैठक के दौरान हाथापाई व मारपीट हुई। इस दौरान सत्तारूढ़ गुट के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा को विरोधी गुट के मकसूद आलम ने तमाचा जड़ दिया। डीडीसीए के लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बदर दुरेज अहमद बाकी पेज 8 पर

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा को डीडीसीए का नया लोकपाल चुना

"कुछ लोगों के पास एजंडे को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि बैठक सुचारु रूप से चले। इसी कारण यह हंगामा किया गया।
-विनोद तिहाड़ा, महासचिव।

"डीडीसीए के इतिहास का यह काला दिन है। कुछ सदस्यों ने बैठक को भंग करने की कोशिश की। वे संख्या बल नहीं होने के बाद भी एजंडे को पास कराने की कोशिश कर रहे थे। **-राजन मनचंदा**, संयुक्त सचिव।

45 लाख पूर्व सैनिकों की व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा मामला

डाटा वापस नहीं करने वाली कंपनी पर प्राथमिकी

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड के लिए अनुबंध पूरा करने के बाद 45 लाख पूर्व सैनिकों की व्यक्तिगत जानकारी रखने वाले डाटाबेस को कथित रूप से वापस नहीं करने पर रक्षा मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक निजी कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसका खुलासा आरटीआइ आवेदनों और इसके बाद आरटीआइ कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा (अवकाशप्राप्त) द्वारा दायर 'फॉलोअप' के जरिए हुआ।

उन्हें हाल ही में रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने ईमेल के माध्यम से इस बारे में सूचित किया। सूचना में कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) में नामांकित 45 लाख पूर्व सैनिकों के व्यक्तिगत डेटा को कथित तौर पर नहीं सौंपने वाली निजी कंपनी के खिलाफ 19 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की है। बत्रा ने आरटीआइ आवेदन के जरिए मुद्दे से संबंधित 'फाइल नोटिंग्स' मांगी थीं। आरटीआइ आवेदन के जवाब में प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि फर्म की ओर से गोपनीयता प्रमाणपत्र के रूप में किसी भी लिखित पुष्टि के अभाव में ईसीएचएस लाभार्थियों के डेटाबेस की सुरक्षा की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

19 दिसंबर को कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की दिल्ली पुलिस ने

ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड के लिए किया गया था अनुबंध

मंत्रालय ने कहा कि ईसीएचएस के स्मार्ट कार्ड के लिए स्कोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एसआइटीएल) को 2010 में पांच साल का अनुबंध दिया गया था, लेकिन 2015 में अनुबंध की समाप्ति के बाद कंपनी ने डेटाबेस, स्रोत कोड, और कंप्यूटर अनुप्रयोग वापस नहीं किए। इसने दावा किया कि न तो एसआइटीएल ने व्यक्तिगत डेटा वापस किया और न ही इसकी पुष्टि की कि यह उनके पास नहीं है। मंत्रालय ने यह बाकी पेज 8 पर

सदी के महानायक

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में अमिताभ बच्चन को फिल्म जगत में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। -खबर पेज 7 पर

दरअसल

चिदंबरम, वाड्रा, अकबर और सेंगर रहे चर्चा में

यादें : 2019

पुलिस व वकीलों के बीच टकराव भी बना खबर

दिल्ली की अदालतों के चक्कर काटे कई बड़ी हस्तियों ने

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली की अदालतों के लिए साल 2019 गहमागहमी भरा रहा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम तथा डीके शिवकुमार से लेकर उन्नाव बलात्कार प्रकरण के चलते भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिह सेंगर के मामलों की सुनवाई हुई। यह साल वकीलों और पुलिस के बीच टकराव को लेकर भी खबरों में रहा।

इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, ब्रजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी और फोर्टिस हेल्थकयर के पूर्व प्रमोटर मलविंदर एवं शिविंदर सिंह के नाम भी शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में 105 दिन तक हिरासत में रहने के बाद चार दिसंबर को जमानत मिली और वह जेल से बाहर आए। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआइ ने 74 वर्षीय चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। तब से वे हिरासत में थे। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 16 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। कर्नाटक में सात बार विधायक रहे 57 वर्षीय शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत कथित अपराधों के आरोप में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अक्तूबर को जमानत दी।

आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम को 105 दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत मिली

धनशोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत देते हुए पूर्व अनुमति लिए बिना देश नहीं छोड़ने का आदेश

नाबालिग से बलात्कार के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई

एमजे अकबर के खिलाफ मीटू आंदोलन के तहत एक महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए

कन्हैया कुमार व अन्य पर 2016 में भारत विरोधी नारे लगाने पर आरोपपत्र का मामला सुर्खियों में रहा

दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें अन्य शर्तों के साथ पूर्व अनुमति लिए बिना देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया। वर्ष 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ उन्नाव में बलात्कार करने के मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि उन्हें ताउम्र बाकी पेज 8 पर

प्रपत्र क

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड [कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

एसपी सेफ कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एसपी सेफ कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	28.07.2009
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74900DL2009PTC192639
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	डी–158, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट–II, सम्पूर्णी पब्लिक स्कूल के पास, बदरपुर, नई दिल्ली – 110044
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	21.11.2019
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	19.04.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**सुमन सैनी** IBBI/IPA-002/IP-N00747/2018-19/12324
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	903, बेलूर सीजीएचएस, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 18ए, द्वारका, नई दिल्ली – 110078 **ईमेल**: suman62saini@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	903, बेलूर सीजीएचएस, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 18ए, द्वारका, नई दिल्ली – 110078 **ईमेल**: suman62saini@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	10.01.2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (ढ़क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	कुछ नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का पंजीकरण फार्म उपलब्ध है	www.ibbi.gov.in/download/forms.html और 903, बेलूर सीजीएचएस, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 18ए, द्वारका, नई दिल्ली – 110078

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **21 नवंबर 2019** को **एसपी सेफ कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

एसपी सेफ कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **10 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर साइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–

दिनांक : 29 दिसम्बर 2019

स्थान : नई दिल्ली

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम व हस्ताक्षर : **सुमन सैनी**

पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00747/2018-19/12324

प्रपत्र – 'जी'

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स वेब टेक पैकेजिंगस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	05.02.1998
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U25202DL1998PTC092055
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	डाकघर नंबर –113, तीसरी मंजिल, मौलाना हिजरत नई दिल्ली – 110065
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	26.07.2019 (आदेश के अनुसार दिनांक 25.07.2019 को NCLT, नई दिल्ली में कंपनी याचिका संख्या IB– 984 (PL) / 2019 को IRP द्वारा 02.09.2019 को प्राप्त
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	30.12.2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	जैसा कि रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन प्लान (RFRP) में दिया गया है, इसे RA की नोट द्वारा मंगाया जाएगा
9.	धारा 29क के अधीन लागू अयोग्यता के मानदंड	जैसा कि रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन प्लान (RFRP) में दिया गया है, इसे RA की नोट द्वारा मंगाया जाएगा
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	14.01.2020
11.	समावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची जारी करने की तिथि	24.01.2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	29.01.2020
13.	समावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	08.02.2020
14.	समावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	29.01.2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की तिथि	समावित समाधान आवेदक को रेजोल्यूशन एप्लान प्रस्तुत करने पर RFRP, EM व MI की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाएंगी और साथ ही गैर वापसी रु. 25,000 (रुपए पच्चीस हजार) की सदस्यता
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26.02.2020 (शाम 6 बजे से पहले)
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना जमा की तिथि	सफल योजना के समाधान प्रोफेशनल को सीआरए दिशानिर्देश में नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत करें
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	29.03.2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**श्रीमती आशु गुप्ता** IBBI/IPA-002/IP-N00339/2017-18/10943
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**श्रीमती आशु गुप्ता** अंतरिम समाधान प्रोफेशनल 204 ए, दूसरी मंजिल, 23, एसोसिएट बिल्डिंग नारायणा रोड इंडस्ट्रियल एरिया, झंडेवाली मार्ग, बीएलएफ टॉवर के सामने, नई दिल्ली – 110015 **ईमेल**: ashugupta.cs@gmail.com
21.	पता और ई–मेल जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है	क्रम संख्या 20 के समान
22.	अभिरुचि विलयन पर अधृत के पास उपलब्ध है	**श्रीमती आशु गुप्ता** अंतरिम समाधान प्रोफेशनल 204 ए, दूसरी मंजिल, 23, एसोसिएट बिल्डिंग नारायणा रोड इंडस्ट्रियल एरिया, झंडेवाली मार्ग, बीएलएफ टॉवर के सामने, नई दिल्ली – 110015 **ईमेल**: cirpwebtech@gmail.com
23.	प्रपत्र 'जी' को प्रकाशन की तिथि	30.12.2019

हस्ता/–

श्रीमती आशु गुप्ता

समाधान प्रोफेशनल

204 ए, दूसरी मंजिल, 23, एसोसिएट बिल्डिंग नारायणा रोड इंडस्ट्रियल एरिया, झंडेवाली मार्ग, बीएलएफ टॉवर के सामने, नई दिल्ली – 110015

तिथि : 28.12.2019

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00339/2017-18/10943

ईमेल: ashugupta.cs@gmail.com

एडवांस होम एंड पर्सनल केअर लिमिटेड

फार्म जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

(दिवाला एवं दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए (1) के अंतर्गत)

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एडवांस होम एंड पर्सनल केअर लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	2 जुलाई, 1985
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	U24243DL1985PLC021386
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	511/2/1, ग्राम रजोकड़ी, नई दिल्ली–110038
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	5.9.2019, आईआरपी को 9.10.2019 को सूचना दी गई
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	30.12.2019 (30 सितम्बर, 2019)
8.	संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	www.advancehomeandpersonalcare.in एवं अथवा irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in पर ईमेल भेजकर आरपी से प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29 ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in पर ईमेल भेजकर आरपी से प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	14.1.2020 (14 जनवरी, 2020)
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	24.1.2020 (24 जनवरी, 2020)
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	29.1.2020 (29 जनवरी, 2020)
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	8.2.2020 (8 फरवरी, 2020)
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	29.1.2020 (294 जनवरी, 2020)
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 (बी) 1 के अंतर्गत उसे प्राप्त करने के लिये योग्य सभी संभावित प्रस्ताव आवेदकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में शेयर की जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	28.2.2020 (28 फरवरी, 2020)
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	अधोलिखित पते पर मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा हाथों–हाथ: ध्यानार्थ: रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल, एडवांस होम एंड पर्सनल केअर लिमिटेड ए–166, 2रा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024 कृपया irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in पर ई मेल से उसकी पुष्टि करें।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	29.3.2020 (29 मार्च, 2020)
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	विवेक पार्ती, रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल, IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376
20.	बोर्ड में यथा–पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई–मेल	विवेक पार्ती, ए–166, 2रा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 V_parti@yahoo.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	ए–166, 2रा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	अधिक विवरण www.advancehomeandpersonalcare.in पर उपलब्ध हैं अथवा irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in पर ई–मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	30.12.2019 (30 दिसम्बर, 2019)

हस्ता./–

विवेक पार्ती

तिथि: 30 दिसम्बर, 2019

स्थान: नई दिल्ली

आरपी– एडवांस होम एंड पर्सनल केअर लिमिटेड

आरपी पंजीकरण सं.: **IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376**

ए–166, 2रा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110091

बिहार चुनाव से छह महीने पहले सीट बंटवारे के पक्ष में कांग्रेस

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड में अपने गठबंधन की जीत से उत्साहित कांग्रेस अब बिहार में पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और इसी के मद्देनजर उसने राजद नेतृत्व से कहा है कि वह विधानसभा चुनाव से करीब छह महीने पहले सीट बंटवारे के बारे में फैसला करने के पक्ष में है।

पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आखिरी समय तक चली खींचतान जैसी किसी भी स्थिति से विधानसभा चुनाव में बचना चाहती है।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'हमने राजद को अवगत कराया है कि सीट बंटवारे पर अगर पांच–छह महीने पहले ही फैसला हो जाएगा तो गठबंधन के लिए स्थिति ज्यादा मजबूत रहेगी क्योंकि पार्टियों को अपनी तैयारी और रणनीति के लिए पूरा समय मिलेगा।' उन्होंने कहा, 'हमारी कोशिश है कि गठबंधन से जुड़ी पार्टियों के नेता अगले साल अप्रैल या मई में बैठ कर सीट बंटवारे पर निर्णय कर लें।'

लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आखिरी समय तक चली खींचतान जैसी किसी भी स्थिति से विधानसभा चुनाव में बचना चाहती है कांग्रेस।

बिहार में अगले साल अक्तूबर–नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, चुनाव से कुछ महीने पहले सीट बंटवारे की स्थिति साफ होने के बाद पार्टी को सही उम्मीदवार तय करने का पर्याप्त समय मिलेगा और दूसरे सभी राजनीतिक समीकरण साधने में भी मदद मिलेगी।

पार्टी के एक नेता ने कहा, 'लोकसभा चुनाव में आखिर तक सीटों के तालमेल की स्थिति को लेकर असमंजस बना रहा और हमारे गठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में समय पर सब कुछ तय होने का हमें फायदा मिला। हमें बिहार में भी यही करना होगा।' लोकसभा चुनाव में राजद, कांग्रेस, हम, वीआइपी और रालोसपा साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन राज्य की 40 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ किशनगंज में जीत मिली। शेष 39 सीटों पर भाजपा–जदयू–लोजपा गठबंधन ने जीत हासिल की।

राज्य में राजद और कांग्रेस के लिए जीतनराम मांझी की पार्टी हम का अलग राह पकड़े हुए नजर आना और राजद के शीर्ष नेता लालू प्रसाद का जेल में होना भी चुनौती है।

In the City Civil Court of Calcutta
Before the Learned VI th Judge
Money Suit No. 229 of 2015

M/s Kalpena Industries Ltd., 2B Pretoria street, P.S. Shakespeare Sarani, Kolkata-700071.

...Plaintiff

-Versus-

Mr Arun Kochar, Proprietor of M/s Master Packaging, carrying on business at Plot No. 64, SSI Industrial Area, Near Jehangirpuri, Delhi-110033

...Defendant

Whereas the above named plaintiff has filed the instant Money Suit against the defendant, Arun Kochar, Proprietor of M/s Master Packaging, carrying on business at Plot No. 64, SSI Industrial Area, Near Jehangirpuri, Delhi-110033 for recovery of price of goods sold and delivered for a sum of Rs.3,00,959.80. The defendant is hereby directed to appear before the Ld. Court in person or through his Advocate/authorized agent on the next date of hearing i.e. 16th day of January, 2020, in default the suit shall be heard ex-parte and decided in accordance with law.

Issued under the Order and seal of the Ld. Court on 22nd day of November, 2019

By order

Sd/-

Biswanath Halder

Superintendent

City Civil Court at Calcutta

एलोस फैशन प्राइवेटट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : म.नं. 1326–ए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–29 फरीदाबाद, हरियाणा–121008, भारत

सीआईएन नं. U45100HR1998PTC034095,

ई–मेल : aloscontractors@gmail.com

मोबाइल : + 91–8076675263

प्रपत्र आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कम्पनी के पंजीकृत पते को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए सूचना

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक–उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी निगमन नियम, 2014 के नियम 30(6)(अ) के मामले में तथा

मैसर्स एलोस फैशन प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय म.नं. 1326–ए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–29, फरीदाबाद, हरियाणा, 121008, भारत है, के मामले मे..... याचिकाकर्ता

सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''हरियाणा राज्य'' से ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' अर्थात दिल्ली में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, रा.रा.क्षे. दिल्ली तथा हरियाणा के भीतर परिवर्तित करने के लिए 26 दिसम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली के उपबन्ध–II में परिवर्तन के सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के पंजीकृत पते के परिवर्तन से प्रभावित होना सम्भावित है वह या तो एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या इसे भेजे जाने का कारण दर्ज करा सकता है या विरोध की पृष्ठभूमि तथा अपने हित की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा अपनी आपत्तियों को समर्थित करके पंजीकृत डाक द्वारा इस प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 पर तथा इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी के उपर्युक्त पंजीकृत पते पर भेज सकता है।

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से

एलोस फैशन प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./–

श्री नितेश कुमार मिश्रा

(निदेशक)

तिथि : 27.12.2019

स्थान : फरीदाबाद

डीआईएन : 07667049

आईएनसी–26

(कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)

केंद्रीय सरकार के समक्ष

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

नई दिल्ली

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 उप–धारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

तथा

लैंसर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U31300DL1999PTC210803) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1210, दूसरा फ्लोर, डॉ मुखर्जी नगर दिल्ली–110009 में है के मामले में

.....आवेदक

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के रा.रा.क्षे"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानान्तरित करने को सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत शुक्रवार 27 दिसम्बर, 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था ज्ञप्ति नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि कोई व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए।

1210, दूसरा फ्लोर, डॉ मुखर्जी नगर दिल्ली – 110009

कृते और आवेदक की ओर से

लैंसर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/–

स्थान: दिल्ली

संजय बरथ

तिथि: 28.12.2019

प्रबंध निदेशक

DIN: 00714992

पता: पी–68, साउथ सिटी, पार्ट–1, गुड़गांव, हरियाणा–122001

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Siddhrth Kumar S/o Rakesh Kumar R/o 5605, New Chandrawal, Jawahar Nagar, Delhi-110007, have changed my name to Siddharth Kumar for all purposes. 0040525733-1

I, Rahul Kumar S/o Shyam Babu R/o L-1st, A201, Sangam Vihar Near Aastha Public School, New Delhi-110080 have changed name to Rahul for all purposes. 0040525746-1

I, Indu Bala W/o Satish Chander Sharma persently residing E-1001 prateek Wisteria Sector-77, Noida-201301, UP have changed my name to Indu Bala Sharma for all purposes. 0040525746-2

I, Geeta Rani W/o Pramod Kumar Mathur R/o 4/62 B, Ground floor, Kh no.-1381, Veena Enclave, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name to GEETA MATHUR permanently. 0040525646-1

खोया+पाया

Notice is hereby given that I have lost original possession letter of my flat no.502, Tower no.4,Malibu Condiminium, Malibu Towne, Gurugram. Mrs Sharda Sharma W/o Late Mr.S.D. Sharma R/o Flat No. 502, Tower 4,Malibu Condominiums, Malibu Towne,Gurugram 0040525759-1

सार्वजनिक सूचना

यह आम जनता के ध्यान में लाना है कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी **मोहम्मद रिजवान अंसारी** का एक आईडी कार्ड। **20-11-2019** को आईडी कार्ड नंबर **02581** गायब पाया गया और / या खो गया। किसी को भी, जो उक्त आईडी कार्ड पाता है, से अनुरोध किया जाता है कि वह उक्त आईडी कार्ड को मैनेजर डेट सर्विसेज एंड मैनेजमेंट ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एसडी टावर सेक -08 रोहिणी नई दिल्ली 110085 में लौटा दें।इसलिए, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के सभी ग्राहकों को इस प्रकार अधिसूचित किया गया है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कोई भी भुगतान न करने वाले आईडी कार्ड नंबर **02581** कृपया आगे ध्यान दें कि उक्त आईडी कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने वाला व्यक्ति अपनी लागत, जोखिम और जोखिम पर ऐसा करेगा और आईसीआईसीआई बैंक किसी भी भुगतान के लिए बाध्य और / या जिम्मेदार नहीं होगा।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

तारीख.

जगह: नई दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

रवीना टंडन, फराह खान और भारती के खिलाफ मामला दर्ज

फिरोजपुर, 29 दिसंबर (भाषा)।

टीवी शो में एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं कथित तौर पर आहत करने के लिए एक हफ्ते के भीतर पंजाब में अदाकारा रवीना टंडन, निर्देशक–कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

फिरोजपुर के एसएसपी विवेक शील सोनी ने बताया कि कंबोज नगर के एक व्यक्ति की शिकायत पर आइपीसी की धारा 295 ए (जानबूझकर या दुर्भावनापूर्वक किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं का अनादर करना) के तहत इन हस्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। अमृतसर पुलिस ने बुधवार को इन्ही आरोपों पर टंडन, खान और सिह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी विक्रम जीत दुग्गल ने बताया था, 'हमने तीनों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया और छानबीन की जा रही है।' ईसाई संगठनों ने तीनों कलाकारों के खिलाफ पंजाब में कई जगहों पर प्रदर्शन किए। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रसारित कार्यक्रम के मामले में महाराष्ट्र के बीड शहर में भी मामला दर्ज किया गया ।

शुक्रवार को खान ने माफी मांग ली थी। उन्होंने ट्वीट किया था, 'मैं हर धर्म की इज्जत करती हूं और मेरा कभी भी किसी को दुख पहुंचाने का कोई मकसद नहीं रहा है। मेरी पूरी टीम यानी रवीना टंडन, भारती सिंह और मैं खुद इस बात को लेकर दुखी हैं और माफी मांगते हैं।'

टंडन ने भी ट्वीट किया था, 'मैंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा है जिसे किसी धर्म के अपमान के तौर पर देखा जाए। हम तीनों (फराह खान, भारती सिंह और मैं) किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंची है तो हम उनसे दिल से मांफी मांगते हैं।'

जवानों के परिवारों की देखभाल के लिए सरकार प्रतिबद्ध : शाह

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की रक्षा करने वाले केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के परिवारों की देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शाह ने यहां सीआरपीएफ के नए मुख्यालय भवन के शिलान्यास के दौरान सीआरपीएफ कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि अर्धसैनिक बल के प्रत्येक जवान कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ बिताएं। उन्होंने यह भी कहा कि अर्धसैनिक बल के जवानों के परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी।

सीआरपीएफ में तीन लाख से अधिक जवान हैं और यह बल नक्सल विरोधी अभियानों का मुख्य आधार रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया मुख्यालय लोधी रोड पर 277 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2.23 एकड़ भूमि में बनेगा, जो सीबीआइ के मुख्यालय से लगा है। सीपीडब्लूडी को 2022 तक नए भवन के निर्माण का काम सौंपा गया है।

सीआरपीएफ का वर्तमान मुख्यालय लोधी रोड पर केंद्र सरकारी कार्यालय (सीजीओ) परिसर में ब्लॉक नंबर 1 में स्थित है, लेकिन मुख्यालय की इमारत में जगह की कमी है। इसके चलते कारण बल के कई कार्यालय, जैसे आरएएफ, कोबरा, चिकित्सा, प्रशिक्षण, संचार और कार्य एवं भर्ती संबंधी कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों में स्थित हैं। नया मुख्यालय 12 मंजिला होगा, जिनमें सभागार, सम्मेलन कक्ष, अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए बैरक, कैंटीन, व्यायामशाला, अतिथि गृह, रसोईघर और भोजन कक्ष और 520 कारों और 15 बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। कार्यालय ब्लॉक को कैफेटेरिया से जोड़ने के लिए इमारत की छठी और सतवीं मंजिल पर स्काईवॉक बनाए जाएंगे। भवन में एक जल और मलजल शोधन संयंत्र, वर्षा जल संचयन प्रणाली और एक स्वदेशी वातायन प्रणाली बनाने का भी प्रस्ताव है।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि अर्धसैनिक बल के प्रत्येक जवान कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ बिताएं।

शिमला में बनेगा केवीएस का क्षेत्रीय कार्यालय

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के कर्मचारियों को राहत मिलने जा रही है। केवीएस के पांच नए क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) खुलने जा रहे हैं जिनमें शिमला भी शामिल है। अभी हिमाचल प्रदेश राज्य के केंद्रीय विद्यालय गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े हुए थे। इस वजह वहां कार्यरत कार्मचारियों को अपने कार्यों के लिए गुरुग्राम आना होता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय से 58 केंद्रीय विद्यालय जुड़े हुए हैं। इन कर्मचारियों की काफी समय से

मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम–13.5 डि.से.		सूर्योदय– 7:13
न्यूनतम– 3.2 डि.से.		सूर्यास्त– 17:34

दिल्ली चुनाव के लिए आयोग तैयार

जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा

जनसत्ता ब्यूरो
नयी दिल्ली, 29 दिसंबर।

इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में अब तक ढाई लाख से अधिक नए मतदाता जुड़ गए हैं। अगले साल प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष पेश समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 18 दिसंबर तक दिल्ली में मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 45 लाख 72 हजार 385 हो गई है। जबकि लोकसभा चुनाव से पहले 18 जनवरी को जारी दिल्ली की मतदाता सूची में एक करोड़ 43 लाख 16 हजार 453 मतदाता थे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह जनवरी को होगा। समझा जा रहा है कि इसके बाद ही चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किसी भी दिन कर सकता है।

अद्यतन मतदाता सूची के अनुसार दिल्ली में पुरुष मतदाताओं की संख्या 79.98 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 65.73 लाख है। इनमें तृतीय लिंग श्रेणी में शामिल मतदाताओं की संख्या 707 व सर्विस वोटर 11567 हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को समाप्त होगा और इससे पहले नवनिर्वाचित विधानसभा का गठन किया जाना, संवैधानिक अनिवार्यता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूचियों को संशोधित करने का काम पूरा हो गया है।

159 मतदान स्थल बढ़ाए गए

डॉ सिंह द्वारा पेश समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम अंतिम चरण में है और 31 अक्तूबर तक 91.16 फीसद मतदाताओं का सत्यापन भी हो चुका है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं के अलावा सभी 70 विधानसभा केंद्रों में एक-एक मॉडल मतदान केंद्र भी बनाने की जानकारी दी है। दिल्ली में इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 159 मतदान स्थल बढ़ाए गए हैं। कुल 2689 मतदान स्थलों पर 13750 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान स्थलों की संख्या 2530 और लोकसभा चुनाव में 2700 थी।

वेबकास्टिंग से मतदान का सीधा प्रसारण

सभी 70 मॉडल विधानसभा क्षेत्रों का प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाकर्मियों की होगी, जबकि सभी 11 जिलों में एक – एक मतदान केंद्र ऐसा भी होगा जिनका प्रबंधन दिव्यांग निर्वाचन कर्मियों के हाथों में होगा। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए वेब कास्टिंग के माध्यम से मतदान का सीधा प्रसारण भी करने की व्यवस्था की है। 70 सदस्यीय विधानसभा में 12 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा नरेला (143 वर्ग किमी) और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र बल्लीमारन (2.5 वर्ग किमी) है। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र मटियाला (4.12 लाख) और मटिया महल सबसे कम मतदाताओं (1.22 लाख) है।

नए साल के जश्न पर नए परिवहन कानून से सख्ती

शराब पीकर वाहन चलाया तो हो सकती है जेल

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली में हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं होगी। गाड़ियों पर करतब दिखाने वाले, तेज गति से गाड़ी चलाने और खतरनाक चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है।

पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में राजधानी में दस हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस बार नए परिवहन कानून के अंतर्गत सख्ती की जाएगी तो शराब पीकर वाहन चलाने वाले जेल भी जा सकते हैं। पूरी दिल्ली और आसपास से नए साल का जश्न मनाने के लिए कनॉट प्लेस में आने वालों के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। यहां मंगलवार रात आठ बजे के बाद गाड़ियों के प्रवेश पर पाबंदी होगी। कनॉट प्लेस के आंतरिक, मध्य और बाहरी सर्किल में यातायात गाड़ियां पूरी तरह से बंद रहेगी।

नागरिकता संशोधन कानून पर राजधानी के कई इलाके में धरना-प्रदर्शन को देखते हुए इस बार स्थानीय पुलिस, पीसीआर और ट्रैफिक (इंटीग्रेटेड) को एक साथ जांच में लगाया गया है। अर्द्धसैनिक बलों को भी तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त एनएस बुंदेला ने बताया कि दिल्ली पुलिस सहित आसपास के जिलाधिकारी को इस प्रकार के तत्वों पर नियंत्रण रखने कहा गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल वीवीआइपी मूवमेंट के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे एयरपोर्ट के अंदर और आसपास सुरक्षा में लगाया गया है।

नए साल की पूर्व संध्या से बुधवार सुबह तक कनॉट प्लेस में भीड़ होती है लिहाजा मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग क्रासिंग, चेम्सफोर्ड रोड मुंजे चौक के पास, आर के आश्रम-चित्रगुप्त मार्ग क्रासिंग, गोल मार्केट, जीपीओ नई दिल्ली, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड, फिरोजशाह रोड क्रासिंग, जयसिंह रोड-बंगला साहिब लेन और विंडसर प्लेस से गाड़ियों पर पाबंदी होगी।

पहले आने पर पाएंगे पार्किंग

कनॉट प्लेस में कुछ सीमित पार्किंग पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा। अवैध खड़ी गाड़ियां उठा ली जाएंगी। यहां गोल डाकखाना, काली बाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग, भाई वीर सिंह मार्ग, पटेल चौक रकाब गंज के पीछे, मंडी हाउस-कॉपरनिक्स मार्ग- बड़ौदा हाउस, मिंटो रोड आरके आश्रम मार्ग, चित्रगुप्त रोड, बसंत रोड पहाड़गंज, कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास फिरोजशाह रोड सी हेक्सागन, राजेंद्र प्रसाद रोड और रायसीना रोड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और उत्तर से दक्षिणी जाने वालों को लिए वैकल्पिक मार्ग तय हैं।

बुजुर्ग, विधवा को पांच हजार रुपए मिलेगी पेंशन : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में हैं। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो दिल्ली में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी कर ली गई है। पार्टी अपने घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को शामिल करेगी।

चोपड़ा रविवार को मॉडल टाउन व राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरण अभियान के तहत आयोजित हल्ला बोल रैलियों को संबोधित कर रहे थे। चोपड़ा ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन राशि का दुरुपयोग किया है, उन्होंने आंकड़ों के हवाले से कहा कि दिल्ली सरकार अपने लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर सकी है। उइस मद में बजट को सरकार खर्च नहीं कर पाई और 1,45,416 लोगों को लाभ बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी नहीं दिया गया।

डीयू : प्रदर्शन से 24 घंटे पहले लेनी होगी इजाजत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन ने कला संकाय के द्वार और इसके आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरने आदि को आयोजित करने के लिए 24 घंटे पहले इजाजत लेने का निर्देश जारी किया है। विभिन्न छात्र संगठनों ने इस निर्देश की निंदा की है।

डीयू प्रॉक्टर (कार्यकारी) प्रोफेसर नीता सहगल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि डीयू के उत्तरी परिसर में मौजूद कला संकाय के द्वार या आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन या धरने के लिए 24 घंटे पहले इजाजत लेनी होगी।

छात्र संगठनों ने निर्देश की निंदा की

प्रॉक्टर दफ्तर को कार्यक्रम आयोजन करने वाले का नाम, कॉलेज/संस्थान/विभाग, संपर्क सूत्र, ईमेल आइडी, पाठ्यक्रम का नाम (यदि आयोजक छात्र हैं) और कार्यक्रम विवरण देना होगा। कार्यक्रम विवरण में कार्यक्रम की प्रकृति (धरना, सार्वजनिक बैठक, प्रदर्शन, आम सभा, रैली आदि), कार्यक्रम की अवधि, वक्ताओं के नाम, आने वालों की संख्या आदि शामिल हैं।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि डीयू में लोकतांत्रिक आवाज के लिए कोई जगह नहीं है। आइसा के एक छात्र नेता के मुताबिक पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने कला संकाय पर चेहरा पहचाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब इस निर्देश से तय हो गया है कि देश में निगरानी की हद बढ़ गई है। संगठन ने कहा कि प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसके लिए किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं। क्रांतिकारी युवा संगठन ने भी निंदा करते हुए इसे मनमाना नोटिस करार दिया है जो विद्यार्थियों और छात्र संगठनों की जनतांत्रिक आवाज को दबाने का काम करेगा। केवाइएस ने आरोप लगाया गया कि डीयू प्रशासन खुले तौर पर केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। प्रशासन विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की आवाजों को कुचलने की कोशिश कर रहा है।

जमनालाल बजाज फाउण्डेशन

नामांकन आमंत्रित

43 वें जमनालाल बजाज राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार – 2020
गाँधीवादी 'योद्धाओं' के लिए

रचनात्मक कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भर समुदाय के निर्माण हेतु महात्मा गाँधी के एक या सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा विकास में योगदान के लिए.

असाधारण व्यक्तित्व – जमनालाल बजाज कुछ ऐसे दिग्गजों में से एक थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नाम न्योछावर कर दिया था. 'कथनी करनी एक-सी' को चरितार्थ करने में और गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को लागू करने में जमनालालजी बहुत आगे निकल गए, चाहे वो खादी हो, दलित-कल्याण, महिला मुक्ति, व्यवसाय में नीति हो या गोसेवा के ज़रिए पशु-धन का संरक्षण हो. यहाँ तक कि महात्मा गाँधी ने उनको अपने 'पाँचवे पुत्र' के रूप में अपनाया था.

पुरस्कार – जमनालालजी की परोपकार की परिकल्पना तथा ग्रामीण विकास की गाँधीवादी विचारधारा का प्रचार करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जमनालाल बजाज फाउण्डेशन संस्था ने चार पुरस्कार स्थापित किए हैं, जो संबन्धित क्षेत्रों में बेहद प्रतिष्ठित माने जाते हैं.

प्रत्येक पुरस्कार में शामिल है
नकद राशि ₹ 10 लाख | ट्रॉफी | प्रशस्ति पत्र

ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं टेक्नॉलाजी के व्यावहारिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

जमीनी स्तर की अनुकूल, किफ़ायती, अनुकरणीय और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किए गए ऐसे योगदान के लिए, जिससे ग्रामीण लोगों का आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक विकास हुआ हो.

महिला विकास एवं बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

केवल किसी महिला के लिए.
महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता, आजीविका के साधन उपलब्ध कराने, सर्वांगीण विकास आदि के लिए.

विदेशों में गाँधीवादी मूल्यों के प्रचार के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

केवल विदेशी नागरिक के लिए.
शांति, अहिंसा, प्रकृति के साथ मनुष्य जीवन का सुमेल और नैतिक विवेक जैसे गाँधीवादी सिद्धांतों के भारत के बाहर के देशों में प्रचार में योगदान के लिए.

नामांकन की अंतिम तारीख

राष्ट्रीय पुरस्कार: 20 जनवरी 2020 | अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार: 28 फरवरी 2020

ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण: www.jamnalalbajajawards.org/nomination-forms
अधिक जानकारी: www.jamnalalbajajfoundation.org; www.jamnalalbajajawards.org
www.bajajgroup.company
ईमेल: nominations@jamnalalbajajfoundation.org
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : सचिव, जमनालाल बजाज फाउण्डेशन,
दूसरी मंज़िल, बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, 226 नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 भारत
फोन: 91-22-22023626 एक्स: 241/243/244/247 फैक्स: 91-22-22816604
फेसबुक: https://www.facebook.com/JBFMumbai

bajaj group

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड/कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड,
चेटपेत, चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से स्तम्भ (ii) में उल्लिखित कर्जदार(रों) एवं सह-कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे स्तम्भ (iii) वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पूर्व की **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी** ने भौतिक कब्जा किया है, कर्जदार(रों) तथा सहकर्जदार(रों) से **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) का स्तम्भ (i) में वर्णित बकाये की राशि की वसूली के लिए 16.01.2020 को "जो है यहीं है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर बिक्री की जायेगी। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक** की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक **www.idfcfirstbank.com** देखें।

क्र. सं.	(I) माँग सूचना की तिथि तथा राशि	(ii) कर्जदार(रों) एवं सह-कर्जदार(रों) का नाम	(iii) सम्पत्ति का पता	(iv) आरक्षित मूल्य की राशि	(v) ईएमडी राशि	(vi) ईएमडी तथा दस्तावेजों को जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय (ऑनलाइन) को/पूर्व	(vii) नीलामी की तिथि एवं समय	(viii) अधिकृत प्राधिकारी का नाम तथा मोबाइल नं.
1	रु. 1276769.44 25/08/2018 तक	प्रकाश नन्दकिशोर सिंह, नीरू देवी	एलआईजी फ्लैट सं. एफएफ-09, प्रथम तल, प्लॉट नं. 29, खसरा नं. 1303, कॉलोनी पी.एन. विहार, ग्राम-लोनी (बाहरी चकबन्दी), (एफ-ब्लॉक गाजियाबाद)	रु. 698220	रु. 69822	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
2	रु. 31810258 14.02.2019 तक	नितेश कलर लैब, नवीन सेतिया, कृष्ण लाल सेतिया, प्रीति सेतिया, खूबचन्द, विकास सेतिया	सं. B-3/15, ब्लॉक B-3, प्लॉट नं. 15 अपर ग्राउण्ड एवं तृतीय तल, छत सहित, कृष्णा नगर, दिल्ली	रु. 2,27,00,000	रु. 22,70,000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री अमृतपाल सिंह गिल मो. 9999776185 ई-मेल : amritpalsingh.gill@ idfcfirstbank.com
3	रु. 8952491 04.02.2019 तक	हर्ष गुप्ता, विपिन गुप्ता, भूषण गुप्ता, सरोज गुप्ता, नाथू स्वीट्स, अनिल कुमार गुप्ता	ए-98 (बेसमेंट), न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली का समस्त भाग	रु. 90,90,000	रु. 9,09,000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री अमृतपाल सिंह गिल मो. 9999776185 ई-मेल : amritpalsingh.gill@ idfcfirstbank.com
4	रु. 2321597 26.02.2018 तक	संजीव सिंह, आरती सिंह	फ्लैट सी-1301, 13वीं मंजिल, टॉवर-सी, प्रोव्यू ऑफिसर सिटी, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच-58, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001 का सम्पूर्ण भाग	रु. 2187000	रु. 218700	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
5	रु. 2762693 23/10/2018 तक	जावेद अख्तर, निशात फातमा	फ्लैट नं. एफएफ-1, फ्रंट साइड, प्रथम तल छत के अधिकार बिना, प्लॉट सं. बी-110, खसरा नं. 1308, हयात एन्कलेव, ग्राम लोनी, परगना गाजियाबाद, उ.प्र. का समस्त भाग	रु. 1400000	रु. 140000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
6	रु. 1442343 23/10/2018 तक	धर्मेन्द्र पाल, परमेश्वरी देवी, श्याम लाल	दुकान नं. D-01/014/1B भूतल छत के अधिकार बिना, दिलशाद प्लाज, डीएलएफ दिलशाद एक्स. 2, ग्राम ब्रहमपुर उर्फ भोपुरा, प्रोप सिटी-गाजियाबाद, प्रोप_राज्य-उत्तर प्रदेश, जिपकोड-201005	रु. 600000	रु. 60000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
7	रु. 2444467 04/10/2018 तक	जयविन्दर कुमार, पूनम चरण सिंह	प्लॉट नं. 67-ए, एफएफ, खसरा नं. 37, कॉलोनी लाल बाग, ग्राम अहमद नगर, नवादा, गाजियाबाद	रु. 1400000	रु. 140000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
8	रु. 3548690.19 28/01/2019 तक	नवल किशोर गुप्ता, श्वेता वार्ष्णेय	प्लॉट सं. 17, खसरा नं. 2171/1044/822/1 मिन ग्राम चन्द्रावली उर्फ शाहदरा, ब्लॉक नं. 28, विश्वास नगर, दिल्ली-110032 से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग	रु. 3780000	रु. 378000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
9	रु. 36,62,271 08/03/2018 तक	अशफाक खान, मोहम्मद अशकर खान, तबस्सुम परवीन, यासमीन परवीन	एमआईजी फ्लैट नं. एस-1, द्वितीय तल छत के अधिकार सहित, प्लॉट सं. ए-100, शालीमार गार्डन, मेन साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 पर स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग	रु. 1900000	रु. 190000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
10	रु. 2035499 10/10/2018 तक	मोहम्मद मुस्तकीम, शमीम शाबुद्दीन सैफी	मकान नं. 1322 (पुराना), (नया नं. 1200), खसरा नं. 180 मिन, कैला भट्टा, परगना गाजियाबाद	रु. 1300000	रु. 130000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
11	रु. 3726797.42 19/10/2018 तक	केशव इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोप. महेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, सविता महेन्द्र सिंह	बी-84, खसरा नं. 28/169, सत्या गली की अब्दाई, उत्तरी घोंडा, ग्राम घोंडा, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053 का समस्त भाग	रु. 1900000	रु. 190000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
12	रु. 1062471 09/10/2018 तक	योगेन्द्र कुमार मिश्रा, अंजली मिश्रा	प्लॉट नं B-6/22, फ्लैट नं. FF-2, FF (बैक साइडलिग, डीएलएफ अंकुर विहार हदबस्त, ग्राम-सादुल्ला, परगना लोनी तथा तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102)	रु. 765000	रु. 76500	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
13	रु. 1992874.80 11/04/2017 तक	चंचल झा, विजय झा	मकान नं G 1/162 इन्दिरा एन्कलेव, सेक्टर 21 डी, फरीदाबाद	रु. 14,00,000	रु. 140000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
14	रु. 1443960 21/02/2019 तक	राजेश कुमार, रेखा पंडित, किशन शर्मा	प्रथम तलॉ छत के अधिकार बिना, पुराना नं. 27बी (नया नं. आरजेड-B/56 खसरा नं. 12/5, मिर्जापुर, कॉलोनी महावीर एन्कलेव, दिल्ली	रु. 13,00,000	रु. 130000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com
15	रु. 4968596.57 08.05.2019 तक	दिनेश कुमार, वीना दिनेश, हरी चन्द	ग्राम बाबरपुर, गली नं. 1, पूर्वी बाबरपुर, प्रेम गली, इलाका-शाहदरा, दिल्ली पर स्थित खसरा नं. 221 में से सम्पत्ति सं. ई-99	रु. 3690000	रु. 369000	15.01.2020	16.01.2020 11.00 से 1.00 अप.	श्री रोहित दुदेजा मो. 7838324723 ई-मेल : rohit.dudeja@ idfcfirstbank.com

अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड/कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

दिनांक : 28.12.2019

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	15.8 डि.से.	15.8 डि.से.	15.4 डि.से.	15.6 डि.से.
न्यूनतम	3.4 डि.से.	3.4 डि.से.	3.4 डि.से.	3.4 डि.से.

खबरों में शहर

मजदूर संघ तीन जनवरी को चेतावनी दिवस मनाएगा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

श्रमिकों के न्यूनतम वेतन सहित मौजूदा श्रम कानूनों को समग्रता से लागू करने की मांग और मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध दर्ज को लेकर भारतीय मजदूर संघ देश भर में तीन जनवरी को चेतावनी दिवस बनाएगा। इस दिन दिल्ली समेत सभी जिला मुख्यालयों में मजदूरों की रैली निकलेगी और सरकार को बजट पूर्व एक चेतावनी दी जाएगी कि वह बजट में श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखे। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के समक्ष कई मांगें रखी। जिसमें समान काम का समान दाम के प्रावधान को कड़ाई से लागू करना, ठेका या अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना, ईपीएस पेंशन 5000 रुपए करना, आयकर की सीमा आठ लाख करना, रेलवे आदि को निजीकरण से दूर रखना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक लगाने सहित कई मांगें शामिल हैं। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री विरजेश उपाध्याय ने इस बाबत बुलाई प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि केंद्र के मजदूर विरोधी नीतियों पर विरोध दर्ज कराने को लेकर भारतीय मजदूर संघ देश भर में तीन जनवरी को चेतावनी दिवस मनाएगा। भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश महामंत्री अनीश मिश्र ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सभा का आयोजन होगा।

'जामियावाला बाग' नाटक का मंचन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विद्यार्थियों का आंदोलन 17 दिनों से जारी है। जामिया के गेट नंबर 7 के सामने की सड़क धरना व सभा स्थल बनी हुई है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में अलग-अलग राज्यों से लोग समर्थन देने पहुंच रहे हैं। यहां प्रतिदिन वक्ता पहुंचते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। रविवार को यहां जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रही प्रियंका कुमारी और राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान ने सभा को संबोधित किया और सीएए को संविधान विरोधी बताया। रविवार को जामिया हमदर्द के पूर्व विद्यार्थियों समेत मरहम नाटक समूह की ओर से से 'जामियावाला बाग' शीर्षक से नाटक का मंचन किया गया। इसमें पूर्व विद्यार्थियों ने 15 दिसंबर को परिसर के अंदर पुलिस की ओर से की गई बर्बरता को प्रदर्शित किया गया। तो वहीं, शाहीनबाग में 32 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया।

रामधारी सिंह दिनकर पुस्तकालय की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर पुस्तकालय का शुभारंभ किया। रोहिणी सेक्टर-एक में इस बाबत आयोजित कार्यक्रम में उत्तरी दिल्ली के मेयर अवतार सिंह, रोहिणी वार्ड समिति के अध्यक्ष मनीष चौधरी व अन्य लोग मौजूद थे। गिरिराज सिंह ने उत्तरी निगम के प्रयासों की सराहना की और कहा कि निगम हमेशा नागरिकों के विकास कार्यों और कल्याण के बारे में सोचती है।

मोटर चोरी के शक में युवक की पीट-पीट कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक युवक की मोटर चोरी के आरोप में पीट-पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक युवक की पहचान अल्हारखा (30) के तौर पर हुई है। वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि अल्हारखा खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। उसके पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा ने बताया कि मारपीट के आरोप में नदीम और साजिद को गिरफ्तार किया है। वहीं, इस मामले में शामिल ऋषि और अर्जुन की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक अल्हारखा, जेजे कॉलोनी, बवाना में परिवार के साथ रहते थे। वह एक निजी कंपनी में काम करते थे। पुलिस को गुरुवार को सूचना मिली कि इलाके में स्थित एक मकान में एक युवक की

आरोपियों ने युवक को घर में बंधक बनाकर जमकर पीटा था

नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अल्हारखा के शरीर पर चोट के काफी निशान थे। जांच में पुलिस को पता चला कि अल्हारखा की कुछ युवकों ने डंडों से पिटाई की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छापेमारी के बाद दो लोगों इलाके से ही दबोच लिया।

बंधक बनाकर की पिटाई

चश्मदीद मो. तारिक ने बताया कि आरोपियों ने अल्हारखा को उनके घर के पड़ोस में खाली पड़े भूखंड में बंधक बना रखा था। आरोपियों ने अल्हारखा के हाथ-पैर बांधे थे और बुरी तरह डंडों से पिटाई कर रहे थे। सुबह करीब साढ़े छह बजे मो. तारिक की आंख खुली तो उन्होंने चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी। वह घर के बाहर आया तो उसने देखा कि अल्हारखा को चार लोग बुरी तरह से डंडे से पीट रहे थे।

मो. तारिक के मना करने पर आरोपियों ने उसे पीटना बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी अल्हारखा को अपने घर ले गए। करीब साढ़े सात बजे आरोपी फिर से अल्हारखा की पिटाई करने लगे। मारपीट के दौरान अल्हारखा को उल्टी हो गई और कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। अल्हारखा के बेहोश होते ही चारों आरोपित मौके से फरार हो गए।

चश्मदीद ने दिया बयान

चश्मदीद मो. तारिक ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि पूछने पर आरोपियों ने उसे बताया कि अल्हारखा ने उनका काफी सामान चुराया है। उनकी कई मोटर चोरी हुई है। मोटर के पैसे दे दो तो वह उसे छोड़ देंगे। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आम्रपाली : अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वाहनों समेत संपत्ति की होगी नीलामी

- सात जनवरी से शुरू होगी पॉर्श, बीएमडब्लू जैसी 15 कारों की नीलामी
- आठ जनवरी से रिहायशी संपत्ति की नीलामी के लिए लगेगी बोली

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 29 दिसंबर।

आम्रपाली बिल्डर की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नए साल में वसूली (रिकवरी) प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली समूह की संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। सात जुलाई से नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में आम्रपाली मालिकान और कंपनी के नाम लग्जरी वाहनों की नीलामी होगी। जिसमें पॉर्श से लेकर बीएमडब्लू कार तक शामिल हैं। वाहनों के अलावा संपत्ति की भी नीलामी की जाएगी। नीलामी के जरिए करीब तीन हजार करोड़ रुपए इकट्ठा होने की उम्मीद है। जिसका इस्तेमाल समूह की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा। साथ ही 10 हजार खरीदारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया भी जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खरीदारों से इकट्ठा हुई रकम से बनाई गई संपत्ति और खरीदे गए वाहनों आदि की नीलामी कर अधूरी परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की करीब आधा दर्जन से ज्यादा परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। जिनमें करीब 32 हजार से ज्यादा खरीदारों ने निवेश किया है। अधूरी परियोजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) करेगा। एनबीसीसी ने हाल ही में दो अधूरी परियोजनाओं के निर्माण के लिए निविदा जारी की है। जिसमें कुछ फ्लैटों का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा इंवेंट्री और खरीदारों पर बकाया रकम भी ली जाएगी। यह प्रक्रिया शीर्ष अदालत की तरफ से नियुक्त रिसीवर की देख-रेख में की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया कोर्ट रिसीवर की निगरानी में होगी। सात जनवरी को महंगे वाहन जैसे पॉर्श, बीएमडब्लू, फोर्च्यूनर व ऑडी जैसी गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। इस वर्ग में कुल 15 कारों की नीलामी होगी। आठ जनवरी को आम्रपाली की संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। नीलामी में समूह से जुड़ी सेक्टर-50 में आम्रपाली ईडेन पार्क और ग्रेटर नोएडा स्थित आम्रपाली कैसल की रिहायशी संपत्ति की नीलामी की जाएगी। इनके अलावा आम्रपाली की सेक्टर-50, 62, 63 और ग्रेटर नोएडा टेक जोन-4 स्थित वाणिज्यिक समेत ओमेगा-1 स्थित प्री कॉस्ट फैक्ट्री की भी नीलामी की जानी है।

दो मोटरसाइकिल भिड़ीं, एक युवक ने दम तोड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गईं। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। दोनों मोटरसाइकिल पर दो-दो लोग सवार थे। मृतक की पहचान कर्दमपुरी निवासी लाल बाबू महोतो के तौर पर हुई है। वहीं, घायल की पहचान दीपक कुमार (35) के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद दीपक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

जानकारी के मुताबिक, लाल बाबू महतो अपने परिवार के साथ कर्दमपुरी इलाके में रहते थे। शनिवार शाम वह अपने दोस्त दीपक गुप्ता के साथ मोटरसाइकिल से पंजाबी बाग जा रहे थे। मोटरसाइकिल लाल बाबू चला रहे थे। जैसे ही वे ओल्ड रोहतक रोड से होते हुए आगे बढ़े, गुरुद्वारा के पास उनकी बाइक को सामने से तेजी से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों दोस्त सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी मोटरसाइकिल पर बैठा युवक भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। दीपक ने तुरंत पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी।

करंट लगने से बुजुर्ग महिला की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

नरेला थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान गीता (60) के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली कि सिंधु बॉर्डर के पास एक बुजुर्ग महिला अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

पुलिस महिला को तुरंत अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तलाशी लेने पर पुलिस को मृतका के पास से एक पर्ची मिली। पर्ची पर महिला का नाम और नंबर लिखा हुआ था। फोन नंबर पर संपर्क करने पर महिला के बेटे अश्वनी ने फोन उठाया और अपनी मां की पहचान की।

बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में जान गई

मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान दिनेश (60) के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। पुलिस अधिकारी की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बुजुर्ग की मौत का पता चल सकेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, दिनेश मंगोलपुरी में रहते थे। शनिवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि मंगोलपुरी, यू ब्लॉक में एक बुजुर्ग अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि बुजुर्ग अचेत अवस्था में अपने कमरे में पड़े हुए हैं।

दिल्ली मेरी दिल्ली

ऊंघते कुलपति

पिछले सप्ताह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए पांच पहलों (दिशानिर्देश व रूपरेखा) का उद्घाटन किया। इस मौके पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कॉलेजों के प्राचार्यों आदि को भी बुलाया गया। उद्घाटन के बाद परंपरा के मुताबिक, मंत्री ने अपना भाषण दिया। उन्होंने सभी कुलपतियों और प्राचार्यों से कहा कि इन पहलों को आपको ही लागू करना है और जब तक आप उसके लिए सचेत नहीं रहोगे तब तक इन्हें बेतहर तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने विशेषकर कुलपतियों से कहा कि वे आगे बढ़कर इन पहलों को अपने यहां लागू करें ताकि उनके यहां बेहतर परिणाम आ सकें। संयोग की बात है कि जब मंत्री भाषण दे रहे थे तब कुछ कुलपति ऊंघते नजर आए।

चुनावी तैयारी

दिल्ली की सत्ता में बैठी आम अदमी पार्टी (आप) दोबारा सत्ता में आने के लिए बिजली-पानी मुफ्त से लेकर न जाने कितनी घोषणाएं किए जा रही है। कांग्रेस दिल्ली में बेहद कमजोर हाल में है। कांग्रेस के मजबूत हुए बिना आप को दोबारा सत्ता में आने से रोकने का कोई कारगर रास्ता विपक्षी दलों के पास नहीं है। भाजपा सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है बावजूद इसके केंद्र की अपनी सरकार के बूते वह ऐसा कुछ नहीं करा पाई है जिससे दिल्ली की राजनीति की दिशा बदलती दिखे। ले-देकर करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की। इसको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए प्रधानमंत्री की रामलीला मैदान में धन्यवाद रैली की गई। प्रधानमंत्री ने 90 मिनट के अपने भाषण में ज्यादा सीओओ और एनआरसी पर बोले। किसी भाजपा नेता को शायद यह ध्यान ही नहीं रहा कि कुछ अनधिकृत कॉलोनीवासियों को मालिकाना हक देने के पत्र प्रधानमंत्री के हाथों दिलवा दें। 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों कुछ अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों को प्रोविजनल प्रमाणपत्र दिलवा दिया था। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार तीसरी बार चुनाव जीती, उसके कई कारणों में एक कारण यह 1218 अनधिकृत कालोनियों का यह प्रमाण पत्र भी माना जाता है। भाजपा के नेता तो शायद गुटबाजी में व्यस्त रहे होंगें, किसी को इसकी याद भी नहीं आई होगी। अब डीडीए के अधिकारी और कर्मचारी जब कॉलोनीवालों को चक्कर लगवाएंगे तब जो आज लाभ भी दिख रही है वह नुकसान में न बदल जाए।

मार्ग बंद है

राजधानी में बीते कई दिनों से नागारिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के एक अल्पसंख्यक बहुल इलाके में शुरू के दिन से ही मार्ग को बंद कर दिया गया है। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन करीब 15 दिन बीत जाने के बाद अब स्थानीय लोग ही इस बंद की वजह से तरह-तरह की परेशानियां होने लगी हैं। यही कारण है कि प्रदर्शन करने वालों के एक वर्ग को लगने लगा है कि कहीं इसका खामियाजा अपने लोगों को तो नहीं भुगतना पड़ रहा है। अब लोगों को समझ आने लगा है कि शुरुआत में अगर इसका साथ नहीं दिया जाता तो उन्हें परेशानी नहीं होती। वहीं, स्थानीय पुलिस इलाके की सुरक्षा का बहाना बताकर उन लोगों पर ही आरोप मढ़ रही है, जो इसके समर्थन में उतरे थे और पुलिस बल पर पथराव किया था। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर दिल्ली पुलिस और कितने दिन दक्षिणी पूर्व दिल्ली के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में वाहनों की आवाजाही को बंद रखती है।

विरोध और डर

कई बार विरोध के लिए लोग सड़क पर तो उतर जाते हैं लेकिन इसके परिणामों को लेकर सहम भी जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया दिखा प्रेस क्लब में। जब उत्तर प्रदेश में कथित हिंसा का विरोध करने यहां बालीवुड के दो सितारे पहुंचे। एक को तख्ती पर लिखे कुछ संवाद मीडिया में जारी करने थे। तो दूसरे को कुछ बयान देने थे जिसे वो लिख कर लाए थे। प्रेस कान्फ्रेंस में अभी देरी थी लिहाजा वे तैयारी कर रहे थे। वे स्लोगन को देख समझ रहे थे। अभिनेत्री ने आयोजकों से पूछा-जो लिखा है वो ठीक तो है न। कहीं कोई पंगा तो नहीं हो जाएगा। दूसरे ने कहा-नहीं इस माहौल में भी इतना चलेगा। तीसरे ने चुटकी ली, विरोध करना है तो डर काहे का।

पारदर्शी स्मार्ट रवैया?

अत्याधुनिक तकनीक और पारदर्शिता के मामले में कंप्यूटराइज्ड डाटा का बखान करने वाली दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल का नाम बताने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ सकते हैं? और वह भी तब जब उस कांस्टेबल ने या तो पहले तरक्की के लिए कोई साहसिक काम किया हो या फिर किसी कारण उसने आत्महत्या की हो। उपायुक्त से लेकर अतिरिक्त उपायुक्त और थानाध्यक्ष से लेकर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक, लगता है मरहूम कांस्टेबल का नाम बताने पर शायद गृह मंत्रालय कोई बड़ी कार्रवाई न कर दे। बीते दिन ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब दक्षिण-पश्चिम जिले के धौला कुआं चौकी पर तैनात एक कांस्टेबल ने सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर जान दे दी। अधिकारी उसके नाम तक को सत्यापन करने से बचते रहे। हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। तब यही लगा कि अगर राजधानी की स्मार्ट और पारदर्शी पुलिस का यह हाल है तो भला देश के सुदूर इलाके में घटित होने वाली इस प्रकार की घटना का क्या परिणाम निकल सकता है।

एक तीर से दो निशाने

दिल्ली के चुनाव की सबसे पहली सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधेतौर पर एक तीर से दो निशाने साधे। पार्टी में जहां एक तरफ पूर्वांचल को लेकर दिल्ली का चेहरा बनाने का घमासान चल रहा है। वहीं, कई और भी नेता इस पद की दौड़ में हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी यह घमासान साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष ने जाट मतदाताओं को साधने के लिए अपने जाट नेता की चुनौती को वर्तमान मुख्यमंत्री सामने धर दिया। ऐसा होने से पूर्वांचल कैडर में चल रहे संदेश को खत्म करने की कोशिश की गई। इससे जाट सीटों पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की गई।

-बेदिल

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

kotak Kotak Mahindra Bank

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी 27, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051
शाखा कार्यालयः 7वां तल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-125, नोएडा उत्तर प्रदेश-201313

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) जिनके विवरण यहां नीचे तालिका मे दिये गये हैं, को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड अचल सम्पत्ति जिसका 23.10.2019 को कोटक महिन्द्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है की, बैंक के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो के साथ अचल सम्पत्ति का विवरणः शालीमार बाग, दिल्ली-110085 में स्थित एमआईडी श्रेणी के अंतर्गत पॉकेट तथा ब्लॉक सीसी में डीडीए निर्मित फ्लैट नं. 16-बी का सभी भाग तथा हिस्सा।

ऋणधारकों एवं गारन्टरों का नाम पता	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. बोली वृद्धि राशि
सुश्री कौशल्या भम्भानी, पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण दास भम्भानी, निवासीः फ्लैट नं. सीसी-16बी, 1 ला तल, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088 एवं चेतन प्रकाश भम्भानी, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण दास भम्भानी निवासीः फ्लैट नं. सीसी-16बी, 1 ला तल, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088, साथ हींः एफ-6/49, सेक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 **ऋण खाता सं.:** 196446 **कुल बकायाः** सम्पूर्ण भुगतान तक सभी लागतों, चार्जेज एवं खर्चे के साथ 24.12.2019 से अनुबंधित ब्याज दर पर लागू होने वाले आगे के ब्याज के साथ 23.12.2019 को रु. 72,49,892, 79 (रुपये बहत्तर लाख उन्चास हजार आठ सौ बानवे एवं पैसे उन्यासी मात्र)	1) ई-नीलामी तिथिः 31 जनवरी, 2020 को 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 29 जनवरी, 2020 के 6.00 बजे अप. (आईएसटी) तक 3) निरीक्षण की तिथिः 17 जनवरी, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. (आईएसटी)तक	**आरक्षित मूल्यः** रु. 78,00,000/- (रुपये अठहत्तर लाख मात्र) **धरोहर राशि भुगतानः** रु. 7,80,000/-(रुपये सात लाख अस्सी हजार मात्र) **बोली वृद्धिः** रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) एवं उसके गुणकों में।

धरोहर राशि का भुगतान ''कोटक महिन्द्रा लिमिटेड'' बैंक के पक्ष में देय पुणे में भुगतान योग्य डीडी द्वारा अथवा कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड खाता नं. 06410157020021 तथा आईएफएससी कोडः KKBK0000958, शाखा नरीमन प्वाइन्ट, मुम्बई, शाखा कोड 0641 में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा।

बिक्री के अधीन परिसम्पत्तियों से संबंधित किसी स्पष्टीकरण/ अपेक्षा के लिए बोलीदाता श्री लोकेश कुमार मित्तल (+91 8377809456) एवं श्री राजेन्दर दहिया (+918448264515) से सम्पर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया कोटक महिन्द्रा बैंक लि. की वेबसाईट अर्थात www.kotak.com में दी गई लिंक https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html एवं/अथवा https://kotak.bank.auctiontiger.net देखें।

स्थानः नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 27.12.2019 — **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**

शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालयः 13/1207, अंसारी रोड, सहारनपुर- 247001 (उ.प्र.)
प्रधान कार्यालयः 2रा तल, 5ए एवं 5बी, फ्यूजन स्क्वॉयर, सेक्टर-126, नोएडा

[देखें नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''सरफैसी एक्ट'') के अंतर्गत शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बैंकिंग अधिनियम, 1949 के आशय के अंतर्गत बैंकिंग कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालयः 13/1207, अंसारी रोड, सहारनपुर-247001 (उ.प्र.) तथा प्रधान कार्यालयः 2रा तल, 5ए एवं 5बी, फ्यूजन स्क्वॉयर, सेक्टर-126, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारक/कों/पार्टियों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा स्थानापन्न ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के साथ वर्णित राशि के लिये शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों)/ मार्टगैजर(रों) का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि कब्जा की तिथि
1. श्री धर्मेन्द्र सिंह (ऋणधारक), पुत्र श्री ओंकार सिंह निवासीः एच.नं. 287, गली नं. 7, सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर-45, नोएडा, उ.प्र.-201301 2. श्रीमती नीतू देवी (सह-ऋणधारक), पत्नी धर्मेन्द्र सिंह, निवासीः एच.नं. 287, गली नं. 7, सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर-45, नोएडा, उ.प्र.-201301 3. लीलू सिंह (गारन्टर), पुत्र गोपी चंद, निवासीः एच. नं. 240, गली नं. 5, ग्राम-सदरपुर, सेक-45, नोएडा, उ.प्र.-201301 तथा 4. श्री ओंकार सिंह (गारन्टर एवं मार्टगैजर), पुत्र रामकला, निवासीः एच.नं. 287, गली नं. 7, सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर-45, नोएडा, उ.प्र.-201301	उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 662, पेज नं. 292-294, एस. नं. 2264 में पंजीकृत मकान सं. 288, खसरा नं. 112 में आवासीय मकान, माप 61.18 वर्ग यार्ड्स में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः अन्य का प्लॉट, पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः गली, दक्षिण- अन्य का प्लॉट। सम्पत्ति का माप, स्वामीः श्री ओंकार सिंह, पुत्र रामकला **टिप्पणीः धारा 13(4) के अंतर्गत प्राप्त किसी भी सूचना तिथि 10.12.2019 को निरर्थक माना जायेगा।**	मांग सूचना तिथिः 20.10.2019 कब्जा की तिथिः 27.12.2019 बकाया राशिः रु. 795367.78 (रुपये सात लाख पंचानवे हजार तीन सौ सड़सठ तथा पैसे अन्ठानवे मात्र)
1. श्री शिवचरण (ऋणधारक एवं मार्टगैजर) पुत्र चन्द्र पाल। निवासीः एच. नं. 115, ग्राम यकूबपुर, तहसील दादरी, उ.प्र.-201305 2. श्रीमती महावीरी (गारन्टर) पत्नी श्री शिवचरण, निवासीः एच. नं. 115, ग्राम यकूबपुर, तहसील दादरी, उ.प्र.-201305 3. श्री पप्पू (गारन्टर एवं मार्टगैजर), पुत्र श्री चन्द्रपाल, निवालीः सी-115, सदरपुर सरल कॉलोनी, सेक्टर-46, नोएडा, तहसील-दादरी, जिला- गौतमबुध नगर, उ.प्र.-201304	उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 1007, पेज 1107-1112, एस. नं. 3702 में पंजीकृत ग्राम हाजीपुर, जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 492 में आवासीय मकान, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मी. में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, पूर्वः श्री हरगोविन्द का प्लॉट, पश्चिमः अन्य प्लॉट, दक्षिणः रोड, सम्पत्ति माप, स्वामी श्री शिवचरण तथा श्री पप्पू, दोनों पुत्र चन्द्रपाल	मांग सूचना तिथिः 20.10.2019 कब्जा की तिथिः 27.12.2019 बकाया राशिः रु. 464834.52/- (रुपये चार लाख चौंसठ हजार आठ सौ चौंतीस एवं पैसे बावन मात्र)

तिथिः 30.12.2019, स्थानः नोएडा — **शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के लिये, प्राधिकृत अधिकारी**

जैविक गैस संयंत्र की शुरुआत

पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रविवार को एमसीडी फ्लैट उस्मानपुर में 5000 किलोग्राम प्रतिदिन की क्षमता वाले जैविक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्थाई समिति के अध्यक्षस पर्यावरण प्रबंधन सेवा समिति के अध्यक्ष सहित कई पार्षद मौजूद थे। स्थायी समिति अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि इस संयंत्र में बायोलॉजिकल प्रोसेस के से जैविक गैस का निर्माण किया जाएगा।

(जनसत्ता संवाददाता)

आज के कार्यक्रम

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : माउत्सी चक्रवर्ती की 'द होमलैंड' नामक प्रदर्शनी, सेंटर आर्ट गैलरी, कमलादेवी कॉम्पलेक्स, 40 मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे।

नई दिल्ली

DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

ALAN SCOTT INDUSTRIESS LIMITED

In compliance with Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(4) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

OPEN OFFER ("OFFER") FOR ACQUISITION OF UP TO 1,78,199 (ONE LAC SEVENTY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED NINETY NINE ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 26% OF THE TOTAL EQUITY SHARE CAPITAL OF ALAN SCOTT INDUSTRIESS LIMITED ("TARGET COMPANY") ON A FULLY DILUTED BASIS, AS OF THE TENTH WORKING DAY FROM THE CLOSURE OF THE TENDERING PERIOD OF THE OPEN OFFER ("VOTING SHARE CAPITAL"), FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.25/- (INDIAN RUPEES TWENTY FIVE ONLY) PER EQUITY SHARE BY MR. SURESHKUMAR PUKHRAJ JAIN ("ACQUIRER") ALONGWITH MR. PRANAV DANGI AS PERSON ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER ("PAC").

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT ("DPS") IS BEING ISSUED BY NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED ("MANAGER"), FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS IN COMPLIANCE WITH REGULATION 13(4) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO, ("TAKEOVER REGULATIONS"), PURSUANT TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT ("PA") FILED WITH BSE LIMITED ("BSE") ("STOCK EXCHANGE") ON DECEMBER 20, 2019 IN TERMS OF REGULATIONS 3(1) AND 4 OF THE TAKEOVER REGULATIONS. THE PUBLIC ANNOUNCEMENT WAS FILED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") AND SENT TO THE TARGET COMPANY ON DECEMBER 23, 2019 BY WAY OF LETTERS DATED DECEMBER 20, 2019 IN TERMS OF REGULATION 14(2) OF THE TAKEOVER REGULATIONS.

I. ACQUIRERS, PERSONS ACTING IN CONCERT, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER

A. Information about the Acquirer(s)/PAC(s)

A.1 MR. SURESHKUMAR PUKHRAJ JAIN (ACQUIRER)

(a) Mr. Sureshkumar Pukhraj Jain, (hereinafter referred to as "Acquirer") is an Indian National aged 55 years having PAN, AAFPJ1029F and his residential address is A/1101, Savoy Residency, Tagore Road Santacruz West, Mumbai-400054, Maharashtra. His contact number is 022-61786000 and his email id is suresh@suncapital.co.in

(b) Acquirer is a Chartered Accountant by qualification and has experience of more than 30 years in the financial market field. He belongs to Sun Capital Group.

(c) Mr. Jain has been associated with Sun Capital Advisory Services Private Limited, Incipient Real Estate Private Limited, Harvest Agriculture Private Limited, Networth Finmart Limited, Suncap Insolvency Professionals Pvt Ltd, Suncap SS Global Ventures Private Ltd, Summva Corporate Advisory Private Ltd, Nugenics Reasearch Private Ltd, Networth Retail Private Limited, Networth Easylife Financial Advisory Private Limited, Networth Insurance Services Private Limited and Vishwakarma Kaushal Kendra as a Director and his DIN is 00048463.

(d) He has confirmed that he is not categorized as a "Wilful Defaulter" in terms of Regulation (1)(za) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. His name does not appear in the "Wilful defaulters" list of the Reserve Bank of India and is not debarred by SEBI from accessing the capital markets or from dealing in securities in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992 or under any other Regulation of the SEBI Act, 1992.

(e) Mr. Jain holds 1,60,000 equity shares in the Target Company. He has agreed to buy 23,993 Equity Shares (Sale Shares) from current Promoter and Promoter group of Target Company through Share Purchase Agreement (SPA) dated 20th December, 2019. He does not have any other interest or relationship with the Target Company or its promoters, directors or its Key Managerial Personnel. He has complied with the disclosures under chapter V of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto.

(f) The Net worth of Mr. Jain as on October 31, 2019 is Rs. 20,76,57,295/- (Rupees Twenty Crores Seventy Six Lakhs Fifty Seven Thousand Two Hundred Ninety Five Only) and the same is certified by Mr. Pravin Chandak, Chartered Accountant, Partner, Pravin Chandak & Associates, Chartered Accountants (Membership No. 049391; Firm Registration No. 116627W; UDIN:19049391AAAAGD2635) vide his certificate dated December 10, 2019. He has sufficient liquid funds as on date to fulfill his monetary obligations under this Open Offer.

(g) Mr. Jain undertakes not to sell the Equity Shares of the Target Company held by him during the "Offer Period" in terms of Regulation 25(4) of the Takeover Regulations.

(h) The Acquirer undertake that if he acquire any Equity Shares of the Target Company during the Offer Period, he will inform the Stock Exchanges and the Target Company within 24 hours of such acquisitions and he will not acquire any Equity Shares of the Target Company during the period between three working days prior to the commencement of the Tendering Period ("TP") and until the closure of the TP in accordance with Regulation 18(6) of the Regulations.

A.2. MR. PRANAV DANGI (PAC)

a. Mr. Pranav Dangi, (hereinafter referred to as "PAC") is an Indian National aged 32 years having PAN AAFCT2095L is having his address at E-18, Nakoda Pipe Industries, Ambaji Industrial Area, Aburoad, Sirohi, Rajasthan. His mobile number is 8377840776 and his email id is pranavdangi@thehosteller.com

b. Mr. Dangi is a Bachelor of Engineering (B.E.) in Information Technology from Manipal Institute of Technology of Manipal University and Post-Graduate Diploma in Management (Finance) from Institute of Management and Technology-Ghaziabad by qualification and has experience of about more than 10 years in the field of software and finance field. He does not belong to any Group.

c. Mr. Dangi is associated with the Hosteller Hospitality Private Limited as a Director. His DIN is 07361138.

d. Mr. Dangi has confirmed that he is not categorized as a "Wilful Defaulter" in terms of Regulation (1)(za) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. His name does not appear in the "Wilful defaulters" list of the Reserve Bank of India and is not debarred by SEBI from accessing the capital markets or from dealing in securities in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992 or under any other Regulation of the SEBI Act, 1992.

e. Mr. Dangi does not hold Equity Shares in the Target Company. He does not have any interest or relationship with the Target Company or its promoters, directors or its Key Managerial Personnel. He has complied with the disclosures under chapter V of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto to the extent applicable.

f. The Networth of Mr. Dangi as on October 31, 2019 is Rs. 36,12,814/- (Rupees Thirty Six Lakh Twelve Thousand Eight Hundred Fourteen Only) and the same is certified by Mr. Piyush Singla, Chartered Accountant, Partner of Mukul Gupta & Co., Chartered Accountants (Membership No. 542201; Firm Registration No. 030326N; UDIN: 19542201AAAACK1045) vide his certificate dated December 10, 2019. Mr. Dangi alongwith Acquirer has sufficient liquid funds as on date to fulfill their monetary obligations under this Open Offer.

g. Mr. Dangi does not hold any Equity Shares of the Target Company as on the date of this Detailed Public Statement and hence the provisions of Chapter II of SEBI (SAST) Regulations, 1997 and chapter V of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto do not apply.

h. PAC undertake that if he acquire any Equity Shares of the Target Company during the Offer Period, he will inform the Stock Exchanges and the Target Company within 24 hours of such acquisitions and he will not acquire any Equity Shares of the Target Company during the period between three working days prior to the commencement of the Tendering Period ("TP") and until the closure of the TP in accordance with Regulation 18(6) of the Regulations.

i. PAC undertake that he will not acquire any Open Offer Equity Shares of the Target Company. All Open Offer Shares will be acquired by Acquirer in accordance with the Memorandum of Understanding dated 20th December, 2019 ("the MOU").

- Acquirer and PAC are person acting in concert's with each other for this Open Offer and Acquirer is father in law of the PAC.
- None of the Acquirer and PAC have been prohibited from SEBI from dealing in securities.

B. INFORMATION ABOUT THE SELLERS

The details of the Sellers are set out below:

Sr. No	Name of the Sellers	Residential Address/Registered Office	No. of Shares held in the Target Company	% of Share Capital
1	Mr. Soketu Parikh	15, Silver Sands, Dariyalal Co-Op Hsg. Soc Ltd, Juhu Tara Road, Mumbai, Maharashtra-400049, India	14,505	2.12
2	Concord Capitals Private Limited*	15, Silver Sands, Dariyalal Co-Op Hsg. Soc Ltd, Juhu Tara Road, Mumbai, Maharashtra-400049, India	9,488	1.38
	Total		23,993	3.50

** Concord Capitals Private Limited will hold 10,000 (1.46%) Equity Shares post transaction.*

- All the above Sellers are part of Promoters/ Promoter Group of the Target Company and they do not belong to any Group.
- Sellers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992 and subsequent amendments thereto or under any other regulations made under the SEBI Act, 1992.

C. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY, ALAN SCOTT INDUSTRIESS LIMITED ("TARGET COMPANY")

1) Alan Scott Industriess Limited was incorporated on February 22, 1994 under the Companies act, 1956 in the name and style as Suketu Fashions Limited as a public Limited company and obtained the Certificate of Commencement of Business on March 9, 1994. The Company has received fresh certificate of Incorporation on change of Name on October 24, 1997 and subsequently, change its name from SOKETU Fashions Limited to Alan Scott Industriess Limited. Target Company made its maiden public issue in August 1994 and got listed in the OTC Stock Exchange of India, bearing the CIN, L99999MH1994PLC076732, having the registered office situated at 39, Apurva Industrial Estate, Makwana Road, Off Andheri Kurla Road, Mumbai-400059, Maharashtra.
2) Currently, the TC is engaged in films and entertainment business.
3) As on the date of this DPS, Target Company has an Authorized Equity Share Capital of 5,00,00,000/- (Rupees Five Crores Only) comprising of 50,00,000 (Fifty Lakhs) Equity Shares of Rs.10/- each. The Paid Up Share Capital of Target Company is Rs. 68,53,770/- (Rupees Sixty Eight Lakhs Fifty Three Thousand Seven Hundred Seventy Only) comprising of 6,85,377 (Six Lakhs Eighty Five Thousand Three Hundred Seventy Seven) Equity Shares of Rs.10/- each.
4) The Equity Shares of Target Company are currently listed and traded on BSE Limited with symbol as "ALAN SCOTT" and with Scrip Code "539115".
5) The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations on BSE Limited.
6) As on date of this DPS, there is no subsidiary or holding company of the Target Company.
7) There has been no merger, de-merger and spin off in the last three years in the Target Company. However the capital have been reduced from Rs.3,26,37,000 (Rupees Three Crores Twenty Six Lakhs Thirty Seven Thousand Only) comprising of 32,63,700 (Thirty Two Lakhs Sixty Three Thousand Seven Hundred Only) Equity Shares of Rs.10/- each to Rs. 68,53,770 (Rupees Sixty Eight Lakhs Fifty Three Thousand Seven Hundred Seventy Only) comprising of 6,85,377 (Six Lakhs Eighty FiveThousand Three Hundred Seventy Seven) Equity Shares of Rs.10/- each with effect from the appointed date April 01, 2016 and approved by the Board of Directors on February 26, 2016.
8) Currently, there are no outstanding partly paid up shares or any other convertible instruments to be converted into Equity Shares of the Target Company at a future date.
9) The brief financials of the Target Company as follows:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the period ended September 2019 (unaudited)	Year ended as on March 2019 (Audited)	Year ended as on March 2018 (Audited)	Year ended as on March 2017 (Audited)
Total Revenue	0.00	11.59	22.71	11.26
Net Income (PAT)	(5.38)	0.64	0.43	(15.81)
EPS	(0.08)	0.09	0.06	(0.48)
Net Worth/ Shareholders Funds	29.29	34.67	34.03	33.60

10) None of the Directors of the Target Company represents the Acquirer & PAC.

Note: Name of the Target Company is Alan Scott Industriess Limited, however same is mentioned as Alan Scott Industries Limited on BSE website and on MCA portal is it mentioned correctly as Alan Scott Industriess Limited.

D. DETAILS OF THE OFFER

1) The Acquirer & PAC are making an Offer to acquire up to 1,78,199 (One Lac Seventy Eight Thousand One Hundred Ninety Nine Only) Equity Shares of Face Value of Rs.10/- each representing 26.00% of the Total Issued, Subscribed, Paid Up capital and Voting Equity Share Capital of the Target Company (the "Offer Size").
2) This Offer is being made to all the Equity Shareholders of the Target Company, other than the parties to SPA and PAC dated December 20, 2019.
3) The Offer is being made at a price of Rs.25/- (Rupees Twenty Five Only) ("Offer Price") per fully paid up Equity Share, payable in Cash, subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement (PA), this Detailed Public Statement (DPS) and the Letter of Offer (LOF), that will be sent to the Shareholders of the Target Company.
4) This is not a Competitive Bid in terms of regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
5) This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance by the Equity Shareholders of the Target Company in terms of Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations. The Acquirer will acquire all the Equity Shares of the Target Company that are validly tendered as per terms of the Offer upto a maximum of 1,78,199 (One Lac Seventy Eight Thousand One Hundred Ninety Nine Only) Equity Shares of Face value of Rs.10/- each representing 26.00% of the Total Issued, Subscribed, Paid Up capital and Voting Equity Share Capital of the Target Company.
6) There are no conditions stipulated in the SPA between the Sellers and Acquirer, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirer and in view of which the Offer might be withdrawn under regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
7) As on the date of this DPS, the Manager to the Offer, Navigant Corporate Advisors Ltd does not hold any Equity Shares in the Target Company. The Manager to the Offer further declares and undertakes that they will not deal on their own account in the Equity Shares of the Target Company during the Offer Period.
8) The SPA is subject to compliance of provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011 and in case of non-compliance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the SPA shall not be acted upon by the Sellers & Acquirer.
9) There are no partly paid shares and there are no convertible instruments which are pending conversion.
10) To the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required by the Acquirers to complete this Offer. The offer would be subject to all the statutory approvals that may become applicable at a later date.
11) The Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirer as fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.
12) The Manager to the Offer does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of appointment as Manager to the Offer and as on the date of this Detailed Public Statement. The Manager to the Offer further declares and undertakes that it shall not deal in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of its appointment as Manager to the Offer till the expiry of 15 days from the date of closure of this Open Offer.
13) As on the date of this DPS, the Acquirer and PAC do not have any intention to sell, dispose off or otherwise encumber any significant assets of Target Company except in the ordinary course of business of Target Company and future policy for disposal of assets, if any, will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and prior approval of the shareholders at a General Body Meeting of Target Company in accordance with regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
14) The Offer (assuming full acceptance to the Offer Size) will not result in the minimum public shareholding (MPS) to fall below 25% of Equity & Voting Capital of the Target Company in terms of Regulation 38 of the Listing Regulations read with Rule 19A(1) of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 ("SCRR").

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. The Acquirer has entered into Share Purchase Agreement with Sellers dated December 20, 2019 for the acquisition of 23,993 fully paid-up equity shares of Rs. 10/- each representing 3.50 % of the Total Issued, Subscribed, Paid Up capital and Voting Equity Share Capital of the Target Company at a Price of Rs. 25/- (Rupees Twenty Five Only) per share aggregating to Rs. 5,99,825 (Rupees Five Lakhs Ninety Nine Thousand Eight Hundred Twenty Five only) subject to the terms and conditions as contained in the SPA.
2. Some Salient Features of SPA are as follows:
   - SPA dated 20th December, 2019 between Acquirer and Sellers for acquisition of 23,993 Equity Shares constituting 3.50% of the fully paid up and voting equity share capital along with control at a price of Rs. 25/- per Equity Share.
   - The Total consideration for sale shares shall be Rs. 5,99,825/- (Rupees Five Lacs Ninety Nine Thousand Eight Hundred Twenty Five Only).
   - Acquirer and Sellers agree to take steps to comply with regulations and laws that may be required to give effect of transfer of sale shares.
3. As on the date of this DPS, the Acquirer holds 1,60,000 equity shares of the Target Company constituting 23.34% of voting capital. Consequent upon acquisition of Sale Shares, the shareholding of the Acquirer will hold 1,83,993 equity shares constituting 26.84% of the Existing Share & Voting Capital of Target Company. Pursuant to SPA, the Acquirer and PAC shall hold the significant equity shares by virtue of which they shall be in a position to exercise control over management and affairs of the Target Company. PAC will also become a part of Promoter Group. This Offer is being made under regulation 3(1) and 4 of the Takeover Regulations. Upon consummation of the transactions contemplated in the SPA, the Acquirer will also acquire control over the Target Company and the Acquirer shall become the promoters of the Target Company upon compliance with the provisions of regulation 31A(5) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As such, this Offer is also being made under regulation 4 of the Takeover Regulations.
4. The prime objective of the Acquirer & PAC behind the acquisition is to have substantial holding of Equity shares and voting rights accompanied with the change in management and control of the Target Company and to classify the Acquirer and PAC as 'Promoters' of the Target Company, in accordance with the provisions of Regulation 31A (8) of the SEBI (LODR) Regulations. The Acquirer & PAC proposes to continue the existing business of the Target Company. However, no firm decision in this regard has been taken or proposed so far. The Acquirer & PAC reserve the right to modify the present structure of the business in a manner which is useful to the larger interest of the shareholders. Any such change in the structure that may affect the larger interest of the shareholders will be done with prior approval of shareholders at a General Body Meeting of Target Company in accordance with regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011 and in accordance with the laws applicable. The Acquirer & PAC may diversify, reorganize and/or streamline the business of Target Company for commercial reasons and operational efficiencies.
5. The Acquirer & PAC do not have any intention to sell, dispose off or otherwise encumber any significant assets of Target Company except in the ordinary course of business of Target Company and future policy for disposal of assets, if any, will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and the prior approval of the shareholders at a General Body Meeting of Target Company in accordance with regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

Details	Acquirer		PAC		Total	
	No. of Shares	%	No. of Shares	%	No. of Shares	%
Shareholding as on the PA date*	1,60,000	23.34	Nil	NA	1,60,000	23.34
Shares agreed to be acquired under SPA(s)	23,993	3.50	Nil	NA	23,993	3.50
Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	NA	Nil	NA	Nil	NA
Shares to be acquired in the Offer [assuming full acceptance]	1,78,199	26.00	Nil	NA	1,78,199	26.00
Post Offer shareholding (*) [assuming full acceptance] (On Diluted basis, as on 10th working day after closing of ending Period)	3,62,192	52.85	Nil	NA	3,62,192	52.85

III. OFFER PRICE

1) The Equity Shares of Target Company are currently listed and traded on BSE Limited (BSE) with symbol as "ALAN SCOTT" and with Scrip Code "539115".
2) The annualized trading turnover of the equity shares of the Target Company on BSE Limited, BSE based on trading volume during twelve calendar months preceding the month of PA (December 31, 2018 to November 30, 2019) is given below:

Name of the Stock Exchange	Total number of equity shares traded during twelve calendar months preceding the month of PA	Total Number of Equity Shares	Trading Turnover (in terms of % to Total Listed Equity Shares)
BSE	92	6,85,377	0.01

Based on above, the equity shares of the Target Company are infrequently traded within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations on BSE.

3) The Offer Price of 25/- Equity Share is justified, in terms of Regulation 8(2) (e) of the SEBI (SAST) Regulations and the same has been determined after considering the following facts:

A	Highest Negotiated Price per equity share for any acquisition under the Agreement attracting the obligation to make the PA	Rs. 25/-
B	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition during the 52 week immediately preceding the date of the PA	Rs 25/-
C	The highest price paid or payable for any acquisition during 26 weeks period immediately preceding the date of PA	Rs.25/-
D	The volume-weighted average market price for a period of 60 trading days immediately preceding the date of PA on Stock Exchanges	Not Applicable as Equity Shares are Infrequently Traded
E	Other Parameters	Year ended March 31, 2019
	Return on Networth (%)	1.85%
	Earning per Share (Rs. Per Share)	0.09
	Book Value per Share Rs.	5.06

4. The Fair Value of equity share of the Target Company is Rs. 12.22/- (Rupees Twelve and Paisa Twenty Two only) as certified by CA Pravin Chandak (Membership No. 049391), Partner of Pravin Chandak & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 116627W), having their office situated at 403, 4th Floor, & 702/703, 7th Floor, New Swapnalok CHS Ltd, Natakwala Lane, Borivali (West), Mumbai, Maharashtra, India, Tel.No.+91-22-28016119; Email: info@pravinca.com, vide valuation certificate dated December 16, 2019. The said valuation is done considering the Supreme Court's decision in the Hindustan Lever Employee's Union vs. Hindustan Lever Ltd. (1995) reported at (83 Companies Cases 30).
5) Based on the information above, the Manager to the Offer and Acquirer alongwith PAC confirm that the Offer price of Rs.25/- (Rupees Twenty Five Only) per fully paid up equity share is justified in terms of Regulation 8(2) (e) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
6) There have been no corporate actions in the Target Company warranting adjustment of relevant price parameters.
7) In the event of further acquisition of Equity Shares of the Target Company by the Acquirer & PAC during the offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. However, Acquirer & PAC shall not be acquiring any Equity Shares of the Target Company after the third working day prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period.
8) If the Acquirer & PAC acquires Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the tendering period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirer and PAC shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all shareholders whose shares have been accepted in Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under an open offer as per the SEBI (SAST) Regulations, 2011, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchange, not being negotiated acquisition of shares of the Target Company whether by way of bulk / block deals or in any other form.
9) As on date, there is no revision in Open Offer Price or Open Offer Size. In case of any revision in the Open Offer Price or Open Offer Size, the Acquirer& PAC shall comply with Regulation 18 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 and all other applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011 which are required to be fulfilled for the said revision in the Open Offer Price or Open Offer Size.
10) If there is any revision in the offer price on account of future purchases / competing offers, it will be done only up to the period prior to three working days before the date of commencement of the tendering period and would be notified to the shareholders.

IV. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Assuming full acceptance, the total funds requirement to meet this Offer is Rs. 44,54,975/- (Rupees Forty Four Lakhs Fifty Four Thousand Nine Hundred Seventy Five Only).
2. The Networth of the Acquirer as on Rs. 20,76,57,295/- (Rupees Twenty Crores Seventy Six Lakhs Fifty Seven Thousand Two Hundred Ninety Five Only) and the same is certified by Mr. Pravin Chandak, Chartered Accountant, Partner, Pravin Chandak & Associates, Chartered Accountants (Membership No. 049391; Firm Registration No. 116627W; UDIN:19049391AAAAGD2635) vide his certificate dated December 10, 2019. He has sufficient liquid funds as on date to fulfill his monetary obligations under this Open Offer.
3. In accordance with Regulation 17(1) of the Takeover Regulations, the Acquirers have opened an escrow cash account bearing Account No. 9314215735 (Escrow Cash Account") with Kotak Bank, acting for the purpose of this agreement through its branch situated at 27 BKC, 2nd Floor, Plot No C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 and have made a cash deposit of Rs. 12,00,000 (Rupees Twelve Lakhs Only) in the Escrow Cash Account. The cash deposited in Escrow Cash Account represents more than 25% of the total consideration payable to the Equity Shareholders under this Offer. The Acquirer has empowered the Manager to the Offer to operate and to realize the value of the Escrow Account in terms of Regulation 21(1) of the SEBI (SAST) Regulations.
4. In case of any upward revision in the Offer Price or the size of this Offer, the value in cash of the Escrow Amount shall be computed on the revised consideration calculated at such revised offer price or offer size and any additional amounts required will be funded by the Acquirer, prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the Takeover Regulations.
5. Based on the above, Navigant Corporate Advisors Ltd, Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to implement the offer in full accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

V. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As of the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required by the Acquirer to complete this Offer. However, in case of any such statutory approvals become applicable at a later date before the expiry of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such statutory approvals.
2. If any of the public shareholders of the Target Company that are not resident in India (such NRIs, OCBs and FIIs) require any approvals inter-alia from the Reserve Bank of India or any regulatory body for the transfer of any Equity Shares to the Acquirer, they shall be required to submit such approval along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. If such approval is not submitted, the Acquirer reserves the right to reject the Equity Shares tendered by such shareholders that are not resident in India.
3. Subject to the receipt of statutory and other approvals, if any, the Acquirer shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within 10 working days from the date of expiry of the tendering period to those Equity Shareholders whose share certificates and/or other documents are found valid and in order and are accepted for acquisition by the Acquirer.
4. In terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer shall be responsible to pursue all statutory approvals required by the Acquirer in order to complete the Open Offer without any default, neglect or delay. In case of delay in receipt of any statutory approval, the SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirer or the failure of the Acquirer to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirer agreeing to pay interest to the shareholders as directed by the SEBI, in terms of regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirer in obtaining the requisite approvals, regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.
5. In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, if any of the conditions precedent and other conditions as stated in the SPA and Share Sale/Purchase Confirmation or approvals mentioned in paragraph VI (1) and (2) are not satisfactorily complied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirer have a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within two (2) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be filed with SEBI, the Stock Exchange and the registered office of the Target Company.

VI. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Activity	Day and Date
Public Announcement (PA)	December 20, 2019, Friday
Publication of DPS in the newspapers	December 30, 2019, Monday
Filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	January 06, 2020, Monday
Last date for a Competitive bid	January 20, 2020, Monday
Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	January 27, 2020, Monday
Identified Date*	January 29, 2020, Wednesday
Letter of Offer to be dispatched to shareholders	February 05 , 2020, Wednesday
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	February 10, 2020, Monday
Last date for revising the Offer price/ number of shares	February 11, 2020, Tuesday
Date of publication of Offer Opening Public Announcement	February 11, 2020, Tuesday
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	February 12, 2020, Wednesday
Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	February 27, 2020, Thursday
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	March 13, 2020, Friday

** The Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders as on such date to whom the letter of offer ("Letter of Offer") would be mailed. It is clarified that all the equity shareholders of the Target Company (registered or unregistered) of the equity shares of the Target Company (except the Acquirer, Sellers and promoter group shareholders of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of this Offer.*

VII. ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE OFFER AND PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All the shareholders of the Target Company except the parties to SPA, whether holding the shares in physical form or dematerialized form, registered or unregistered, are eligible to participate in this Offer at any time during the tendering period of this Offer.
2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Draft Letter of Offer, may also participate in this Offer.
3. The Open Offer will be implemented by the Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited (BSE) in the form of separate window (Acquisition Window) as provided under the SEBI SAST Regulations and SEBI Circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by SEBI.
4. BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.
5. The Acquirer has appointed Buying Broker for the Open Offer through whom the purchases and the settlement of the Open Offer shall be made during the tendering period. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Kantilal Chhaganlal Securities Private Limited
Address: A wing, 2nd Floor, Vilco Centre, Near Garware House, 8 Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai-4000057, Maharashtra
Contact Person: Mr. Ajay Shah, **Tel.:** 022 67236000, **Fax:** 022 67236088,
E-mail: compliance@kcsecurities.com, **Website:** www.kcsecurities.com

The facility for acquisition of shares through Stock Exchange mechanism pursuant to Offer shall be available to the Stock Exchange in the form of a separate window (Acquisition Window).

6. All the shareholders who desire to tender their shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock broker ("Selling Broker") during the normal trading hours of the secondary market during tendering period.

VIII. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER.

IX. OTHER INFORMATION

1. The Acquirer, PAC, Sellers and the Target Company have not been prohibited by SEBI from dealing in securities under directions issued pursuant to Section 11B or under any other regulations made under SEBI Act.
2. The Acquirer & PAC accept full responsibility for the information contained in this DPS & PA and also for the obligations of the Acquirer & PAC laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereto.
3. Pursuant to regulation 12 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the Acquirer has appointed, Navigant Corporate Advisors Limited, as the Manager to the Offer.
4. The Acquirer has appointed Link Intime India Pvt. Ltd as the Registrar to the Offer, having office at C 101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083, Maharashtra, India; Tel. No.: +91-22-4918 6200; Fax No.: +91-22-4918 6195; Website: www.linkintime.co.in; E-mail:alanscott.openoffer@linkintime.co.in, Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande.
5) This DPS is being issued on behalf of the Acquirer & PAC by the Manager to the Offer.
6) This DPS will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER MR. SURESHKUMAR PUKHRAJ JAIN AND THE PAC MR. PRANAV DANGI

Navigant

Navigant Corporate Advisors Limited
Contact Person: Mr. Sarthak Vijani,
Address: 423, A Wing, Bonanza,, Sahar Plaza Complex,
J B Nagar, Andheri Kurla Road,, Andheri East, Mumbai-400 059; Maharashtra, India.
Tel. No.: +91-22-41204837; **Email:** navigant@navigantcorp.com ;
SEBI Registration No.: INM000012243

Place : Mumbai
Date : December 28, 2019

www.readwhere.com

जनसत्ता

30 दिसंबर, 2019

प्याज के आंसू

तीन महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन प्याज के दाम सवा सौ से डेढ़ सौ रुपए किलो के बीच बने हुए हैं। देश के ज्यादातर शहरों में प्याज इसी भाव बिक रहा है। हालांकि सरकार एक नहीं, कई बार यह दावा कर चुकी है कि लोगों को कम दाम पर प्याज मुहैया कराने की दिशा में इसके आयात सहित कई कदम उठा रही है, लेकिन डेढ़ सौ रुपए किलो का भाव सरकार के इन दावों की कलई खोलने के लिए काफी है। जाहिर है, सरकारी प्रयासों का कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है। तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान जैसे देशों से प्याज खरीदने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आयातित प्याज के साथ बड़ी दिक्कत यह सामने आई है कि लोग इसे खरीद नहीं रहे। दरअसल, भारतीय परिवारों में देशी प्याज ही खाया जाता है और लोग इसके स्वाद के आदी हैं। अफगानिस्तान और तुर्की से जो प्याज आ रहा है, वह बेस्वाद तो है ही, उसका छिलका भी मोटा है और एक प्याज तीन सौ-चार सौ ग्राम तक का है। ऐसे में जो व्यापारी अपने स्तर पर इसका आयात कर रहे हैं, उनके सामने भी यह संकट खड़ा हो गया है कि जब लोग ले नहीं रहे तो इसे कहां खपाया जाए।

भारत में इस साल प्याज उत्पादक राज्यों में भारी बारिश से फसलें चौपट हो गईं थीं। इस कारण प्याज की पैदावार में भारी गिरावट आई और इसका नतीजा यह हुआ कि मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर बन गया। ऐसे में दाम चढ़ते चले गए। प्याज महंगा होने के पीछे सबके अपने-अपने तर्क हैं। कारोबारी कह रहे हैं कि देश में प्याज का स्टॉक काफी कम है, नई फसल आने में अभी वक्त है। हालांकि यह चक्र हर साल का है। अक्तूबर-नवंबर में नई फसल आने से पहले प्याज का स्टॉक कम ही रहता है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा फायदा जमाखोर उठाते हैं। सरकारें भी इस बात को अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि सरकारें प्याज का पर्याप्त भंडार होने का दावा करती रहती हैं, फिर भी बाजार में किल्लत बनी रहती है। सरकारी दुकानों और भंडारों से रियायती दामों पर प्याज बेचने की योजनाएं भी चलाई जाती हैं। पर यहां भी जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले पीछा नहीं छोड़ते और सस्ता प्याज लेकर महंगा बेचने का खेल करते रहते हैं।

देश में प्याज की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने सबसे पहले इसके निर्यात पर पाबंदी लगाई थी, ताकि देश में मांग पूरी की जा सके। हालांकि भारत में प्याज की पैदावार काफी होती है और भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों को निर्यात भी करता है। लेकिन प्याज का यह संकट हर तीन-चार महीने में एक झटका दे जाता है। प्याज ऐसी खाद्य वस्तु है जिसका लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता और आलू से भी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में जब यह पता है कि बार-बार प्याज की किल्लत होती है और इसके बढ़ते दाम लोगों के आंसू निकालते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा बंदोबस्त किया जाता जिससे इसकी आपूर्ति में बहुत ज्यादा असंतुलन पैदा न हो। अगर आलू, प्याज, टमाटर जैसी चीजें साल में चार बार भी महंगी होती हैं, तो इसका दोष सिर्फ फसल को नहीं दिया जा सकता। कहीं न कहीं हमारी नीतियां और प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

सर्दी का सितम

पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। सर्दी के पुराने रिकार्ड टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इस बार दिसंबर की सर्दी ने एक सौ बारह साल का रिकार्ड तोड़ डाला। शनिवार को दिल्ली में अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में तापमान शून्य नीचे बना हुआ है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान की वजह से हालात ज्यादा गंभीर हैं। नदी-नाले जम गए हैं। मैदानी इलाकों में भी कई जगह पारा शून्य से नीचे है। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान शून्य के करीब पहुंच जाने से पानी जमने लगा है। उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों का तापमान शिमला से भी कम हो गया है। इसी के साथ कोहरे की मार भी पड़ रही है। कई जगह घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों में लोग मारे गए हैं। ये हालात बता रहे हैं कि चाहे पहाड़ी क्षेत्र हों या मैदानी, कड़ाके की ठंड ने हर जगह लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तेज ठंड में मरीजों खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों की हालत बिगड़ती है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगती है। सर्दी से होने वाली मौतों के आंकड़े का तो सही-सही पता ही नहीं लगाया जा सकता। इन सबसे तो लगता है कि सर्दी का मौसम कहीं ज्यादा ही मुश्किलों भरा होता जा रहा है।

मौसम की ये मार अभी तो शुरू हुई है। ऐसा मौसम मकर संक्रांति तक रहता है। सर्द हवाएं, बर्फबारी, बारिश, इनसे होने वाली मुश्किलें और नुकसान कोई अब कोई नई बात नहीं रह गई हैं। नई बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ठंड की अवधि और तीव्रता दोनों में बदलाव आया है। हर साल सर्दी किसी न किसी रूप में पिछले रिकार्ड को तोड़ रही है। कभी किसी दिन के अधिकतम या न्यूनतम तापमान को लेकर, तो कभी बर्फवारी के वक्त को लेकर। करीब तीन दशक पहले तक तो सर्दी की अवधि औसतन चार सा पांच महीने रहती थी, लेकिन अब सर्दी कुछ दिन ही पड़ती है, लेकिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मारक हो गई है। आमतौर पर दिसंबर का महीना भी कड़ाके की ठंड का अहसास नहीं कराता, अक्तूबर और नवंबर के महीने में तो पंखे चलते हैं। लेकिन इस बार दिसंबर के तापमान ने सदी का रिकार्ड तोड़ डाला। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का समय भी बदला है। दरअसल मौसम चक्र बदल रहा है, इसी से मौसम का मिजाज भी बदला है और इससे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है।

सवाल सर्दी के मौसम में होने वाली उन समस्याओं को लेकर है जिनका हम हर साल सामना करते हैं। लेकिन अगली बार वैसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते। इसी कड़ाके की ठंड में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, जिन्हें सरकारी रैनबसेरों तक में जगह नहीं मिलती, खाना तो दूर। सर्दी जनित बीमारियां गरीब लोग इसलिए नहीं झेल पाते कि उनके पास अस्पताल जाने तक के भी पैसे नहीं होते। ऐसे में गरीब को सर्दी मारती है। दिल्ली जैसे दूसरे शहरों में ठंड इसलिए भी ज्यादा घातक साबित हो रही है क्योंकि ये शहर गंभीर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, इनकी हवा जहरीली हो चुकी है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। ऐसे में सर्दी से बचाव के उपाय ज्यादा जरूरी हैं जो हम कर नहीं पाते।

कल्पमेधा

धर्म एक भ्रमपूर्ण सूर्य है, जो मनुष्य के गिर्द तब तक घूमता रहता है, जब तक मनुष्य मानवता के गिर्द नहीं घूमता।

– कार्ल मार्क्स

बुजुर्ग आबादी का संकट

नरपत दान चारण

मौजूदा तकनीकी दौर में जीवन यांत्रिक हो गया है और बुजुर्ग हाशिए पर कर दिए गए हैं। संयुक्त परिवार प्रथा विलुप्त होती जा रही है। आज वृद्धाश्रमों में जूझते लोगों की पीड़ा किसी से छिपी नहीं है। युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में बढ़ते फासले से बुजुर्ग तिरस्कार और अपमान के बीच जीने को मजबूर हैं। वृद्धाश्रम का होना उनके जीवन के कड़वे समय को दर्शाता है।

हाल में संसद सत्र के दौरान लोकसभा में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पुत्रवधू और दामाद को बच्चों की परिभाषा की परिधि में लाने की बात भी कही गई है। इसका मकसद माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की ओर से भरण-पोषण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों के शीघ्र निपटान का उपबंध करना है। इसके तहत प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पुलिस यूनिट का गठन करने, प्रत्येक थाने में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शीर्ष अधिकारी नियुक्त करने और वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन रखने की बात कही गई है। वहीं अपने बुजुर्गों की सही से देखभाल नहीं करने के वाले लोगों की सजा भी दोगुनी कर दी गई है। यहां देखभाल शब्द को भी परिभाषित किया गया है, जिसमें रहने का इंतजाम और सुरक्षा देने को शामिल किया गया है। रखरखाव की राशि को वरिष्ठ नागरिक, परिजन, बच्चे और रिश्तेदारों की कमाई के आधार पर तय किया जाएगा।

नए विधेयक में रखरखाव के लिए दी जाने वाली दस हजार रुपए राशि की ऊपरी सीमा को अब हटा दिया जाएगा। साथ ही किसी भी अपील को पंचाट में जाने के नब्बे दिन के भीतर निपटाने की व्यवस्था की गई है। अगर वरिष्ठ नागरिक की उम्र अस्सी साल से ज्यादा है तो उस स्थिति में ऐसे आवेदन को साठ दिन में निपटाना जरूरी होगा। बच्चों, दामाद या बहू द्वारा उपेक्षा किए जाने पर बुजुर्ग न्याय पाने के लिए भरण-पोषण अधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। देखने वाली बात है कि हम विश्व में बुजुर्गों की जनसंख्या के लिहाज से भी दूसरे नंबर पर है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक भारत की बीस फीसद आबादी बूढ़ी हो जाएगी, जो अभी छह फीसद है। बढ़ती उम्र के साथ अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। साथ ही पुराने रोग हरे हो जाते हैं। हमारे देश में बुजुर्गों की समस्याओं को कुछ बिंदुओं के माध्यम से एक सीमा तक ही समझा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर के एक सर्वेक्षण के अनुसार बुजुर्गों की अस्सी फीसद आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। इस कारण उन तक पर्याप्त सेवाएं नहीं पहुंच पातीं। हमारे तीस फीसद बुजुर्ग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं।

देश में बुजुर्गों के प्रति समाज और सरकार दोनों का उपेक्षित रवैया रहा है। प्राचीन समय से भारतीय समाज में बुजुर्गों का हमेशा एक सम्मानीय स्थान रहा है। लेकिन एक मार्गदर्शक और पारिवारिक मुखिया होने के नाते जो सम्मान बुजुर्गों को मिलता था, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। अनुभव को अमूल्य पूंजी समझने वाला समाज ही अब इनके प्रति बुरा बर्ताव भी करने लगा है। बाजारवाद और उदारीकरण के चलते समाज में बुजुर्गों का सम्मान भी कम हुआ है। उपभोक्ता समाज में बुजुर्ग 'खोटा सिक्का' समझे जाने लगे हैं।

भारतीय संस्कृति में परिवार के बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आदर की भावना रखना और उनकी हर सुख-सुविधाओं का हर समय ध्यान रखना हमारी प्राचीन परंपरा रही है। चाहे पारिवारिक समारोह हो, त्योहार हो या कोई शुभ कार्य, हर उस कार्य से पहले घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना, मार्गदर्शन या आशीर्वाद लिया जाना आवश्यक माना जाता था। लेकिन मौजूदा तकनीकी दौर में जीवन यांत्रिक हो गया है और बुजुर्ग हाशिए पर कर दिए गए हैं। संयुक्त परिवार प्रथा विलुप्त होती जा रही है। आज वृद्धाश्रमों में जूझते लोगों की पीड़ा किसी से छुपी नहीं है। युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में बढ़ते फासले से बुजुर्ग तिरस्कार और अपमान के बीच जीने को मजबूर हैं। वृद्धाश्रम का होना उनके जीवन के कड़वे समय को दर्शाता है।

बुजुर्गों की इस स्थिति के लिए यहां किसी को भी जिम्मेदार ठहराना समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन इसके लिए इसके कारणों पर ध्यान दिया जाए तो समाधान निकलना भी कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी रिश्ते की पहली शर्त होती है कि आपसी तालमेल और परवरिश, जो रिश्तों को सुधारने के लिए जरूरी हैं। कभी-कभी बुजुर्गों द्वारा ज्यादा सख्ती बरतना बच्चों को अखरता है। लेकिन ऐसे में आवेश में आने की बजाय उन बुजुर्गों की बातों को सहजता से सुनने और उसके अनुरूप उनकी इच्छाओं को भी एक दायरे में रहते हुए महत्व देना चाहिए। कामकाजी पुरुष और महिला अगर घर का पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं और बुजुर्गों की देखभाल करने में असमर्थता जाहिर करते हैं, तो ऐसे उन्हें कम से कम बुजुर्ग माता-पिता के प्रति व्यवहार को नहीं बदलना चाहिए। उन्हें संबल और सहानुभूति देनी चाहिए। उनकी सेवा के लिए किसी सेवक को रखा जा सकता है। वृद्धावस्था में बुजुर्गों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। उनके साथ समय बिताने की जरूरत होती है। यह भी सोचने की बात है कि जिन माता पिता ने जन्म दिया और फिर पाल-पोस कर काबिल बनाया, तो उनके प्रति दुर्भावना रखना या उनसे अलगाव रखना बहुत ही दुखद बात है। बहुत तकलीफ देह होता है बुढ़ापे की स्थिति में सड़कों पर किसी से भीख मांगते देखना, किसी लोकल ट्रेन में भारी भरकम बोझ उठाए फेरी लगाते देखना, अपमान का घूंट पीकर अपने जीवन को ढोना या फिर अपने आप को गिरवी रख कर वृद्धाश्रम की ऊंची दीवारों को नापना। ऐसी स्थिति परिवार और समाज के पतन की ओर भी इशारा करती है।

संभवतः परिवार के भीतर बुजुर्गों की ऐसी स्थिति और बच्चों के साथ मनमुटाव के लिए दो अलग पीढ़ियों की अलग सोच और परिस्थितियों के प्रति भिन्न दृष्टिकोण उत्तरदायी है। इस अंतर को दूर करने के बाद परिवार के बुजुर्गों और अन्य सदस्यों के बीच की खाई को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही, बच्चों को यह अहसास दिलाया जा सकता है कि जिन अभिभावाकों को वे व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए भूलते जा रहे हैं, उनके बिना कोई भी खुशी और परिवार की संरचना अधूरी ही रहेगी। इसलिए स्वार्थ भावना को त्याग कर कुछ समय के लिए अपने माता-पिता की खुशी में शामिल होकर उनके लिए अपनी भावनाओं का इजहार करने की ओर ध्यान दिया जाए तो जीवन का सही आनंद और औचित्य समझ में आ सकता है। शारीरिक समस्या वृद्धों की सबसे बड़ी समस्या होती है। फिलहाल हमारे देश में बुजुर्गों में गैर संक्रामक रोगों एवं किसी न किसी प्रकार की विकलांगता की समस्या सबसे ज्यादा है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि वृद्धों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली बुजुर्गों में बढ़ती अल्झाइमर, डिमेंशिया आदि से निपटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इस प्रकार के रोगियों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। ऐसे मामलों में स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त तो हैं ही, साथ ही अस्पताल में भर्ती होने का खर्च भी बहुत ज्यादा है। भारत के मानव विकास सर्वे, 2015 के अनुसार 2005-12 के दौरान पुराने एवं असंक्रामक रोगों से पीड़ित बुजुर्गों की संख्या दुगुनी हो गई। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है।

बुजुर्गों के हितों के प्रति जापान सरकार के प्रयासों से सबक लिया जा सकता है। जापान ने 'केयर होम' यानी देखभाल केंद्र का रास्ता निकाला है। प्रतिदिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अस्पतालों के डॉक्टर या नर्स बुजुर्गों से दिन में दो-तीन बार उनका हालचाल और दवाई लेने के बारे में पूछते रहते हैं। भारत में आज स्वास्थ्य सेवाओं में भी नवाचार की आवश्यकता है। इन सबके बावजूद गरीबी से जूझ रहे बुजुर्ग तो अपने उद्धार के लिए सरकार की ओर ही आस लगाए बैठे रहते हैं।

सुख में दुख

सूर्यप्रकाश चतुर्वेदी

दुनिया मेरे आगे

लोग जितना अपने दुख से दुखी होते हैं, उससे ज्यादा वे आमतौर पर दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं। मसलन, अगर किसी के पास अधिक पैसा, संपत्ति और वैभव है और हमारे पास नहीं है तो हमें उसका सुख बर्दाश्त नहीं होता। जो हमारे पास है, उससे संतुष्ट रहने और खुश रहने के बजाय हम जो उसके बारे में सोच कर दुखी होते हैं, हमारे पास नहीं है। क्या यह नकारात्मक सोच नहीं है?

यह सोचने की जरूरत है कि अगर हमारे सभी अंग चुस्त-दुरुस्त हैं और हम पूरी तरह स्वस्थ हैं और कोई दवाई भी नहीं लेते, बढ़ी उम्र में भी अपने सारे शारीरिक और मानसिक कार्य कर लेते हैं तो हम भाग्यवान और सुखी हैं कि नहीं? अक्सर हम देखते हैं कि हमसे आधी उम्र के लोगों को रक्तचाप और मधुमेह है या फिर कोई असाध्य बीमारी है और उन्हें लगातार डॉक्टर और अस्पताल में चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन हमारा ध्यान उन पर जाने के बजाय वैसे लोगों पर जाता है, जिनके पास वह सब है जो हमारे पास नहीं है। यानी लोग अगर हमसे अधिक सुखी हैं तो कुछ लोग अधिक दुखी भी तो हैं। लेकिन हम सुखी लोगों की ओर ही देखते हैं, दुखी की ओर नहीं। यह असंतुलित दृष्टिकोण है और इसे सुधारे जाने की जरूरत है। वरना हमारा व्यक्तित्व ही बिगड़ जाएगा। दूसरे की कमीज हमारी कमीज से अधिक सफेद हो तो हम परेशान होते हैं और यह हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम अपनी कमीज को भी उतनी ही सफेद करने की कोशिश क्यों नहीं करते? जो मुमकिन है और हो सकता है वह हम जरूर करें। हम वजन तो कम कर सकते हैं, पर कद और लंबाई मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकते। यह मूल फर्क हमें समझना चाहिए।

किसी से कुढ़ कर तो हम अपना अहित करते हैं। इससे हमारी कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। साहस और मनोबल क्या चीज है इसका जीता जागता प्रमाण मुझे एक दिन देखने का अवसर मिला। मेरे घर के सामने मालिश केंद्र है, जहां हाथ-पैर की मोच और चोट के लिए लोग आते है। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति रिक्शे में आया, जिसका बायां पैर घुटने के नीचे से पूरा कटा हुआ था, जिसमें उसे मालिश करवा कर लेप लगवाना था। वह वॉकर के सहारे नीचे उतरा और अपने साथी के साथ मालिश के लिए गया। फिर उसी तरह वापस आया और जाने लगा। मैंने उससे पूछा कि उसके साथ क्या दुर्घटना हुई, जिसके कारण उसे पैर कटवाना पड़ा। उसने कहा कि करीब पंद्रह साल पहले एक रेल दुर्घटना में उसका आधा पैर कट गया था, तब से बिना शिकवे के वह इसी तरह अपना जीवन बिता रहा है। जब लोग इस जीवट और स्वाभिमान के साथ जीते हैं तो फिर तंदुरुस्त और सक्षम व्यक्ति क्यों दूसरों को देख कर कोफ्त में अपना ही जीवन कष्टप्रद बनाते हैं?

इसी तरह एक महिला बचपन से दृष्टिबाधित हैं और पिछले बीस वर्षों से अपने सारे काम खुद कर रही है। फिजियोथेरेपी भी करती हैं और कम्प्यूटर भी बखूबी चलाती हैं। जब लोग कष्ट में रहते हुए और दुखी होकर भी खुश रहते हैं तो हम सक्षम होकर भी क्यों दुखी होते हैं? एक व्यक्ति के दोनों पैर नहीं है। वह भी हम्मालों के बीच ट्रकों पर रस्सी फेंकने का काम करके अपनी आजीविका चलाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो टूटे नहीं और हिम्मत से जीते रहे।

जरूरी यह है कि हम अपनी क्षमता का आकलन करें और उसका पूरा दोहन करें। लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए सौ फीसदी योगदान दें। खुद की खूबी को पहचाने और उसका पूरा इस्तेमाल करें। जो कर सकते हैं उसे पूरी शिद्दत से करें। शंकाओं को दिमाग से निकाल दें। आखिर ऐसा क्यों है कि हमें लोगों को दुखी देखने में कोई हर्ज नहीं लगता है और जब किसी को सुखी देखते हैं तो अपने दुखी होने के बारे में सोचने लगते हैं! हम औरों को तो देखते हैं, पर खुद को नहीं देखते। सबसे मेल मुलाकात भी करते हैं, पर हमारी कभी खुद से मुलाकात ही नहीं होती। अकेले में कभी खुद से भी अगर मुलाकात करें और गौर करें कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या खोया और क्या पाया। यह तभी संभव है जब हम पूरी एकाग्रता से आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण करें। साहस के साथ अपने भीतर की ताकत और हौसले की पहचान भर करने की जरूरत है। काम मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जिंदगी में सबको सभी कुछ नहीं मिलता। किसी शायर की ये पंक्तियां याद आती है- कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता'! जो हमारे पास है और हमें मिला है, उसी का पूरा आनंद लेना चाहिए। इधर-उधर देख कर दुखी क्यों हों!

सजा का पैमाना

यह एक प्रचलित अवधारणा है कि समय और समाज के सभ्य होने के साथ दंड विधान भी अधिक नरम होते जाते हैं और क्रूरतम प्रकृति की सजा क्रमशः चलन से बाहर हो जाती है। यह धारणा इस बुनियाद पर टिकी है कि मानव समाज निरंतर सभ्य होता चलता है और एक सभ्य समाज में कोई ऐसा कानून शेष नहीं रहना चाहिए जो उस सभ्यता के अनुकूल न हो। प्राचीन भारत में भी मृत्युदंड की व्यवस्था थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक पूरा अध्याय उन सभी अपराधों की फेहरिस्त को समर्पित है, जिनके लिए प्राणदंड दिया जाना नियत था। मौर्य सम्राट अशोक ने पशुवध को तो तिरस्कृत किया, लेकिन मृत्युदंड पर रोक नहीं लगाई। विदेशी यात्रियों के संस्मरणों से भी प्राचीन भारत में मृत्युदंड की उपस्थिति का पता चलता है।

आधुनिक विश्व की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अब तक एक सौ एक देशों ने मृत्युदंड की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही तैंतीस देश ऐसे भी हैं जहां पिछले दस वर्षों से एक भी मृत्युदंड नहीं दिया गया है। लेकिन चालीस से अधिक ऐसे देश हैं जहां आज भी मृत्युदंड दिया जाता है। इनमें मुख्य हैं- चीन, पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और अरब देश। मृत्युदंड के समर्थन में प्रतिकारवादी से लेकर उपयोगितावादी तर्क तक दिए जाते रहे हैं। प्रतिकारवादी तर्क मुख्य रूप से प्रतिशोध से संचालित होता है। इसके अनुसार अपराधी ने जघन्य अपराध करके खुद को मृत्युदंड का भागी बनाया है। कांट के स्वतंत्र संकल्प का सिद्धांत और उपयोगितावादी दर्शन, दोनों ही मृत्युदंड के पक्ष में झुके दिखाई पड़ते हैं।

देखा जाए तो मृत्युदंड सुनाए जाने से लेकर आखिर में दिए जाने तक की एक लंबी अवधि अपराधी के परिवार के लिए भी यातनामय होती है। उसकी इस यातना के लिए कहीं न कहीं राज्य ही नैतिक रूप से जिम्मेदार होता है। मृत्युदंड से जुड़ा एक मसला यह भी है कि अगर राज्य जीवन दे नहीं सकता तो फिर जीवन समाप्त करने का उसे क्या नैतिक अधिकार है? ऐसे में आज जब सभ्यता के विकास के साथ मृत्युदंड को प्रतिस्थापित करने का संवाद होना चाहिए।

हाल के घटनाक्रम ने इस व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान कर दी है, जिसे बड़ा ही प्रचलित जामा पहनाया जा रहा हैं 'एनकाउंटर'। बात यही नही रुकती। इस समय की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम अपनी इस मृतक व्यवस्था पर तालियां भी ठोकने में नहीं हिचकते। बहरहाल, मृत्युदंड से जुड़ी बहस अपराधी के साथ ही खत्म नहीं हो जानी चाहिए, बल्कि अपराध को लेकर समाज की नैतिक जिम्मेदारी पर भी बहस होनी चाहिए। आतंकवाद या पाशविक बलात्कार एवं हत्या जैसी जिन घटनाओं पर मृत्युदंड की मांग सबसे मुखर होकर उठती है, उनकी जड़ें समाज की ही अन्यायपूर्ण और विभाजनकारी संरचनाओं और पितृसत्तात्मक और हिंसा के महिमामंडन से जुड़ी ग्रंथियों में होती हैं, जिनको जाने-अनजाने में समाज ही फूहड़ गीतों, हिंसक फिल्मों और राजनीतिक स्वीकारोक्ति देकर बढ़ावा देता है। इन पर चेतना, समाज को अपराध से जुड़े नैतिक उत्तरदायित्व से रूबरू कराएगी और भविष्य में मृत्युदंड जैसे दंड के औचित्य को ही समाप्त कर देगी। महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए मंत्र- 'नफरत अपराधी से नहीं, अपराध से होनी चाहिए' को मृत्युदंड के विषय में दिशासूचक यंत्र के रूप में देखा जा सकता है।

● *प्रशांत कुमार तिवारी, ईसीसी, प्रयागराज*

जनादेश के निहितार्थ

झारखंड के चुनावों में भाजपा को करारा झटका लगा। कुल 81 विधानसभा सीटों में महज 25 सीटें उसे मिल सकीं। बारह सीटों का उसे नुकसान उठाना पड़ा। अब यह सवाल स्वाभाविक है कि जिस भाजपा को झारखंड लोकसभा चुनाव चौदह में से बारह सीटें मिली थीं, उसे आखिर विधानसभा में इतनी बुरी तरह मुंह की क्यों खानी पड़ी। राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़े अनुभव कहते हैं कि भाजपा ने झारखंड में सत्ताईस फीसदी आदिवासी आबादी की उपेक्षा की, उसे कोई नेतृत्व नहीं दिया है, वहीं करीब दस-बारह दल-बदलुओं को टिकट दिए, जिससे उसे अपने लोगों का बागी होना देखना पड़ा।

पूरे चुनाव में स्थानीय मुद्दे को दरकिनार कर राष्ट्रीय मुद्दे को थोप दिया गया था। साथ ही आदिवासी इलाकों में जमीन संरक्षण कानून को बदलना भी भारी पड़ा। जल, जंगल और जमीन की अवहेलना तथा सत्ता विरोधी लहर भी हार की वजह बनी। विडंबना देखिए कि जो पार्टी देश के इकहत्तर फीसदी भूभाग पर अपनी राज्य सरकारों के जरिए शासन करती थी, आज सिर्फ बयालीस फीसदी पर सिमट गई है। एक साल में पांच बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी ने गंवाए। गौरतलब तो है कि आम लोगों को आज के दिन में दो जून की रोटी के अवसर और अमन-चैन वाला माहौल चाहिए, आसमान छूती महंगाई से मुक्ति चाहिए, न कि विवादित पहलुओं पर माथा-पच्ची और हिंसा-प्रतिहिंसा। एक जमाने में इंदिरा गांधी जब दक्षिणी राज्यों में हारने लगी थीं, तब क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ उन्हें सत्ता साझा करनी पड़ी थी।

खैर, अब जब जनादेश भाजपा के विरुद्ध गई है तो उससे जुड़े विचारकों के लिए सोचने का वक्त है कि चुनाव के दौरान गणितीय समीकरण पर दिमाग लगाने के बजाय क्षेत्रीय रासायनिक समीकरण पर भी को भी भांपना जरूरी होता है। इन दोनों के बीच की खाई ही पराजय का कारण बनती है जो झारखंड जनादेश में दिखा।

● *हर्ष वर्द्धन कुमार, कदमकुआं, पटना*

जल जीवन

उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के कई इलाकों में गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अटल भूजल योजना की शुरुआत आने वाले समय में एक अच्छा प्रयास साबित होगी। हर साल सूखे से देश के कई राज्यों के करीब आठ हजार से अधिक गांवों में लोगों को पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। इस योजना के अमल मे आने के बाद देश के सात राज्यों को इसका फायदा मिलेगा। भूजल स्तर बढ़ने से पीने के पानी के साथ ही कृषि क्षेत्र मे इजाफा होगा और लोग खुशहाल होंगे।

● *संजय डागा, इंदौर, मध्यप्रदेश*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

एनआरसी भारत का आंतरिक मामला : बीजीबी महानिदेशक

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) के प्रमुख ने रविवार को यहां कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह भारत सरकार का आंतरिक मामला है और दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय है। बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बल भारत में अवैध लोगों के प्रवेश को रोकना जारी रखेगा।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बताया कि इस्लाम की अगुआई में बीजीबी का एक शिष्टमंडल अपने समकक्षों से महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता के भारत के दौरे पर है।

एनआरसी मुद्दे पर टिप्पणी मांगे जाने पर जनरल इस्लाम ने कहा कि यह पूरी तरह भारत सरकार का आंतरिक मामला है। महानिदेशक से जब बांग्लादेश समेत तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना झेलने वाले गैर मुसलिमों को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। संसद से सीएए पारित होने के बाद प्रदर्शनों पर बीजीबी प्रमुख ने कहा, 'मैं कहूंगा कि दोनों बलों (बीएसएफ और बीजीबी) के बीच समन्वयन एवं संबंध बहुत अच्छे हैं।'

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बीजीबी सैनिक द्वारा एक जवान की हत्या किए जाने को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बीजीबी के डीजी ने कहा यह, 'दुखद, अनुचित और अनपेक्षित' घटना थी। उन्होंने कहा कि जांच अब भी जारी है...हम जरूरी कदम उठाएंगे।' बीएसएफ के महानिदेशक वीके जौहरी ने कहा कि घटना अनपेक्षित एवं दुर्भाग्यपूर्ण थी और इससे कुछ सबक लेने होंगे। जौहरी ने कहा कि हम बांग्लादेश से लगने वाली सीमा के पास हुई इस घटना के मद्देनजर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं।

अलाव लखनऊ के सब्जी बाजार में रविवार को अलाव सेंकते लोग।

फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए अमिताभ

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को रविवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया।

इससे पहले बच्चन को गत सोमवार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह सम्मान प्राप्त करना था लेकिन अस्वस्थता के कारण 77 वर्षीय अभिनेता इस समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की थी कि रविवार को एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति बच्चन को इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे।

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत दस लाख रुपए नकद, स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल प्रदान की जाती है। हिंदी फिल्म जगत में वर्ष 1969 में 'सात हिंदुस्तानी' फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बच्चन अपनी पत्नी व सांसद जया बच्चन और पुत्र अभिषेक बच्चन के साथ समारोह में शामिल हुए। पांच दशक के अपने फिल्मी करियर में बच्चन शीर्ष पर बने रहे और फिल्मों में यादगार काम के जरिए अपने प्रशंसकों को विस्मित करते रहे।

9.5 एकड़ में बनेगा नया संसद भवन

डीडीए ने भू उपयोग में प्रस्तावित बदलाव की अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना आकार लेने लगी है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की इस योजना के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच लगभग तीन किमी क्षेत्र में 100 एकड़ से अधिक जमीन पर संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा।

मंत्रालय ने इस योजना के डिजायन के लिए गुजरात की आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी कंपनी 'एचसीपी डिजायन' का चयन करने के बाद तीनों योजनाओं के लिए जमीन चिह्नित करने का काम पूरा कर लिया है। इसके तहत 9.5 एकड़ जमीन संसद भवन की नई इमारत के लिए, 76.6 एकड़ जमीन केंद्रीय सचिवालय और 15 एकड़ जमीन आवास निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में जमीन के मामलों का प्रबंधन करने वाली केंद्रीय एजंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इस इलाके में लगभग 100 एकड़ जमीन को सात प्लॉट में बांट कर इनके मौजूदा भू-उपयोग में प्रस्तावित बदलाव की अधिसूचना 21 दिसंबर को जारी कर दी। डीडीए ने इस पर लोगों से 30 दिन के भीतर सुझाव या आपत्तियां मांगी हैं।

गौरतलब है कि इसकी पूर्व निर्धारित कार्ययोजना के तहत मौजूदा संसद भवन और प्रमुख मंत्रालयों से जुड़ी इमारतें, नॉर्थ ब्लॉक एवं साउथ ब्लॉक यथावत रहेंगी। समय की मांग के मुताबिक जरूरतें पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही संसद भवन की मौजूदा इमारत के सामने ही 9.5 एकड़ जमीन पर संसद की नयी इमारत और विभिन्न स्थानों पर बिखरे सभी केंद्रीय मंत्रालयों को एक ही स्थान पर बनाने के लिए 76.6 एकड़ जमीन पर भव्य और विशाल केन्द्रीय सचिवालय बनाने की योजना है।

अधिसूचना के अनुसार, डीडीए ने संसद भवन की नई इमारत के लिए जिस प्लाट संख्या-दो का भू उपयोग बदलने का प्रस्ताव दिया है वह मौजूदा संसद भवन के पीछे उत्तर में रेड क्रॉस रोड, दक्षिण में रायसीना रोड और पश्चिम में संसद भवन तक 9.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है।

मंत्रालय ने हालांकि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास को केंद्रीय सचिवालय के आसपास बनाने की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ही प्रधानमंत्री आवास भी बनाया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास अभी लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है।

डीडीए की अधिसूचना में सिर्फ एक प्लाट (प्लाट संख्या सात) का भू उपयोग बदलकर 'आवासीय' करने का प्रस्ताव है। यह प्लाट उत्तर में साउथ ब्लॉक, दक्षिण में दारा शिकोह रोड, पूर्व में साउथ ब्लॉक का हिस्सा और पश्चिम में राष्ट्रपति भवन के दरम्यान 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। अधिसूचना में अलग-अलग क्षेत्रफल के प्लाट संख्या एक, तीन, चार, पांच और छह का भू-उपयोग सरकारी कार्यालय एवं मनोरंजन पार्क में तब्दील करने का प्रस्ताव है। इनमें डीटीसी के केंद्रीय टिंमनल बस स्टैंड से चर्च रोड, नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के बीच 15 एकड़ का प्लाट संख्या एक, राजेन्द्र प्रसाद रोड से लेकर पश्चिम में शास्त्री भवन और पूर्व में जनपथ के बीच राष्ट्रीय अभिलेखागार तक 7.7 एकड़ का प्लाट संख्या तीन और राजेंद्र प्रसाद रोड के दक्षिण और जनपथ के पूर्व में मानसिंह रोड तक 24.7 एकड़ में फैला प्लाट संख्या चार शामिल है।

कोटा में 77 नवजात शिशुओं की मृत्यु पर लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता जताई

जयपुर, 29 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के जेकेलोन अस्पताल में 77 नवजात शिशुओं की असमय मृत्यु पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार को मामले में संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

लोकसभा अध्यक्ष ने रविवार को कोटा के जेकेलोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय एवं न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिरला ने ट्वीट किया, 'संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी के जेकेलोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय एवं न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 48 घंटे में 10 नवजात शिशुओं की असमय मृत्यु दुखद एवं पीड़ादायक है। घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पर्याप्त चिकित्सकीय इंतजाम करने के निर्देश दिए।' उन्होंने अगला ट्वीट किया, 'कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के सबसे बड़े चिकित्सालय में 24 दिनों में 77 नवजात शिशुओं की असमय मृत्यु होना गंभीर चिंता का विषय है, राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य करे जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।'

उन्होंने कहा, 'चिकित्सकीय उपकरणों एवं संसाधनों की कमी के कारण किसी भी शिशु की असमय मौत होना चिंताजनक है। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार जनसहयोग से अगले 15 दिन में आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।' राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कोटा के जेकेलोन अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत के मामले में उच्चस्तरीय बैठक कर मामले की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के सभी अस्पतालों में नवजात बच्चों की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा समुचित देखभाल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गहन निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोटा के जेकेलोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में विशेषज्ञ चिकित्सकों और विषय विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में नवजातों की मौत के मामलों में कमी लाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

श्रमिक कर सकेंगे पोर्टल पर शिकायत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के साथ ही जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अगले महीने नया पोर्टल 'संतुष्ट' शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। शुरू में यह पोर्टल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) व स्वास्थ्य और बीमा सेवा प्रदाता ईएसआईसी द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करेगा।

बाद में पोर्टल मंत्रालय की अन्य इकाइयों के कार्यों को शामिल करेगा। इसमें हरेक अधिकारी के कामकाज का आकलन का वास्तविक समय आधारित आंकड़ा भी होगा। कर्मचारी और नियोक्ता अपनी शिकायतें पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसकी निगरानी आंतरिक प्रकोष्ठ करेगा। इसमें पांच से छह अधिकारी होंगे। फिलहाल मंत्रालय 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं- वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थिति में श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया में है। मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को उम्मीद है कि चारों संहिताएं 2020 में अमल में आ जाएंगी। मंत्रालय चारों श्रम संहिताओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहता है जो 2020 में वास्तविक रूप ले सकते हैं। रोजगार सृजित करने और मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल को लेकर कर्मचारियों की सुरक्षा, अधिकारों और सुविधाओं के लिए सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है।

सीएए का समर्थन करने पर बसपा विधायक पार्टी से निलंबित

भोपाल, 29 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का समर्थन करने पर बसपा प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश की अपनी विधायक रमाबाई को रविवार को पार्टी ने निलंबित कर दिया है।

रमाबाई मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया सीट से बसपा विधायक हैं। मायावती ने ट्वीट किया, 'बसपा अनुशासित पार्टी है और अनुशासन तोड़ने पर पार्टी के सांसद/विधायक आदि के विरुद्ध भी तुरंत कार्रवाई की जाती है।' उन्होंने लिखा, 'इसी क्रम में मध्य प्रदेश में पथरिया से बसपा विधायक रमाबाई परिहार द्वारा सीएए का समर्थन करने पर उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।

आठ लोगों को कार ने कुचला, तीन की मौत

चंडीगढ़, 29 दिसंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के जींद जिले के गांव रामगढ़ के समीप बस अड्डे पर रविवार सुबह एक तेजरफ्तार कार ने अलाव सेंक रहे आठ लोगों को चपेट में ले लिया, जिससे पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से तीन को पीजीआइ रोहतक भेजा गया है।

अजमेर बस्ती निवासी राजू (55), उनका बेटा मोनू (24), मोहल्ले का ही मोहित (17), भूपेंद्रनगर निवासी सोनू, दुर्गा बस्ती निवासी सतीश, अजमेर बस्ती निवासी बादशाह, संदीप, कमरुद्दीन। शादियों में वेटर का काम करने वाले ये लोग रविवार सुबह थ्रीव्हीलर में सवार होकर गांव भकलाना (हिसार) में एक शादी में काम के लिए निकले थे। थ्रीव्हीलर चालक ने उन्हें रामगढ़ बस अड्डे पर छोड़ दिया था। ठंड से बचने के लिए सभी वेटर चाय के खोखे के समीप अलाव जलाकर वहीं बैठ आग सेंकने लगे कि तभी जींद की ओर से आ रही एक तेजरफ्तार कार ने आठों को चपेट में ले लिया। राजू, उसके बेटे मोनू व पड़ोसी मोहित की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने सोनू, सतीश, कमरूद्दीन की हालत गंभीर देख पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया।

दुर्घटनाग्रस्त कार

दुर्घटना इतनी भीषण थी कि गाड़ी सड़क से लगभग 30 फुट जाकर पलट गई। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। घायल संदीप की शिकायत पर फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

शांति-समृद्धि के नए युग की शुरुआत करेगी झारखंड सरकार : राहुल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को भरोसा जताया कि झारखंड में नई गठबंधन सरकार सभी के लिए काम करेगी और शांति व समृद्धि के नए युग की शुरुआत करेगी। गांधी ने रविवार को रांची में नए मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया।

झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने हाल ही में संपन्न सूबे के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पराजित कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है।

पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी हुए ब्रह्मलीन

बंगलुरु, 29 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के प्रमुख श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी का रविवार को निधन हो गया। मठ के सूत्रों ने बताया कि वे कुछ समय से बीमार थे। दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक गुरुओं में से एक, 88 वर्षीय स्वामी जी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के कारण कुछ दिन पहले मणिपाल में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार सुबह उनका निधन हो गया। वे पेजावर मठ के 33वें प्रमुख थे। वे विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि आंदोलन से भी करीब से जुड़े रहे थे। कर्नाटक सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार यहां उनके ही विद्यापीठ में किया जाएगा। शनिवार रात को उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें उडुपी के पेजवार मठ ले जाया गया, जैसा कि स्वामीजी ने पहले इसे लेकर अपनी इच्छा जताई थी। वहां से, स्वामीजी के शव को बाद में आठ सदी पुराने उडुपी के श्रीकृष्ण मठ ले जाया गया। येदियुरप्पा ने दिवंगत संत को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज रखा। उनका शव भगवा रंग के कपड़े में लिपटा था और उन्हें तुलसी की माला पहनाई गई थी। पुलिसकर्मियों ने बंदूक की सलामी दी। राज्य के मंत्रियों के साथ भाजपा और संघ परिवार के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

विश्वेश तीर्थ स्वामीजी

पारंपरिक अनुष्ठानों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शाम को बंगलुरु के विद्यापीठ में किया जाएगा। 27 अप्रैल, 1931 को रामाकुंज में जन्मे स्वामीजी ने 3 दिसंबर, 1938 को सांसारिक सुखों का त्याग करने और धर्म के मार्ग पर चलने का फैसला कर लिया था और संन्यासी बन गए थे। स्वामीजी को उनकी सामाजिक पहल के लिए सम्मानित किया गया था, जिसमें दशकों पहले दलित कॉलोनियों का दौरा करना भी शामिल था।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'उडुपी के श्री पेजावर मठ के श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी उन लाखों लोगों के दिलो-दिमाग में बने रहेंगे, जिनके लिए वे हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अध्यात्म और सेवा के शक्तिपुंज थे और उन्होंने अधिक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के लिए लगातार काम किया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा, 'स्वामीजी के निधन से हिंदू धर्म ने एक प्रमुख मार्गदर्शक खो दिया। उन्होंने दलितों के साथ 'सहभोजन' किया था, जो हिंदू धर्म में असमानता की आवाज को कम करने के लिए एक कदम था।' कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, 'मुझे पेजावर मठ, उडुपी के श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। पूरे विश्व के उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदना है। ओम शांति।' केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी विश्वेश तीर्थ स्वामीजी के निधन पर दुख जताया। शाह ने ट्वीट किया कि पेजावर मठ के श्री श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वे मानवता, दया और ज्ञान के प्रतीक थे। लोगों और समाज के प्रति उनके निस्वार्थ योगदान की कोई तुलना नहीं है।'

सीएए और एनआरसी के खिलाफ पुणे में प्रदर्शन

पुणे, 29 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के पुणे जिले में रविवार को सैकड़ों लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ मार्च निकाला।

प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान नए कानून के विरोध में नारे लगाए। वे हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। तख्तियों पर मोदी सरकार और सीएए तथा एनआरसी के खिलाफ नारे लिखे थे। इस मार्च का आयोजन विभिन्न वामपंथी और मुसलिम संगठनों ने किया था। इसकी शुरुआत गोलीबार मैदान से हुई और संभागीय आयुक्त के कार्यालय पर समाप्त हुई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की।

रंगोली बनाकर सीएए के विरोध में किया प्रदर्शन

चेन्नई, 29 दिसंबर (भाषा)।

चेन्नई में रविवार को 'कोलम' (रंगोली) बनाकर सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आठ लोगों को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़ दिया गया, जिनमें पांच महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने यह जानकारी दी।

विपक्षी द्रमुक ने पुलिस की इस कार्रवाई पर अन्नाद्रमुक सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हिरासत में लिए गए लोग सिर्फ प्रदर्शन के अपने अधिकार के तहत ऐसा कर रहे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन सभी को बिना अनुमति प्रदर्शन करने और अन्य लोगों के लिए असुविधा उत्पन्न करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

पहले दो वर्ष में कोई धनराशि खर्च नहीं हुई | **गंगा सफाई** | अब तक लगभग 7000 करोड़ रुपए खर्च हुए

नमामि गंगे परियोजना पर साढ़े चार साल में मात्र 35 फीसद राशि हुई खर्च

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

नमामि गंगे परियोजना में पिछले साढ़े चार साल में मात्र 7000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए जबकि 2015 में योजना शुरू होने के बाद पहले दो वर्ष में कोई धनराशि खर्च नहीं हुई। जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने संसद की स्थायी समिति को यह जानकारी दी।

मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2015 को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना को अगले पांच साल में पूरा करने के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

अनुदान की मांग 2019-20 पर विचार करने वाली जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक विभाग के सचिव ने 23 अक्तूबर, 2019 को मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि मैं इस बात से सहमत हूं कि अब तक लगभग 7000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। शुरुआती दो वर्षों में हमने धनराशि जारी की लेकिन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) इसे खर्च नहीं कर पाया।

ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों की पहली मुख्यधारा पर बसे कस्बों की सूची बनाने, उसकी स्थिति, मूल्यांकन व व्यवहार्यता अध्ययन, जलमल की मात्रा, जलमल शोधन की वर्तमान क्षमता, जलमल शोधन संयंत्र की स्थिति आदि के आकलन करने व योजना बनाने में काफी समय लगता है।

- मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2015 को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना को अगले पांच साल में पूरा करने के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

- विभाग ने अपने लिखित जवाब में समिति को बताया कि नदी की सफाई व संरक्षण सतत प्रक्रिया है। जलमल आधारभूत संरचनाओं के लिए परियोजनाएं व्यापक तौर पर और तीव्र गति से शुरू की गई हैं। इनके दिसंबर 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह अक्तूबर 2019 तक योजना को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद साढ़े चार साल में इस पर खर्च की गई राशि कुल राशि का 35 फीसद है। सचिव ने समिति को यह भी बताया कि दो साल बाद कार्य की गति बढ़ी है और अगले दो साल में सभी जलमल आधारभूत परियोजनाएं पूरी होने की उम्मीद है। इनमें कुछ परियोजनाएं औद्योगिक अपशिष्ट से संबंधित हैं।

गंगा की सफाई के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित जवाब में समिति को बताया कि नदी की सफाई व संरक्षण सतत प्रक्रिया है। जलमल आधारभूत संरचनाओं के लिए परियोजनाएं व्यापक तौर पर और तीव्र गति से शुरू की गई हैं। इनके दिसंबर 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के अनुसार नमामि गंगे के प्रमुख कार्यक्रम के तहत कुल 299 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें जलमल आधारभूत संरचना, घाट व शवदाह गृह, नदी तट विकास, नदी सतह सफाई, घाट की सफाई और जैव उपचार आदि शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि इनमें से केवल 42 परियोजनाएं ही पूरी हुई हैं। इसके अलावा 3,729 एमएलडी की जलमल शोधन क्षमता की योजना के संबंध में केवल 575 एमएलडी की जलमल शोधन संयंत्र की क्षमता ही सृजित की गई।

www.readwhere.com

सीडीएस के लिए सैन्य कानूनों में बदलाव की अधिसूचना जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

सैन्य बलों में नवसृजित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) पद के बारे में रक्षा मंत्रालय ने रविवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसके लिए थलसेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े कानूनों में संशोधन किया गया है। नियमों में संशोधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकतम आयु 65 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं।

केंद्र सरकार ने सीडीएस का पद सृजित करने के लिए सेना कानून, 1954 में संशोधन किया है। माना जा रहा है कि देश के पहले सीडीएस के तौर पर मौजूदा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति तय है। वे 31 दिसंबर को थल सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो रहे हैं। भारतीय नौसेना और वायुसेना के कानूनों को भी बदला गया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, नौसेना (अनुशासन व विविध प्रावधान) नियमन, 1965 और नौसेना समारोह, सेवा एवं विविध नियमन, 1963 एवं वायुसेना नियमन 1964 आदि कानूनों में संशोधन किया गया है। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीडीएस को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सैन्य मामलों के प्रमुख होंगे और वह चार स्टार जनरल होंगे। उनका वेतन सेना प्रमुख के समान होगा। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने सीडीएस की जिम्मेदारियों और ढांचे को अंतिम रूप दिया था।

सीडीएस की नियुक्ति का मकसद आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, सीडीएस के जरिए युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम किया जा सकेगा। इससे दुश्मनों का सक्षम तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। दरअसल, सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल प्लानिंग में कई बार खामियां सामने आईं।

सड़क निर्माण के ठेकों में आरक्षण लागू करने पर विचार : उपमुख्यमंत्री

मिर्जापुर, 29 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा कि सरकार 40 लाख रुपए तक के सड़क निर्माण के ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है।

मौर्य ने कर्णावती नदी पर बनने जा रहे पुल का शिलान्यास करते हुए कहा कि सरकार 40 लाख रुपए तक की सड़क निर्माण परियोजना के आबंटन में आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत 21 फीसद कोटा अनुसूचित जातियों, दो फीसद कोटा अनुसूचित जनजातियों के लिए, 27 फीसद अन्य पिछड़े वर्गों और 10 फीसद आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ी जातियों के लिए आरक्षित होगा। आरक्षण का यह फीसद परियोजनाओं की संख्या पर आधारित होगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसे कब से लागू किया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम प्रोत्साहन पत्र की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश की बोर्ड की परीक्षाओं में शीर्ष-20 छात्रों के घर तक सड़क बनवाएगा। इनका शिलान्यास और उद्घाटन भी छात्र ही करेंगे।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा

रेल किराया व माल ढुलाई में बढ़ोतरी अभी तय नहीं

बलिया, 29 दिसंबर (भाषा)।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा है कि रेल किराया और माल ढुलाई में बढ़ोतरी अभी निश्चित नहीं है। साथ ही कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण के कारण रेल कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी।

यादव ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि रेल यात्री और माल ढुलाई के किराए में वृद्धि अभी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि नए वर्ष में रेलवे, यात्रियों को अच्छी से अच्छी सेवा देने व ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाने पर ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में यात्रियों को वेटिंग टिकट का सामना न करना पड़े और सभी को कन्फर्म टिकट मिले, इस पर काम हो रहा है। यादव ने बताया कि इलाहाबाद-छपरा रेल खंड पर अगले वर्ष सभी ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलने लगेंगे।

उन्होंने रेलवे के समक्ष मौजूद आर्थिक चुनौती से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि रेलवे किसी भी आर्थिक चुनौती का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले साल भी रेलवे घाटे में नहीं रहा है। रेलवे को सबसे अधिक राजस्व माल ढुलाई से प्राप्त होता है। माल ढुलाई की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम चल रहा है।

यादव ने रेल कर्मचारियों की छंटनी से जुड़े सवाल पर कहा कि आर्थिक चुनौती का सामना करने के क्रम में कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी। रेलवे में आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में पूंजीगत निवेश तीन से चार गुना बढ़ा है।

निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता रेल खंडों पर निजी ट्रेन संचालकों की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके लिए निजी ट्रेन ऑपरेटरों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने इस संबंध में जरूरी मंजूरी दे दी है। जनवरी 2020 में निविदा आमंत्रित की जाएगी।

दिल्ली चुनाव के बाद दोबारा कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं राहुल

- कांग्रेस का अधिवेशन उदयपुर या मोहाली में आयोजित किए जाने के संकेत
- पार्टी के ज्यादातर युवा राहुल के पक्ष में लगा रहे जोर
- लोकसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

राहुल गांधी नए साल में दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए महज दो साल के भीतर पद छोड़ने वाले राहुल की मान मनौव्वल जारी है ताकि वे फिर से इस अहम जिम्मेदारी को संभालें। ऐसे संकेत हैं कि आगामी फरवरी महीने में उदयपुर या मोहाली में आयोजित किए जाने वाले पार्टी के अधिवेशन में कांग्रेस एक बार फिर से सर्वसम्मति से राहुल को पार्टी की कमान सौंप सकती है।

सूत्रों की मानें तो नए साल में होने जा रहे पार्टी अधिवेशन में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ेंगी और राहुल को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार से निराश होकर पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने वाले राहुल ने कई महीने तक खुद को पार्टी गतिविधियों से अलग रखा। पद छोड़ते हुए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। इस्तीफा वापस लेने के लिए उन्हें मनाने की चली लंबी कवायद के असफल होने के मद्देनजर ही आखिरकार सोनिया गांधी ने अंतरिम तौर पर पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली।

राहुल गांधी ने वर्ष 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था और दो साल के भीतर ही वर्ष 2019 में उन्होंने पद छोड़ दिया। पार्टी जानकारों का कहना है कि अध्यक्ष पद छोड़ने के कुछ महीनों तक राहुल ने पार्टी नेताओं से मुलाकात तो दूर, उनसे फोन पर भी बातचीत करने से परहेज किया। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बाद उनके रुख में तेजी से बदलाव हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र में भी चुनावी सभाएं कीं और हरियाणा में भी। दोनों जगह पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। उसके बाद झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस की गठबंधन सरकार बन गई है। झारखंड में भी राहुल ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कीं।

सूत्रों ने बताया कि बीते 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में राहुल गांधी के तेवरों को देख पार्टी के युवा नेता उत्साहित हैं और पार्टी के नेता के तौर पर राहुल के पक्ष में बाकायदा अभियान भी चला रहे हैं। इससे पार्टी के कई अन्य नेता भी अंदरखाने यह चर्चा करने लगे हैं कि बहुत जल्दी राहुल गांधी की वापसी होने वाली है। इस रैली के बाद से ही उनके तेवर बता रहे हैं कि फौरी तौर पर अध्यक्ष पद भले सोनिया गांधी के पास हो लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी के नेता राहुल ही हैं। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में दिल्ली विधानसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद कांग्रेस का सालाना अधिवेशन आयोजित किया जाएगा जिसमें राहुल को एकबार फिर से पार्टी की बागडोर सौंपी जा सकती है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी का इस्तीफा होना ही नहीं चाहिए था। पार्टी की हार के बावजूद किसी ने उनकी मेहनत, लगन या नेतृत्व को लेकर सवाल नहीं उठाया था। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से हम हार गए। ऐसे में उनकी वापसी का इंतजार हो रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में अध्यक्ष पद पर उनकी वापसी होगी।

मिस्र में सड़क हादसे में तीन भारतीयों की मौत, 13 जख्मी

काहिरा, 29 दिसंबर (भाषा)।

मिस्र के स्वेज गवर्नरेट में पर्यटकों को लेकर जा रहीं दो बसों की एक ट्रक से टक्कर होने से तीन भारतीयों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। भारतीय दूतावास ने रविवार को यह जानकारी दी।

ये बस शनिवार को हुरगदा शहर की ओर जा रही थीं लेकिन रास्ते में ऐन सुखना शहर के पास ये एक ट्रक से टकरा गईं। मिस्र में भारतीय दूतावास ने कहा, 'हमें यह सूचना देते हुए दुख हो रहा है कि 28 दिसंबर को ऐन सुखना के पास हुए बस हादसे में तीन भारतीय नागरिकों की जान चली गई। घटना में घायल हुए अन्य लोगों का मिस्र के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।' दूतावास ने बताया कि मृतकों और घायलों के परिजनों से संपर्क किया गया है और उन्हें हर मुमकिन सहायता दी जा रही है। इसने कहा, 'दूतावास के अधिकारी अस्पतालों में मौजूद हैं और अस्पताल अधिकारियों के संपर्क में हैं।' दूतावास ने बताया कि बस में 16 भारतीय पर्यटक सवार थे। घायल भारतीयों को तीन अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आठ भारतीयों को गीज़ा के शेख ज़ाइद अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि एक को काहिरा के मक्कतम स्थित नेशनल बैंक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा चार घायलों का स्वेज गवर्नरेट के स्वेज हेल्थ इंश्योरेंस अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मृतकों में दो मलेशिया और तीन मिस्र के नागरिक भी हैं। कुल 24 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिस्र में खराब सड़कें और खराब यातायात नियम मुख्य रूप से सड़क हादसों की वजह हैं।

युवाओं को पसंद नहीं अराजकता : मोदी

पेज 1 का बाकी

हम नए वर्ष के साथ ही नए दशक में भी प्रवेश करेंगे और इस दशक में देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभायेंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जब युवाओं ने अव्यवस्था को लेकर मुखरता से प्रतिक्रिया दी है और उसका वीडियो भी बनाकर दोषियों को उसका परिणाम भी याद दिलाया है। उन्होंने कहा, 'हमारी नई पीढ़ी एक नए सिस्टम, एक नई व्यवस्था, एक नए युग, एक नए विचार का मूर्तरूप है। आज भारत बेसब्री से इस पीढ़ी की प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हीं लोगों को देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।' मोदी ने प्रेरणा लेने के लिए युवाओं से कन्याकुमारी में स्थित रॉक स्मारक स्थल भी जाने की अपील की। यहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में युवाओं को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पूर्व छात्रों के जमावड़े 'एल्युमनाई मीट' में भी जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकियों ने समाज में योगदान दिया है। उन्होंने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के भैरवगंज स्वास्थ्य केंद्र का उदाहरण दिया जहां हजारों लोग स्वास्थ्य जांच शिविर में आए और स्थानीय केआर उच्च विद्यालय एल्युमनाई मीट की शुरुआत की

डाटा वापस नहीं करने वाली कंपनी पर प्राथमिकी

पेज 1 का बाकी

भी आरोप लगाया कि कंपनी ने स्रोत कोड भी वापस नहीं किया, जो डाटाबेस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। हालांकि कंपनी ने खंडन करते हुए कहा कि डाटा को वापस कर दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के बाद बत्रा ने रक्षा मंत्रालय से कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में अवर सचिव एके कर्ण ने उनसे कहा, 'सूचित किया जाता है कि मैसर्स स्कोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों, कर्मियों के खिलाफ केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस ने 19 दिसंबर, 2019 को पुलिस थाना, सदर बाजार, दिल्ली कैंट में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

तीन जेएनयू छात्रों के पोस्टर जारी किए पुलिस ने

पेज 1 का बाकी

तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया लेकिन इन तीनों छात्रों ने पुलिस की बातों को दरकिनार करते हुए प्रदर्शनकारियों को रुकने नहीं दिया। पुलिस के कैमरों के सामने भी इन तीनों ने खुद के जेएनयू छात्र होने की बात कबूल की है। फुटेज में ये छात्र हाथ में अत्याधुनिक स्पीकर माइक व लाठी डंडों से लैस दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का दावा है कि शहर में दिसंबर में हुए हिंसक प्रदर्शन में इन तीनों की अहम भूमिका थी। पुलिस इन तीनों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। तीनों छात्र मुजफ्फरनगर के ही निवासी हैं। सीएए के खिलाफ कुछ दिन जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने मीनाक्षी चौक और मदीना चौक पर तोड़फोड़ की थी। जांच में पता चला है कि इस हिंसक भीड़ में लद्दाख के करगिल, उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों और दूसरे प्रांतों से आए नाबालिग मदरसा छात्र भी शामिल थे।

25,000 वटाटा वड़ा बनाकर विश्व रेकॉर्ड बनाने की कोशिश

ठाणे, 29 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 100 रसोइयों ने 12 घंटे के भीतर 25,000 बटाटा वड़ा बनाकर दुनिया में रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की।

आयोजक शेफ सत्येंद्र जोग ने बताया कि शनिवार को दोम्बीवाली शहर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बटाटा वड़ा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाना है। मसले हुए आलू को बेसन में मिलाकर बनने वाला यह महाराष्ट्र का मशहूर व्यंजन है। उन्होंने बताया कि करीब 100 रसोइयों ने 25,000 बटाटा वड़ा सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बनाया। इसमें 1,500 किलोग्राम आलू, 500 लीटर तेल और 350 किलोग्राम बेसन का इस्तेमाल हुआ। कुल 10 लाख रुपए इस आयोजन पर खर्च हुआ।

लिम्का बुक ऑर रिकॉर्ड्स के अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वे रिकॉर्ड बुक में शामिल करने के बारे में जल्दी ही निर्णय लेंगे।

दिल्ली की अदालतों के चक्कर काटे कई बड़ी हस्तियों ने

पेज 1 का बाकी

जेल में रहना होगा। सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में कई लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न का मामला सात फरवरी को मुजफ्फरपुर की एक स्थानीय अदालत से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के साकेत जिला अदालत परिसर की एक पोक्सो अदालत में स्थानांतरित हुआ।

मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित इस आश्रय गृह में कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई अदालत ने अपना फैसला 14 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया है। जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार तथा अन्य पर 2016 में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने इस साल आरोपपत्र दाखिल किया। लेकिन यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि पुलिस कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ले पाई।

दो नवंबर को तीस हजारी अदालत परिसर में दिल्ली पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान हुई हिंसा में कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए। इसके विरोध में सभी छह जिला अदालतों के वकीलों ने हड़ताल कर दी जो लगभग दो हफ्ते चली। चार नवंबर को साकेत जिला अदालत परिसर में वकीलों ने पुलिस पर कथित तौर पर हमला किया।

दोनों घटनाओं के विरोध में पांच नवंबर को हजारों पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर घेराव और प्रदर्शन किया। कारोबारी रतुल पुरी को अगस्तावेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर मामले और बैंक जालसाजी मामले में धनशोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दोनों मामलों में चार महीने बाद जमानत मिली।

रेलिगेयर धोखाधड़ी मामले में कारोबारियों मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को पहले दिल्ली पुलिस ने और फिर धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। पूर्व मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ मीटू आंदोलन के तहत एक महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और अकबर ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया जिस पर इस साल सुनवाई हुई।

देवबंद में दो समुदायों के बीच पथराव और फायरिंग

पेज 1 का बाकी

मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच हुए टकराव के बाद दूसरे समुदाय के लोग पुलिस के आने से पहले भाग खड़े हुए।

इससे पहले शाम साढ़े पांच बजे के करीब एचएवी कालेज के पास दानिश हेयर कटिंग सैलून पर एक समुदाय विशेष के कई नकाबपोश युवकों ने वाल्मीकि समाज के दो किशोरों 16 वर्षीय आशीष 15 वर्षीय अंकित पर चाकू से हमलाकर लहूलुहान कर दिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर एसएसपी को लोगों ने बताया कि दिन में भी कुछ लड़कों के साथ कॉलेज के बाहर मारपीट हुई थी। पुलिस ने पूछताछ के लिए नाई दानिश को हिरासत में लिया है।

एसएसपी ने एसपी (देहात) विद्यासागर मिश्र को निर्देश दिए कि रात में ही दोनों पक्षों के उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाए। एसएसपी के निर्देश पर देवबंद में रात में पूरे नगर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने गश्त लगाई। वाल्मीकि बस्ती के पास पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई। जनपद के कई थानों की पुलिस देवबंद बुला ली गई है। सीओ देवबंद चौब सिंह, सीओ गंगोह अजय शर्मा और कई थानों के प्रभारी पुलिस के गश्ती दलों की अगुआई कर रहे हैं। पूरा देवबंद नगर छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

एसएसपी ने बताया कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और किसी भी कीमत पर देवबंद की स्थिति बिगड़ने नहीं देगी। जिलाधिकारी आलोक पांडे ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देर रात तक एचएवी कालेज के पास लोगों की भीड़ जमा थी।

डीडीसीए की बैठक में हाथापाई व मारपीट

पेज 1 का बाकी

के सुझाव पर एजीएम की वीडियो रिकार्डिंग भी की जा रही थी जिस दौरान यह घटना हुई। मारपीट व हंगामे के बीच न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा को डीडीसीए का नया लोकपाल चुना गया। न्यायमूर्ति बदर ने एक दिन पहले ही डीडीसीए सदस्यों को संयम बरतने के लिए कहा था। सूत्रों ने बताया कि महासचिव विनोद तिहाड़ा के समर्थकों ने एजीएम में व्यवधान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि विनोद तिहाड़ा के समर्थकों ने विधायक ओमप्रकाश शर्मा के साथ भी हाथापाई की और उपस्थिति रजिस्टर छीन लिया। कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद सदस्य बड़ी संख्या में एजीएम के लिए पहुंचे जिसमें पूर्व कोषाध्यक्ष नरिंदर बत्रा और एसपी बंसल भी शामिल हैं।

पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने घटना को शर्मनाक बताते हुए बीसीसीआइ से डीडीसीए को भंग करने और वार्षिक आमसभा के दौरान झगड़े में शामिल पदाधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। गंभीर ने ट्वीट किया, 'डीडीसीए ने शर्मनाक तरीके से सारी हदें पार की। देखिए, किस तरह से कुछ असामाजिक तत्व एक संस्थान को मजाक बना रहे हैं। मैं बीसीसीआइ, सौरव गांगुली, जय शाह से डीडीसीए को तुरंत भंग करने का आग्रह करता हूं। निश्चित तौर पर इस घटना में शामिल लोगों के लिए सजा या आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए।'

डीडीसीए ने एक बयान में कहा कि सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी प्रस्तावों को पारित किया लेकिन विवादों का हिस्सा रहे इस क्रिकेट संघ के सूत्रों ने बताया कि एजीएम में नाटकीय हालात देखने को मिले। इसमें कहा गया, 'बैठक के पांच एजंडा थे- वार्षिक खातों को पारित कराना, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, जिन निदेशकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनकी पुनः नियुक्ति, नए नियमों को स्वीकार करना और लोकपाल की नियुक्ति।' पता चला है कि डीडीसीए को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है।

अगले चौबीस घंटे कड़ाके की सर्दी से राहत के आसार

पेज 1 का बाकी

बरकार रहने की उम्मीद है। दिल्ली में रविवार को दिन का न्यूनतम तापमान शनिवार की तुलना में 2.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 3.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 13 डिग्री से बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इन इलाकों में दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ सुबह के समय कोहरा रहेगा लेकिन ठिठुरन भरी सर्दी से राहत रहेगी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 30 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को देखते हुए जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में 31 दिसंबर को तेज बारिश और निचले इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इसके बाद एक से तीन जनवरी तक पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका भी है। जबकि दिल्ली में दो जनवरी को कुछ इलाकों में ओले पड़ सकते हैं। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान मामूली सुधार के साथ 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि आयानगर में 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में सर्दी ने 1964 के ठंड का रेकार्ड तोड़ा तो हरियाणा में शीतलहर के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। माउंट आबू में मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान शून्य से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जयपुर में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 1964 में शहर में ऐसी ठंड पड़ी थी। मौसम विभाग के निदेशक शिवगणेश ने बताया कि दिसंबर और जनवरी के महीने में उत्तरी अक्षांशों के ठंडे इलाकों से शुष्क व ठंडी हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं जिसके कारण राज्य में ठंड बढ़ जाती है और मौसम शुष्क हो जाता है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 13 दिसंबर 1964 को जयपुर में न्यनूतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि न्यूनतम तापमान चुरू में 1.2 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 1.6 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 1.8 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में दो डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 2.6 डिग्री सेल्सियस और कोटा में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26.2 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। विभाग ने आगामी एक-दो दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार सुबह पिलानी, चुरू, टोंक, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर घने कोहरे की चपेट में रहे। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से दृश्यता घट कर 500 मीटर से कम हो गई। कोहरे के कारण 13 ट्रेनें छह घंटे तक की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार सुबह 8.30 बजे सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से चार डिग्री कम है। पालम में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया वहीं लोधी रोड इलाके में पारा 2.8 डिग्री तक लुढ़क गया। आयानगर में तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हवा में नमी का स्तर 94 फीसद दर्ज किया गया। हरियाणा राज्य सरकार ने 30 और 31 दिसंबर को सभी निजी व सरकारी स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। इसके बाद एक से 15 जनवरी, 2020 के बीच सर्दी की छुट्टियों के कारण राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे।

गैर-भाजपा दलों ने दिखाई ताकत

पेज 1 का बाकी

पूर्व राज्यसभा सांसद शरद यादव, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सुबोध कांत सहाय, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झामुमो नेता और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी मंच पर मौजूद रहे।

मंच पर जुटे नेताओं ने शपथ ग्रहण के बाद एक दूसरे का हाथ हवा में उठाते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया। समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं मायावती भी शामिल नहीं हुईं। हेमंत सोरेन को रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री सोरेन ने रविवार शाम ही मंत्रिपरिषद की पहली बैठक बैठक बुलाई। झारखंड में विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले विपक्षी झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने 81 सीटों में से 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। उसने सत्ताधारी भाजपा को पराजित किया, जिसे सिर्फ 25 सीटें मिलीं। 44 साल के हेमंत सोरेन को 24 दिसंबर को गठबंधन की ओर से विधायक दल का नेता चुना गया था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे अधिक 30 सीटें मिलीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता शिबू सोरेन के बेटे हेमंत इन चुनावों में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन का चेहरा थे।

हेमंत सोरेन ने 2005 में विधानसभा चुनाव के साथ चुनावी राजनीति में कदम रखा। वह दुमका सीट से मैदान में उतरे। हालांकि, तब वे स्टीफन मरांडी से हार गए। इसके बाद 2009 में बड़े भाई दुर्गा की मौत के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत की बागडोर संभालनी शुरू कर दी। राज्यसभा के सांसद के तौर पर वह 24 जून, 2009 से लेकर चार जनवरी, 2010 के बीच सांसद रहे। सितंबर में वे भाजपा-झामुमो-जद (एकी)-आजसू गठबंधन की अर्जुन मुंडा सरकार में झारखंड के उपमुख्यमंत्री रहे। वे 2013 में राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने और दिसंबर 2014 तक पद पर रहे।

मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सभी रिक्तियां जल्द भरने का फैसला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

हेमंत सोरेन सरकार ने विभिन्न विभागों की सभी रिक्तियां जल्द से जल्द भरने का फैसला लिया है। शपथ ग्रहण के बाद रांची में मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने एलान किया कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों की सभी रिक्तियां यथाशीघ्र भरेगी। इसके अलावा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम व संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन का विरोध करने और पत्थलगड़ी करने के संबंध में दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। साथ ही, सभी अनुबंध कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों व पारा शिक्षकों से संबंधित सभी लंबित भुगतान शिविर लगाकर करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

www.readwhere.com

रीयल्टी क्षेत्र के कर्ज में एचएफसी की हिस्सेदारी दोगुनी हुई: रिजर्व बैंक

मुंबई, 29 दिसंबर (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रीयल्टी क्षेत्र के कर्ज बाजार में जो हिस्सा खोया है उसका लाभ आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को मिला है। उनकी हिस्सेदारी ऋण बाजार में जून 2019 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन साल में दोगुनी होकर 23.81 फीसद तक पहुंच गई है।

आरबीआइ की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बिल्डरों को दिए गए कर्ज में गैर-बैंकिंग इकाइयों और निजी बैंकों की हिस्सेदारी 2016 से बढ़ रही है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस खंड को दिए गए कर्ज का अनुपात आधा हुआ है। रिजर्व बैंक की यह यह रिपोर्ट 310 कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है।

शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले चार साल में रीयल एस्टेट कंपनियों को कुल वित्तपोषण करीब दोगुना होकर 2.01 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बिल्डरों को दिए गए कर्ज में एचएफसी की हिस्सेदारी इस साल जून तक लगभग दोगुनी होकर 23.81 फीसद तक पहुंच गई जो जून 2016 में 12.17 फीसद थी।

रिपोर्ट के मुताबिक निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 23.62 फीसद से बढ़कर 30.41 फीसद पर पहुंच गई। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी करीब आधी होकर जून 2019 में 24.34 फीसद रही। इसमें कहा गया है कि रीयल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों का कर्ज दोगुना होकर 2.01 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसमें आवास वित्त कंपनियों की कुल हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी कम हुई है।

शीर्ष बैंक ने रेटिंग एजंसियों को आड़े हाथों लिया

मुंबई, 29 दिसंबर (भाषा)।

बाजार नियामक सेबी द्वारा प्रमुख रेटिंग एजंसियों पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के बाद अब रिजर्व बैंक ने भी इन एजंसियों को आड़े हाथों लिया है। खराब रेटिंग पाने वाली कंपनियों को तीन महीने के भीतर अच्छी रेटिंग दिए जाने में रेटिंग एजंसियों की भूमिका को लेकर रिजर्व बैंक ने उनकी कड़ी आलोचना की है। ऐसा देखने को मिला है कि कुछ कंपनियों ने खराब रेटिंग मिलने के तीन महीने के भीतर किसी अन्य रेटिंग एजंसी से बेहतर रेटिंग हासिल कर ली और उसके आधार पर दीर्घावधि ऋण ले लिया। इस प्रक्रिया को 'रेटिंग शॉपिंग' कहा जाता है।

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के 25वें संस्करण में क्रेडिट रेटिंग एजंसियों की सीमित रेटिंग के आधार पर बैंकों से दीर्घकालिक ऋण लेने को लेकर कंपनियों को भी चेतावनी दी है। क्रेडिट रेटिंग कंपनियों की सांकेतिक रेटिंग, जो कि बैंकों और निवेशकों के पास उपलब्ध नहीं है, उसके आधार पर दीर्घकालिक कर्ज लेने को लेकर यह चेतावनी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर रेटिंग शॉपिंग बीबीबी या इससे निम्न रेटिंग वाले वित्तीय साधनों में की गई। रिजर्व बैंक ने रेटिंग शॉपिंग के मामलों की गहन जांच करने की बात की है।

भारत से बिदकने लगे हैं निवेशक : अर्थशास्त्री

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

फ्रांस के एक प्रमुख अर्थशास्त्री का कहना है कि निवेशक भारत में निवेश करने से बिदकने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तेजी से आर्थिक सुधारों और उद्यमियों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के काम में लगे थे, वह काम अचानक बीच में थम गया है। सारा ध्यान राजनीतिक मुद्दों की तरफ लग गया है। इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है।

फ्रांस के जाने-माने अर्थशास्त्री गॉय सोर्मन ने कहा कि फिलहाल घरेलू और विदेशी निवेशक भयभीत हैं और भारत में निवेश से दूर रहना चाहते हैं। 'इकोनॉमिक्स डज नाट लाई: ए डिफेंस ऑफ द फ्री मार्केट इन ए टाइम ऑफ क्राइसिस' समेत कई किताबें लिखने वाले सोर्मन ने यह भी कहा कि फिलहाल देश में संरक्षणवाद की ओर झुकाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने शुरू में पूरे देश को एक साझा बाजार बनाकर, लाइसेंस राज के बचे मसलों का समाधान कर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देकर भारतीय उद्यमियों के हुनर और उनकी उद्यमिता को समर्थन देने का काम किया। लेकिन वह अचानक आधे रास्ते में रुक गए। आर्थिक एजंडे को भूलकर राजनीतिक मामलों की ओर बढ़ चले। इससे भारत और उसकी सरकार का नाम खराब हो रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले से ही नरमी है, उस समय ऐसे माहौल का अर्थव्यवस्था पर अधिक नकारात्मक असर हो रहा है। कई अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि निवेश और संस्थानों में भरोसे के बीच मजबूत संपर्क है। सोर्मन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह भरोसा फिलहाल कमजोर हुआ है। यह काफी अफसोजनक है और इससे बचा जा सकता है। अर्थशास्त्री ने यह भी आग्रह किया कि असंगठित क्षेत्र के महत्त्व और सांख्यिकी की खराब गुणवत्ता को देखते हुए भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकलन को लेकर भरोसा बिल्कुल नहीं है।

भारत हाल तक दुनिया में सबसे ऊंची आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश था। लेकिन चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर छह साल के न्यूनतम स्तर 4.5 फीसद पर पहुंच गई। इसकी बड़ी वजह निवेश में आई सुस्ती को माना जा रहा है जोकि अब खपत के क्षेत्र में भी पहुंच गई है। माना जा रहा है कि ग्रामीण परिवारों में मांग कमजोर पड़ने और रोजगार सृजन की कमजोर स्थिति से यह हो रहा है।

शीर्ष छह कंपनियों की पूंजी 64,419 करोड़ घटी

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

सूचकांक की शीर्ष 10 में से छह कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बीते सप्ताह 64,419.10 करोड़ रुपए घट गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आइटीसी के बाजार पूंजीकरण में भी इस दौरान गिरावट रही। हालांकि एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइसीआइसीआइ बैंक और इन्फोसिस के बाजार पूंजीकरण में बढ़त दर्ज की गई।

आलोच्य सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 36,291.90 करोड़ घटकर 9,77,600.27 करोड़ रुपए रह गया। एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 11,666.10 करोड़ गिरकर 6,98,266.18 करोड़ रुपए, टीसीएस का 9,155.82 करोड़ लुढ़ककर 8,24,830.44 करोड़ रुपए और आइटीसी का बाजार पूंजीकरण 5,241.22 करोड़ की गिरावट के साथ 2,91,238.23 करोड़ रुपए पर आ गया। कोटक बैंक का बाजार पूंजीकरण 1,528.55 करोड़ घटकर 3,21,960.76 करोड़ रुपए और भारतीय स्टेट बैंक का 535.48 करोड़ कम होकर 3,00,982.52 करोड़ रुपए रह गया।

इसके उलट एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 6,992.28 करोड़ की तेजी के साथ 4,22,659.93 करोड़ रुपए, आइसीआइसीआइ बैंक का बाजार पूंजीकरण 2,371.84 करोड़ की बढ़त लेकर 3,55,415.68 करोड़ रुपए, इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 2,050.79 करोड़ बढ़कर 3,13,769.82 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 616.97 करोड़ चढ़कर 4,22,127.53 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सप्ताह के दौरान गिरावट आने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर बनी रही। इसके बाद क्रम से टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक और आइटीसी का स्थान रहा।

विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में किया 2,600 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

विदेशी निवेशक दिसंबर में शुद्ध लिवाल रहे। मुख्य रूप से कंपनियों के वित्तीय परिणाम बेहतर रहने, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति को नरम रखने और वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा पूंजी डाले जाने की उम्मीद में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने घरेलू बाजार में 2,613 करोड़ रुपए का निवेश किए।

डिपोजिटरी के आंकड़ों के अनुसार एफपीआइ ने शेयर बाजारों में 6,301.96 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से निवेश किए जबकि बांड बाजार से 3,688.94 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह दो दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच शुद्ध रूप से 2,613.02 करोड़ रुपए निवेश किया गया।

मार्निंगस्टार के वरिष्ठ शोध विश्लेषक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों और नीतिगत बाधाओं के बावजूद एफपीआइ ने भारतीय शेयर बाजारों में भरोसा जताया है। कंपनियों के तिमाही वित्तीय परिणाम में सुधार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नरम मौद्रिक नीति और वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा पूंजी डाले जाने की उम्मीद में भारतीय शेयर बाजारों में तेजी के भरोसे के कारण एफपीआइ घरेलू बाजार में निवेश कर रहे हैं।

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

PRINCE®
PIPING SYSTEMS

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

Our Company was incorporated as 'Prince Pipes and Fittings Private Limited' on November 13, 1987 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956. Thereafter, pursuant to Section 43A(1A) of the Companies Act, 1956, our Company became a deemed public limited company with effect from July 1, 1998. Further, pursuant to Section 43A(2A) of the Companies Act, 1956, our Company converted back into a private company on May 18, 2001. Subsequently, upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution of our Shareholders dated August 7, 2017, the name of our Company was changed to 'Prince Pipes and Fittings Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu ("**RoC**") on August 11, 2017. For further details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see the section titled "*History and Certain Corporate Matters*" on page 176 of the prospectus dated December 23, 2019 ("**Prospectus**").

Registered Office: Plot No.1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Sattari, Honda, Goa 403 530, India; **Corporate Office:** 8th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India.
Contact Person: Pravin Jogani, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 22 66022222; **Facsimile:** +91 22 66022220; **E-mail:** investor@princepipes.com; **Website:** www.princepipes.com
Corporate Identity Number: U26932GA1987PLC006287

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JAYANT SHAMJI CHHEDA, TARLA JAYANT CHHEDA, PARAG JAYANT CHHEDA, VIPUL JAYANT CHHEDA AND HEENA PARAG CHHEDA

The Company has filed the Prospectus dated December 23, 2019 with the RoC, and the Equity Shares are proposed to be listed on the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and BSE Limited ("**BSE**" and together with NSE, the "**Stock Exchanges**"), and trading is expected to commence on or about December 30, 2019.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 28,089,885 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 178 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 168 PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 5,000 MILLION* (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF 14,044,943 EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING TO ₹ 2,500 MILLION* (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 14,044,942 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 2,500 MILLION, INCLUDING 1,123,595 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 200 MILLION BY JAYANT SHAMJI CHHEDA, 7,865,168 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 1,400 MILLION BY TARLA JAYANT CHHEDA, 2,808,988 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 500 MILLION BY PARAG JAYANT CHHEDA AND 2,247,191 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 400 MILLION BY VIPUL JAYANT CHHEDA (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERS THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER CONSTITUTES 25.53% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

***OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), UNDERTAKEN A PRIVATE PLACEMENT OF 596,500 COMPULSORILY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES, WHICH HAVE BEEN CONVERTED INTO 5,965,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO ₹ 1,061.77 MILLION ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO ₹ 3,561.77 MILLION WAS REDUCED BY ₹ 1,061.77 MILLION PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT AND ACCORDINGLY THE FRESH ISSUE WAS UP TO ₹ 2,500.00 MILLION.**

OFFER PRICE : ₹ 178 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH
ANCHOR INVESTOR OFFER PRICE: ₹ 178 PER EQUITY SHARE
THE OFFER PRICE IS 17.80 TIMES OF THE FACE VALUE

Risks to Investors:

- **The two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 27 public issues in the past three years out of which 5 closed below the issue price on listing date.**
- **The average cost of acquisition of per Equity Share for our Promoter Selling Shareholders is ₹0.10 for Jayant Shamji Chheda, ₹0.62 for Tarla Jayant Chheda, and ₹0.12 for Parag Jayant Chheda and ₹0.12 for Vipul Jayant Chheda, and the Offer Price at the upper end of the Price Band is significantly high at ₹178 per Equity Share.**

BID/OFFER PROGRAMME:
BID/OFFER OPENED ON WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019
BID/OFFER CLOSED ON FRIDAY, DECEMBER 20, 2019
ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: TUESDAY, DECEMBER 17, 2019

The Offer was made in terms of Rule 19(2)(b)(ii) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**"), read with Regulation 41 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended ("**SEBI ICDR Regulations**"), wherein a minimum Offer size of at least such percentage of Equity Shares equivalent to a value of ₹ 4,000 million (calculated at the Offer Price) was offered to the public. The Offer was made through the Book Building Process in accordance with Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein 50% of the Offer was available for allocation to Qualified Institutional Buyers ("**QIB Portion**"). Our Company and the Promoter Selling Shareholders have, in consultation with the BRLMs, allocated up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("**Anchor Investor Portion**"), out of which at least one-third was reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. Such number of Equity Shares representing 5% of the Net QIB Portion (other than Anchor Investor Portion) were made available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only. The remainder of the Net QIB Portion were made available for allocation on a proportionate basis to QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Offer was available for allocation on a proportionate basis to Non Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer was made available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price such that, subject to availability of Equity Shares, each Retail Individual Bidder was Allotted not less than the minimum Bid Lot, and the remaining Equity Shares, if available, were allotted to all Retail Individual Bidders on a proportionate basis. All Bidders, other than Anchor Investors, were mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective bank accounts and UPI ID in case of RIIs, as applicable, which were blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**"), as the case may be. Anchor Investors were not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process For details, see the section titled "*Offer Procedure*" on page 383 of the Prospectus.

The Offer received 142,554 applications for 47,265,624 Equity Shares as per the bid book resulting in 1.6827 times subscription as disclosed in Prospectus. The details of the applications received in the Offer from Retail Individual Bidders, Non-Institutional Bidders and QIBs are as under (before technical rejections):

Sr. No.	Category	No. of Applications applied	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved	No. of times Subscribed	Amount (in ₹)
A	Retail Individual Investors	142,294	16,666,104	9,831,460	1.6952	2,968,923,380.00
B	Non Institutional Investors	232	2,199,372	4,213,483	0.5220	391,485,864.00
C	Qualified Institutional Buyers (excluding Anchor Investors)	15	19,972,680	5,617,877	3.5551	3,555,137,040.00
D	Anchor Investors	13	8,427,468	8,426,965	1.0001	1,500,089,304.00
	Total	**142,554**	**47,265,624**	**28,089,885**	**1.6827**	**8,415,635,588.00**

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE and NSE as on the Bid/Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Total	% Cumulative Total
1	177	383,796	0.87	383,796	0.87
2	178	28,764,204	65.28	29,148,000	66.15
3	CUTOFF	14,914,536	33.85	44,062,536	100.00
	TOTAL	**44,062,536**	**100.00**		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE on December 26, 2019.

A. Allotment to Retail Individual Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Bidders, who have bid at cut-off or at the Offer Price of ₹ 178 per Equity, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 1.4998 times. The total number of Equity Shares Allotted in Retail Individual Bidders category is 10,668,340 Equity Shares (includes under subscribed portion of 836,880 Equity Shares spilled over from Non Institutional Investors Category) to 127,004 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	84	116,856	87.08	9,983,904	62.40	84	281:302	9,289,644
2	168	9,154	6.71	1,537,872	9.61	84	107:115	715,428
3	252	2,746	2.01	691,992	4.32	84	67:72	214,620
4	336	1,203	0.88	404,208	2.53	84	40:43	93,996
5	420	1,024	0.75	430,080	2.69	84	27:29	80,052
6	504	726	0.53	365,904	2.29	84	27:29	56,784
7	588	436	0.32	256,368	1.60	84	27:29	34,104
8	672	141	0.10	94,752	0.59	84	27:29	11,004
9	756	83	0.06	62,748	0.39	84	27:29	6,468
10	840	493	0.36	414,120	2.59	84	27:29	38,556
11	924	63	0.05	58,212	0.36	84	15:16	4,956
12	1,008	183	0.13	184,464	1.15	84	27:29	14,280
13	1,092	1,388	1.02	1,515,696	9.47	84	27:29	108,444
14	4 Out of 16,413 Allottees from Serial no 2 to 13, were allotted 1(one) additional share						4:16413	4
	TOTAL	**136,496**	**100.00**	**16,000,320**	**100.00**			**10,668,340**

B. Allotment to Non Institutional Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders, who have bid at the Offer Price of ₹ 178 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 0.5176 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 2,181,060 Equity Shares to 224 successful applicants (the under subscription of 2,032,423 Equity Shares in the Non Institutional Bidders category has been spilled over to Qualified Institutional Buyers and Retail Individual Investors Category in the ratio of 50:35 i.e. 1,195,543 Equity Shares to Qualified Institutional Buyers and 836,880 Equity Shares to Retail Individual Investors Category). The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	1,176	71	31.70	83,496	3.83	1,176	1:1	83,496
2	1,260	18	8.04	22,680	1.04	1,260	1:1	22,680
3	1,344	3	1.34	4,032	0.18	1,344	1:1	4,032
4	1,428	3	1.34	4,284	0.20	1,428	1:1	4,284
5	1,512	2	0.89	3,024	0.14	1,512	1:1	3,024
6	1,680	11	4.91	18,480	0.85	1,680	1:1	18,480
7	1,764	2	0.89	3,528	0.16	1,764	1:1	3,528
8	1,932	1	0.45	1,932	0.09	1,932	1:1	1,932
9	2,016	4	1.79	8,064	0.37	2,016	1:1	8,064
10	2,100	5	2.23	10,500	0.48	2,100	1:1	10,500
11	2,184	2	0.89	4,368	0.20	2,184	1:1	4,368
12	2,268	8	3.57	18,144	0.83	2,268	1:1	18,144
13	2,520	7	3.13	17,640	0.81	2,520	1:1	17,640
14	2,688	2	0.89	5,376	0.25	2,688	1:1	5,376
15	2,772	15	6.70	41,580	1.91	2,772	1:1	41,580
16	2,856	2	0.89	5,712	0.26	2,856	1:1	5,712
17	2,940	6	2.68	17,640	0.81	2,940	1:1	17,640
18	3,276	1	0.45	3,276	0.15	3,276	1:1	3,276
19	3,360	8	3.57	26,880	1.23	3,360	1:1	26,880
20	3,444	1	0.45	3,444	0.16	3,444	1:1	3,444
21	3,528	3	1.34	10,584	0.49	3,528	1:1	10,584
22	3,780	3	1.34	11,340	0.52	3,780	1:1	11,340
23	4,200	3	1.34	12,600	0.58	4,200	1:1	12,600
24	4,536	2	0.89	9,072	0.42	4,536	1:1	9,072
25	4,620	3	1.34	13,860	0.64	4,620	1:1	13,860
26	5,040	5	2.23	25,200	1.16	5,040	1:1	25,200
27	5,460	1	0.45	5,460	0.25	5,460	1:1	5,460
28	5,544	2	0.89	11,088	0.51	5,544	1:1	11,088
29	5,628	2	0.89	11,256	0.52	5,628	1:1	11,256
30	6,300	1	0.45	6,300	0.29	6,300	1:1	6,300
31	6,720	2	0.89	13,440	0.62	6,720	1:1	13,440
32	8,400	3	1.34	25,200	1.16	8,400	1:1	25,200
33	8,988	1	0.45	8,988	0.41	8,988	1:1	8,988
34	10,080	1	0.45	10,080	0.46	10,080	1:1	10,080
35	11,172	2	0.89	22,344	1.02	11,172	1:1	22,344
36	12,600	1	0.45	12,600	0.58	12,600	1:1	12,600
37	14,028	4	1.79	56,112	2.57	14,028	1:1	56,112
38	16,800	2	0.89	33,600	1.54	16,800	1:1	33,600
39	32,256	1	0.45	32,256	1.48	32,256	1:1	32,256
40	37,800	2	0.89	75,600	3.47	37,800	1:1	75,600
41	44,268	1	0.45	44,268	2.03	44,268	1:1	44,268
42	56,112	1	0.45	56,112	2.57	56,112	1:1	56,112
43	78,708	1	0.45	78,708	3.61	78,708	1:1	78,708
44	112,308	1	0.45	112,308	5.15	112,308	1:1	112,308
45	168,000	2	0.89	336,000	15.41	168,000	1:1	336,000
46	393,204	1	0.45	393,204	18.03	393,204	1:1	393,204
47	449,400	1	0.45	449,400	20.60	449,400	1:1	449,400
	TOTAL	**224**	**100.00**	**2,181,060**	**100.00**			**2,181,060**

C. Allotment to QIBs (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 178 per Equity Share, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 2.9313 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB portion available i.e. 340,677 Equity Shares (includes under subscribed portion of 59,778 Equity Shares spilled over from Non Institutional Investors Category) and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 6,472,843 Equity Shares (includes under subscribed portion of 1,135,765 Equity Shares spilled over from Non Institutional Investors Category) on a proportionate basis. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 6,813,520 Equity Shares (includes under subscribed portion of 1,195,543 Equity Shares spilled over from Non Institutional Investors Category), which were allotted to 15 successful Applicants.

CATEGORY	FIs/BANKs	MF's	IC's	AIF	FPC	TOTAL
ALLOTMENT	555,683	2,426,879	2,244,945	668,654	917,359	**6,813,520**

D. Allotment to Anchor Investors

Our Company and the Promoter Selling Shareholders in consultation with the BRLMs, have allocated 8,426,965 Equity Shares to 8 Anchor Investors (who have applied through 13 applications) at the Anchor Investor Offer Price of ₹ 178 per Equity Share in accordance with the SEBI ICDR Regulations. This represents upto 60.00% of the QIB Portion.

CATEGORY	MF's	IC's	AIF	TOTAL
ALLOTMENT	3,371,088	1,685,544	3,370,333	**8,426,965**

The IPO committee of our Company at its meeting held on December 26, 2019 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice-cum-Intimations and/ or notices will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, the instructions to the Self Certified Syndicate Banks for unblocking of funds, transfer to Public Offer Account have been issued on December 26, 2019 and payment to non-Syndicate brokers have been issued on December 27, 2019. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares Allotted to the successful Allottees have been uploaded on December 27, 2019 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. Our Company has filed the listing application with BSE and NSE on December 27, 2019. Our Company has received listing and trading approval from BSE and NSE and the trading will commence on or about December 30, 2019.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

INVESTORS PLEASE NOTE

These details of the Allotment made shall be hosted on the website of Registrar to the Offer, Link Intime India Private Limited at www.linkintime.co.in

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:

LINKIntime

Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India
Telephone: +91 22 4918 6200; **Facsimile:** +91 22 4918 6195; **E-mail:** princepipes.ipo@linkintime.co.in
Investor grievance E-mail: princepipes.ipo@linkintime.co.in; **Website:** www.linkintime.co.in
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan; **SEBI Registration No.:** INR000004058

For **PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : December 27, 2019

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED.

Prince Pipes and Fittings Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its equity shares ("**Equity Shares**") and has filed a prospectus dated December 23, 2019 ("**Prospectus**") with the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu and Securities and Exchange Board of India and the Stock Exchanges and issued notices to investors dated December 25, 2019 and December 26, 2019. The Prospectus is available or will be made available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the book running lead managers, i.e. JM Financial Limited at www.jmfl.com and Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfin.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "*Risk Factors*" on page 17 of the Prospectus.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**"), or the laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

CONCEPT

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 READ WITH REGULATIONS 13(4), 14(3), 15(2) AND OTHER APPLICABLE REGULATIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF:

INDO TECH TRANSFORMERS LIMITED

Registered Office: S. No. 153-210, Illuppapattu Village, Near Rajakulam, Chennai-Bangalore Highway, Kancheepuram, Tamil Nadu- 631561, India
Tel.: +91-44-37290518; Fax: +91-44-37290547; Website: www.prolecge.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 27,24,375 (TWENTY SEVEN LAKH TWENTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED AND SEVENTY FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10 EACH (INDIAN RUPEES TEN ONLY) ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 25.65% OF THE TOTAL PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF INDO TECH TRANSFORMERS LIMITED ("TARGET COMPANY"), AS OF THE 10TH WORKING DAY (AS DEFINED BELOW) FROM THE TENDERING PERIOD (AS DEFINED BELOW) FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY BY SHIRDI SAI ELECTRICALS LIMITED ("ACQUIRER") (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "OFFER" OR THE "OPEN OFFER").

This detailed public statement ("**DPS**") is being issued by Ernst & Young Merchant Banking Services LLP ("**Manager to the Offer**") for and on behalf of the Acquirer, pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(4), 14(3), 15(2) and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto ("**SEBI (SAST) Regulations**"), and pursuant to the public announcement dated December 20, 2019 ("**Public Announcement**" or "**PA**") filed with BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") (collectively referred to as the "**Stock Exchanges**"). The PA was also filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and sent to the Target Company at its registered office, in terms of Regulation 14(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

For the purposes of this DPS, the following terms have the meanings assigned to them below:

"**Closing Date**" means the date on which, *inter alia*, the purchase of Sale Shares by the Acquirer from the Seller and the payment of Sale Consideration by the Seller to the Acquirer, is completed in accordance with the SPA;

"**Equity Shares**" or "**Shares**" shall mean the fully paid-up equity shares of face value of INR 10 (Indian Rupees Ten only) each of the Target Company;

"**Fair Market Value**" means the fair market value of Equity Shares determined in accordance with the applicable Indian foreign exchange regulations and the SEBI regulations;

"**Financial Year/FY**" means the year beginning from first day of April of one year and ending on thirty-first day of March in the immediate next year;

"**Public Shareholders**" shall mean all the equity shareholders of the Target Company who are eligible to tender their Equity Shares in the Open Offer, except: (i) the Acquirer; (ii) parties to the SPA (as defined below), and (iii) the persons acting or deemed to be acting in concert with parties as set out in (i) and (ii);

"**Residual Equity Shares**" means the 5,29,593 (Five Lakh Twenty Nine Thousand Five Hundred and Ninety Three) Equity Shares of the Target Company held by the Seller on the SPA Date, constituting 4.99% of the Equity Share Capital as of the SPA Date;

"**Rupee/INR//₹**" shall mean Indian Rupee(s), the official currency of the Republic of India;

"**Sale Consideration**" means the consideration to be paid by the Acquirer to the Seller for the purchase of Sale Shares in accordance with the SPA, including the applicable Indian foreign exchange regulations;

"**Sale Shares**" means 73,66,032 Equity Shares of the Target Company held by the Seller on the SPA Date, constituting 69.36% of the total paid-up equity share capital of the Target Company;

"**Sale Share Price**" means the price per share to be paid by the Acquirer for the Sale Shares to the Seller in accordance with the SPA, including the applicable Indian foreign exchange regulations;

"**Seller**" means Prolec GE Internacional, S.De R.L. De C.V.;

"**SPA**" means the share purchase agreement dated December 20, 2019 executed between the Acquirer and the Seller, pursuant to which the Acquirer has agreed to acquire from the Seller, 73,66,032 Equity Shares of the Target Company, representing 69.36% of the total paid-up equity share capital of the Target Company at a price of INR 94.51 (Indian Rupees Ninety Four and Fifty One Paise only) per Equity Share;

"**SPA Date**" means the execution date of the SPA;

"**Tendering Period**" has the meaning ascribed to it under the SEBI (SAST) Regulations;

"**Transaction**" means collectively the Underlying Transaction and the Open Offer;

"**Underlying Transaction**" means the transaction in terms of the SPA, pursuant to which the Acquirer shall acquire 73,66,032 Equity Shares of the Target Company, representing 69.36% of the total paid-up equity share capital at a price of INR 94.51 (Indian Rupees Ninety Four and Fifty One Paise only) per Equity Share, from the Seller, in accordance with the terms of the SPA;

"**Working Day**" means the working day of the Securities and Exchange Board of India, in Mumbai;

"**SEBI Act**" shall mean the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and subsequent amendments thereto.

I. ACQUIRER, SELLER, TARGET COMPANY AND OFFER

1. Information about the Acquirer: Shirdi Sai Electricals Limited

1.1. The Acquirer is an unlisted public limited company and was incorporated on July 30, 2010 under the Companies Act, 1956, and is promoted by Mr. N. Visweswara Reddy. There has been no change in the name of the Acquirer since the time of its incorporation.

1.2. The registered office of the Acquirer is situated at G Pulla Reddy Sweets Building, 3rd Floor, # 6-3-8-879/B, Greenland Road, Begumpet, Hyderabad, Telangana 500 016, India.

1.3. The principal activity of the Acquirer is manufacturing of power and distribution transformers and an EPC player in power and distribution sector.

1.4. The shareholding pattern of the promoter and promoter group of the Acquirer, as on November 30, 2019, is as under:

Sl No	Name	No. of shares	% holding
1	Mr. N. Visweswara Reddy	2,04,83,199	68.13%
2	Ms. N. Pratibha	39,64,676	13.19%
3	Ms. N. Reddy Radha	47,77,787	15.89%
4	Mr. N. Karunakara Reddy	3,01,014	1.00%
5	Ms. N. Lavanya	4,66,325	1.55%
	Total	**2,99,93,001**	**99.75%**

1.5. The Acquirer does not belong to any group. No person is acting in concert with the Acquirer for the purpose of this Open Offer.

1.6. The securities of the Acquirer are not listed on any stock exchange in India or abroad.

1.7. The board of directors of the Acquirer comprises of 4 (four) directors, namely, (a) Mr. N Visweswara Reddy, Managing Director; (b) Ms. N Radha Reddy, Whole-time Director; (c) Mr. Vinod Masson, Whole-time Director; and (d) Mr. M Vikram Ravindra, Independent Director.

1.8. Neither the Acquirer nor its directors or key employees have any relationship or interest in the Target Company, except for the Underlying Transaction. Further, there are no common directors on the board of the Acquirer and the Target Company.

1.9. Neither the Acquirer nor any of its directors hold any Equity Shares in the Target Company.

1.10. The Acquirer does not hold any Equity Shares or voting rights in the Target Company. Furthermore, the Acquirer has not acquired any Equity Shares of the Target Company after the date of the PA, i.e. December 20, 2019.

1.11. The Acquirer has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of any directions issued under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made thereunder.

1.12. The below key audited financial information of the Acquirer for the FY 2019 and FY 2018 has been extracted from the audited financial information of FY 2019 and the information pertaining to FY 2017 has been extracted from comparative financial information in the audited financial statements as at and for the FY 2018 and the unaudited financial information for the six months period ended September 30, 2019, subjected to limited review are as follows:

(INR in Lakhs except earnings per share)

Perticulars	Unaudited six months period ended September 30, 2019 (Ind AS)	FY 2019 (Ind AS)	FY 2018 (Ind AS)	FY 2017 (IGAAP)
Total Revenue[1]	42,544.46	1,06,083.69	1,00,716.17	90,659.72
Net Income (i.e., Profit for the Year)	3,474.02	11,360.81	7,141.61	5,885.83
Earnings Per Share (Basic and Diluted)	11.55	37.79	23.81	19.63
Net Worth/Shareholder's Funds[2]	34,728.32	31,254.30	19,883.60	18,876.79

Note:

1. *Total revenue consists of (i) revenue from operations (ii) other income and (iii) finance income, as applicable*
2. *Net worth includes paid-up share capital and reserves & surplus*

2. Details of the Seller: Prolec-GE Internacional, S.de R.L. de C.V.

2.1 The Seller is a limited liability company incorporated on March 23, 1998 under the name Lumisistemas-GE, S. de R.L. de C.V., under the laws of Mexico, with its registered office located at Blvd. Carlos Salinas de Gortari KM 9.25, Apodaca, Nuevo Leon, Mexico, CP 66600. The Seller's name was further changed to Prolec-GE Internacional, S.de R.L. de C.V. on September 24, 2007.

2.2 The Seller was formed as a joint venture between Xignux and General Electric Company. Xignux is a Mexico based group with significant presence in the electricity, infrastructure and food sectors.

2.3 The Seller is engaged in designing, manufacturing, and selling products and solutions for the generation, transmission, and distribution of electrical energy.

2.4 The Seller is the 'promoter' of the Target Company.

2.5 As on the date of this DPS, the Seller holds 78,95,625 Equity Shares representing 74.35% of the total equity share capital of the Target Company.

2.6 The securities of the Seller are not listed on any stock exchanges, in India or abroad.

2.7 The Seller has not been prohibited by SEBI from dealing in securities pursuant to the terms of any directions issued under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made thereunder.

3. Details of the Target Company: Indo Tech Transformers Limited

3.1 The Target Company is a public limited company incorporated on January 16, 1992, under the Companies Act, 1956, in Tamil Nadu, India. The Corporate Identity Number (CIN) of the Target Company is L29113TN1992PLC022011. There has been no change in the name of the Target Company in the last 3 (three) years.

3.2 The registered office of the Target Company is situated at Survey No. 153-210, Illuppapattu Village, Near Rajakulam, Chennai - Bangalore Highway, Kancheepuram, Tamil Nadu, 631561, India.

3.3 The Target Company is *inter-alia* engaged in the business of manufacturing power and distribution transformers, various special application transformers, and skid mounted sub-stations. The Target Company has manufacturing plants located at Chennai and Kancheepuram in Tamil Nadu.

3.4 The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE (Scrip Code: 532717, Scrip ID: INDOTECH) and NSE (Symbol: INDOTECH). The ISIN of the Target Company is INE332H01014.

3.5 As on the date of this DPS, the Equity Shares are frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

3.6 As on the date of this DPS, there are no partly paid-up Equity Shares of the Target Company, outstanding convertible securities, depository receipts, warrants or instruments, which are convertible into Equity Shares of the Target Company.

3.7 The key audited financial information of the Target Company as at and for the financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018, and March 31, 2017 and the unaudited financial information for the six months period ended September 30, 2019, subjected to limited review, are as given below. In this regard, please note that the key financial information of the Target Company as at and for the financial years ended March 31, 2019 and March 31, 2018 have been extracted from the respective audited financial statements for the said financial years, and as at and for the financial year ended March 31, 2017 has been extracted from the comparative financial information in the audited financial statements as at and for the financial year ended March 31, 2018. The financial information for the six months period ended September 30, 2019, of the Target Company, has been extracted from the unaudited limited reviewed financial information for such period:

(All figures in INR lakhs, except earnings per share in INR per Equity Share)

Particulars	Unaudited six months period ended September 30, 2019	FY March 31, 2019	FY March 31, 2018	FY March 31, 2017
Total Income[1]	10,339	21,463.33	23,016.29	16,590.56
Profit/(Loss) after tax	192	(838.90)	(369.42)	(1,127.36)
Earnings per Share (Basic & Diluted)	1.81	(7.90)	(3.48)	(10.62)
Net worth/Shareholder Funds[2]	12,661	12,516.77	13,410.08	13,818.82

Note:

1. *Total income consists of (i) revenue from operations; and (ii) other income.*
2. *Net worth includes paid-up share capital and other equity.*

Source:

a) *http://www.prolecge.in/wp-content/uploads/2019/07/Annual-Report-2018-2019.pdf*

b) *http://www.prolecge.in/wp-content/themes/salient/img/pdf/Annual%20Report%202017-2018.pdf*

c) *http://www.prolecge.in/wp-content/uploads/2019/11/Unaudited-Financial-Results-for-Quarter-and-Half-Year-ended-September-30-2019.pdf*

4. Details of the Offer

4.1 This Offer is a mandatory open offer made by the Acquirer in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to the execution of SPA to acquire in excess of 25% of the equity share capital of the Target Company and control over the Target Company. The PA announcing the Open Offer, under Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(1) and 15(1) of the SEBI (SAST) Regulations, was released to the Stock Exchanges on December 20, 2019. Please refer to Part II (Background to the Offer) of this DPS for further information on the SPA.

4.2 The Acquirer is making this Offer to all the Public Shareholders of the Target Company, to acquire up to 27,24,375 Equity Shares ("**Offer Shares**"), representing 25.65% of the total paid-up equity capital of the Target Company ("**Offer Size**") at a price of INR 115.60 (Indian Rupees One Hundred and Fifteen and Sixty Paise only) per Equity Share ("**Offer Price**") determined in accordance with SEBI (SAST) Regulations aggregating to a total consideration of INR 31,49,37,750 (Indian Rupees Thirty One Crore Forty Nine Lakh Thirty Seven Thousand Seven Hundred and Fifty only).

4.3 The Offer Price shall be payable by the Acquirer in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, subject to the terms and conditions set out in this DPS and the letter of offer ("**Letter of Offer**") that will be dispatched to the Public Shareholders in accordance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

4.4 The Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Offer should ensure that the Equity Shares are free and clear from all liens, charges and encumbrances. The Offer Shares will be acquired by the Acquirer, subject to such Offer Shares being validly tendered in this Offer, together with all the rights attached thereto, including all the rights to dividends, bonuses and right offers declared thereof, and the tendering Public Shareholders shall have obtained all necessary consents required by them to tender the Offer Shares.

4.5 Please refer to Section VI (Statutory and Other Approvals) in relation to the details of the statutory, governmental and other approvals required for the Transaction and Paragraph 3 under Section II (Background to the Offer) for details on conditions stipulated in the SPA, completion of which are outside the reasonable control of the Acquirer, and in view of which the Transaction may be withdrawn under Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer (through Manager to Open Offer) shall, within 2 (Two) working days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations, in the same newspapers in which this DPS has been published, and such announcement will also be sent to SEBI, BSE, NSE and the registered office of the Target Company.

4.6 The Offer is not conditional on any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19 of the SEBI (SAST) Regulations.

4.7 The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations.

4.8 In terms of Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations, as of the date of this DPS, the Acquirer has no intention to restructure or alienate, whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise, any material assets of the Target Company, except:

i. in the ordinary course of business; or

ii. on account of compliance with any law that is or becomes binding on or applicable to the operations of the Target Company; or

iii. as has already been disclosed by the Target Company in the public domain.

In case if the Acquirer intends to alienate any material asset of the Target Company within a period of 2 (two) years from the date of completion of the Offer, a special resolution of the shareholders of the Target Company in accordance with the proviso to Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations shall be obtained before undertaking any such alienation of any material assets of the Target Company.

4.9 Non-resident Indians ("**NRIs**") and Overseas Corporate Bodies ("**OCBs**") who are holders of Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals required to tender their Equity Shares pursuant to the Open Offer and submit such approvals along with the other documents required to accept the Open Offer. Further, if holders of Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and foreign portfolio investors) required any approval from the Reserve Bank of India ("**RBI**") or any other regulatory body in respect of the Equity Shares held by them in the Target Company, they will be required to submit such previous approvals that they would have obtained for acquiring and holding the Equity Shares of the Target Company to tender their Equity Shares pursuant to the Open Offer, along with the other documents required to be tendered to accept the Open Offer as mentioned in the Letter of Offer. In the event such approvals and supporting documents are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in the Open Offer.

4.10 Regulation 38 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("**SEBI LODR Regulations**") read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, and subsequent amendments thereto ("**SCRR**") require the Target Company to maintain minimum public shareholding as determined in accordance with the SCRR, on a continuous basis for listing. Upon the completion of the Offer and the Underlying Transaction, if the public shareholding of the Target Company falls below the minimum level of public shareholding, as required to be maintained by the Target Company under the SCRR and the SEBI LODR Regulations, the Acquirer undertakes to take necessary steps to facilitate compliance by the Target Company with the relevant provisions under the SCRR, as required under Regulation 7(4) of the SEBI (SAST) Regulations and/or the SEBI LODR Regulations, within the time period stated therein, i.e., to bring down the non-public shareholding to 75% of the equity share capital within 12 (twelve) months from the date of such fall in the public shareholding below 25%, through the mechanisms prescribed by SEBI and/or any other such mechanism as may be approved by SEBI from time to time.

4.11 The Manager to the Offer does not hold any Equity Shares of the Target Company. The Manager to the Open Offer further declares and undertakes not to deal on its account in the Equity Shares during the Offer period (as defined under the SEBI (SAST) Regulations).

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. This Offer is a mandatory open offer made by the Acquirer in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to the execution of SPA to acquire in excess of 25% of the Equity Share of the Target Company and control over the Target Company.

2. The SPA was executed on December 20, 2019. Pursuant to the SPA, the Acquirer has agreed to acquire from the Seller, being promoter of the Target Company, 73,66,032 Equity Shares of the Target Company, representing 69.36% of the total paid-up equity share capital for cash at a price of INR 94.51 (Indian Rupees Ninety Four and Fifty One Paise only) per Equity Share. The Underlying Transaction is subject to receipt of all the statutory approvals, as may be required, and satisfaction of certain other conditions precedent specified in the SPA.

3. **Salient features of the SPA are set out below:**

3.1 Subject to the terms and conditions set out in the SPA, the Acquirer has agreed to purchase the Sale Shares from the Seller, and the Seller has agreed to sell and transfer to the Acquirer, the Sale Shares, free from any Encumbrances (*as defined in the SPA*) and together with all rights, title and interests against the payment of the Sale Consideration by the Acquirer on the Closing Date.

3.2 Sale Consideration shall be subject to certain pre-closing adjustments based on the net debt and net working capital of the Target Company prior to the Closing Date; however, the price per Equity Share to be paid by the Acquirer to the Seller pursuant to the Underlying Transaction shall not exceed the Offer Price (*as defined hereinafter*).

3.3 For the Underlying Transaction, the Acquirer shall pay the Sale Consideration to the Seller in the following manner:

(a) A sum equal to 90% (Ninety Percent) of the Sale Consideration to the Seller on the date on which the Seller transfers the Sale Shares to the Acquirer in accordance with the SPA; and

(b) A sum equal to 10% (Ten Percent) of the Sale Consideration in an escrow account (opened by the Seller) in terms of the SPA, for a period of 12 months from the closing of the Underlying Transaction or 18 months from the date of the SPA, whichever is earlier.

3.4 Seller's Conditions Precedent: The obligation of the Acquirer to purchase the Sale Shares and pay the Sale Consideration is conditional upon fulfilment by the Seller or waiver by the Acquirer, *inter alia*, of the following conditions precedent:

(a) The Seller shall ensure that all necessary corporate approvals and authorizations for the Underlying Transaction are obtained;

(b) No Material Adverse Change (*as defined in the SPA*) shall have occurred between the SPA Date and the Closing Date;

(c) The Target Company having obtained the necessary approvals of the lenders and Third Parties (*as defined in the SPA*) in accordance with the SPA; and

(d) The Target Company having obtained the necessary approvals from governmental authorities (if required) in accordance with the SPA.

3.5 Acquirer's Conditions Precedent: The obligation of the Seller to sell the Sale Shares to the Acquirer is conditional upon fulfilment by the Acquirer or waiver by the Seller (as the case may be), of the following conditions precedent:

(a) completion of Open Offer in accordance with SEBI (SAST) Regulations by the Acquirer; and

(b) Acquirer having obtained the approval of the lead member of consortium of banks for purchase of Sale Shares from the Seller.

3.6 After the completion of Open Offer and at least 3 (three) days prior to the Closing Date, the Seller has to ensure that the Target Company executes: (a) 2 (two) separate trademark license agreements, in a form and manner acceptable to the parties to the SPA and parties to the agreements: (i) 1 (one) to be executed with Xignux, S.A. de C.V. and Prolec S.A. de C.V.; and (ii) other 1 (one) to be executed with Monogram Licensing Inc. and Monogram Licensing International Inc.; and (b) the transition services agreement with the Seller, in a form and manner acceptable to the parties to the SPA and parties to the agreement, which agreements shall be effective from the Closing Date.

3.7 The SPA contains mutual customary representations and warranties, including in relation to compliance with applicable laws, subject to the disclosures (if any) between the Acquirer and the Seller.

3.8 Parties have given indemnities to each other as set out in the SPA.

3.9 The Seller is subject to certain non-compete and non-solicit restrictions as set out in the SPA, without any additional consideration.

3.10 Re-classification of the Seller: The Acquirer, as soon as possible after completion of the Underlying Transaction and in any event no later than 6 (six) months from the date of compliance with the minimum public shareholding requirement with respect to the Target Company, shall make best efforts to procure that the board of the Target Company seeks approval of the shareholders of the Target Company to re-classify the Seller from the 'promoter and promoter group' of the Target Company to 'public' and such re-classification shall take place subject to receipt of necessary approvals in terms of the SEBI LODR Regulations and conditions prescribed therein.

3.11 Lock-in -The Seller has agreed that from SPA Date until a period of 30 (thirty) days from the third anniversary of Closing Date it shall not, directly or indirectly, transfer any Residual Equity Shares of the Company, except as provided in the SPA.

3.12 Call Option: The Acquirer has the right (but not an obligation) for a period of three years from the Closing Date to acquire the Residual Equity Shares held by the Seller in the Target Company at a price per Equity Share ("**Option Price**") which is lower of the: (a) Sale Share Price; and (b) the Fair Market Value, in each case calculated as per Equity Share basis and the Seller shall have an obligation to sell such Residual Equity Shares.

3.13 Put Option: If the Acquirer fails to exercise its call option within 3 (three) years of the Closing Date, the Seller has the right (but not an obligation), for a period of 6 (six) months, to sell to the Acquirer all Residual Equity Shares held by the Seller and/or its Affiliates (*as defined in the SPA*) (if applicable) and the Acquirer shall have an obligation to buy such Residual Equity Shares at the Option Price.

3.14 Material Adverse Impact: If in the opinion of the Seller, any Material Adverse Impact (*as defined in the SPA*) occurs after the Closing Date, the Seller has the right to call the Acquirer to purchase the Residual Equity Shares at the Option Price.

4. The Offer Price shall be payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in this DPS and the Letter of Offer that will be dispatched to the Public Shareholders in accordance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

5. Object of the Offer: The Offer is being made as a result of the acquisition of more than 25% of the Equity Shares, voting rights and control of the Target Company by the Acquirer resulting in a change of control of the Target Company in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations. Following the completion of the Offer, the Acquirer intends to work with the employees of the Target Company to accelerate its growth. The Target Company is engaged in the business of manufacturing power and distribution transformers, various special application transformers, and skid mounted sub-stations. The Target Company has manufacturing plants located at Chennai and Kancheepuram in Tamil Nadu. The Acquirer proposes to continue with the existing activities.

6. **Object and purpose of acquisition and strategic intent and future plans:**

The acquisition will help the Acquirer (a) to expand its business in the power transformer business; (b) consolidate its position in south India for the transformer business, (c) to create a strong foothold in power transmission and distribution sector and (d) to use the manufacturing facilities of the Target Company at an optimum level by bringing in its expertise in manufacturing operations.

7. Upon consummation of the Transaction, the Acquirer will acquire control over the Target Company and will become a promoter of the Target Company, including in accordance with the provisions of SEBI LODR Regulations.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

1. The current and proposed shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of their acquisition are as follows:

Details of Shareholding	Acquirer	
	No. of Equity Shares	% age
As on the date of PA (i.e. December 20, 2019)	Nil	Nil
Acquired between the date of PA (i.e. December 20, 2019) and the date of DPS	Nil	Nil
As on the date of DPS	Nil	Nil
Post Offer shareholding (assuming full acceptance, on diluted basis, as on the 10th Working Day after the closure of the Tendering Period)	27,24,375	25.65
Shareholding after the completion of the Transaction (assuming full acceptance in the Offer)	1,00,90,407	95.01

2. As on the date of this DPS, neither the Acquirer nor any of its directors hold any Equity Shares in the Target Company.

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE and NSE.

2. The trading turnover in the Equity Shares based on the trading volumes during the twelve calendar months prior to the calendar month in which the PA is made i.e., December 1, 2018 to November 30, 2019 on BSE and NSE is as under:

Stock Exchange	Traded turnover of equity shares of the Target Company during the Twelve Months Period ("A")	Weighted average number of equity shares of the Target Company during the Twelve Months Period ("B")	Traded turnover % (A/B)
BSE	4,43,968	1,06,20,000	4.18%
NSE	28,70,432	1,06,20,000	27.03%

Source: BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com)

3. Based on the above, the Equity Shares are frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations, with NSE being the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company has been recorded.

4. The Offer is being made at an Offer Price of INR 115.60 (Indian Rupees One Hundred and Fifteen and Sixty Paise only) per Offer Share which is in accordance with Regulation 8 read with other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations. In terms of Regulation 8(1) and Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, the Offer Price shall not be lower than the highest of the following:

Sl. No.	Details	Price per Equity Share in INR
A.	The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for the acquisition under the SPA attracting the obligation to make a PA for the Offer	94.51

Contd...

भारतीय-अमेरिकियों का सीएए के खिलाफ प्रदर्शन

वाशिंगटन, 29 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय-अमेरिकियों का समूह संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए यहां भारतीय दूतावास के सामने स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास एकत्रित हुआ।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई समुदाय के जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 'नफरत के खिलाफ एकजुट' और 'भारत को बांटना बंद करो' जैसे पोस्टर प्रदर्शित करते हुए ग्रेटर वाशिंगटन इलाके के करीब 150 भारतीय-अमेरिकियों ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा खतरे में है। उन्होंने भाजपा नीत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रगान गाया। प्रदर्शनकारियों ने गांधी की प्रतिमा के इर्द गिर्द घेरा बनाया और देशभक्ति के गीत गाए। साथ ही नागरिकता देने में धर्म को आधार बनाए जाने के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। पिछले नौ दिनों में भारतीय दूतावास के सामने किया गया यह तीसरा विरोध प्रदर्शन था।

कश्मीर पर ओआइसी के विदेश मंत्रियों की बैठक की योजना बना रहा सऊदी अरब

इस्लामाबाद, 29 दिसंबर (भाषा)।

सऊदी अरब कश्मीर की स्थिति पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है।

सऊदी अरब के इस कदम को पाकिस्तान को खुश करने का प्रयास माना जा रहा है, क्योंकि मलेशिया में हाल में मुस्लिम राष्ट्रों के एक सम्मेलन में पाकिस्तान ने भागीदारी नहीं की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को पुष्टि की कि उनका देश चाहता है कि कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा के लिए ओआइसी के विदेश मंत्रियों की एक बैठक जल्द हो। अपने गृह नगर मुल्तान में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर ओआइसी के विदेश मंत्रियों की बैठक जल्द हो। कुरैशी की यह पुष्टि मीडिया की उन खबरों के बाद आई है, जिनमें कहा गया था कि सऊदी अरब ने अपने विदेश मंत्री शाहजादा फैसल बिन फरहान के जरिए इस हफ्ते पाकिस्तान को यह बताया था कि वह कश्मीर मुद्दे पर बैठक आयोजित करने की योजना तैयार कर रहा है।

तालिबान के हमले में 17 लड़ाकों की मौत

काबुल, 29 दिसंबर (एपी)।

उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में कम से कम 17 स्थानीय लड़ाकों की मौत हो गई। तखार प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता जवाद हजरी ने रविवार को बताया कि यह हमला स्थानीय मिलिशिया कमांडर को निशाना बनाने के लिए किया गया था। हमला शनिवार देर शाम हुआ था। स्थानीय अफगान मिलिशिया आमतौर पर दूरदराज के इलाकों में काम करते हैं और रक्षा या गृह मंत्रालयों के तहत आते हैं।

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की जिम्मेदारी ली। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब तालिबान के अधिकारियों ने बताया कि देशभर में अस्थायी संघर्ष विराम लागू करने पर विचार चल रहा है। प्रस्तावित संघर्ष विराम हफ्तेभर से 10 दिन तक का हो सकता है। तालिबान के अधिकारियों ने बताया कि संघर्ष विराम के समय अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

त्योहार मना रहे लोगों पर चाकू से हमला, पांच हुए घायल

यहूदी धर्मगुरु का बेटा भी घायल, न्यूयार्क के गवर्नर ने हमले की निंदा की

न्यूयार्क, 29 दिसंबर (एएफपी)।

अमेरिका के न्यूयार्क में यहूदी समुदाय के त्योहार 'हनुक्का' का जश्न मनाने के लिए शनिवार को आयोजित पार्टी के दौरान रब्बी (यहूदी धर्मगुरु) के घर पर व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें पांच व्यक्ति घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ऑर्थोडॉक्स जेविश पब्लिक अफेयर्स काउंसिल (ओजेपीएसी) ने ट्वीट किया, 'रात 9 बजकर 50 मिनट पर इस घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़ितों (सभी हसीदिक समुदाय के लोग) को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है।' हसीदिक, यहूदियों का धार्मिक समुदाय है। एनवाईपीडी के प्रवक्ता ने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। न्यूयार्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने बयान में कहा कि वह इस घृणित और कायरतापूर्ण कृत्य से हैरान है और उन्होंने राज्य पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया है।

'सीबीएस न्यूयार्क' की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयार्क राज्य के मोंसे में हनुक्का उत्सव के दौरान एक व्यक्ति हथियार लेकर रब्बी के परिसर में घुस गया और भागने से पहले कम से कम तीन व्यक्तियों को चाकू मार दिया। मोंसे बड़ी यहूदी आबादी वाला क्षेत्र है।

हडसन वैली क्षेत्र के ओजेपीएसी के सह-संस्थापक योसी गेस्टेटनर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि पीड़ितों में रब्बी का बेटा भी शामिल है। गेस्टेटनर ने बताया, 'घर में कई लोग थे। वहां हनुक्का उत्सव चल रहा था।' पिछले कुछ सालों के दौरान अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ कई हमले हुए हैं।

अमेरिका में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त, पांच मरे

अटलांटा, 29 दिसंबर (एपी)।

कॉलेज फुटबॉल गेम के लिए कुछ लोगों को ले जा रहा छोटा विमान शनिवार को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लुसियाना में डाकघर के पार्किंग क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और पार्किंग में खड़ी कार जलकर खाक हो गई। दो इंजनों वाला पाइपर चेयने क्षेत्रीय हवाईअड्डे जहां से उसने उड़ान भरी थी, उससे करीब एक मील दूर लाफायेते शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लुसियाना स्टेट यूनिर्विसटी फुटबॉल टीम के संयोजक के बेटे स्टीवन एन्समिगर जूनियर ने कहा कि उनकी पत्नी कार्ले मैककोर्ड विमान में सवार थीं और उनकी मौत हो गई। यह विमान एलएसयू और ओकलाहोमा के बीच अटलांटा में खेले जाने वाले पीच बाउल के लिए लोगों को ले जा रहा था।

श्रीलंकाई नौसेना ने 14 भारतीय को गिरफ्तार किया

कोलंबो, 29 दिसंबर (भाषा)।

श्रीलंकाई नौसेना ने कम से कम 14 भारतीय मछुआरों को कथित रूप से उसकी जलसीमा में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया है और उनके तीन जाल वाले जहाजों को जब्त कर लिया। ये गिरफ्तारियां शनिवार को डेल्फ्ट द्वीप के उत्तर में समुद्र में की गईं। बयान में कहा गया, 'श्रीलंका की नौसेना ने 28 दिसंबर को श्रीलंका के जल में अवैध रूप से मछली पकड़ने आए 14 भारतीय मछुआरों को तीन जहाजों के साथ पकड़ा।' उम्मीद है कि मछुआरों को आगे की कार्रवाई के लिए चिकित्सीय परीक्षण के बाद जाफना में मत्स्य पालन सहायक निदेशक को सौंप दिया जाएगा।

B.	The volume-weighted average price paid or payable per Equity Share for any acquisitions, whether by the Acquirer or by any person acting in concert with it, during the 52 (fifty-two) weeks immediately preceding the date of the PA being December 20, 2019	Not Applicable[1]
C.	The highest price per Equity Share paid or payable for any acquisition by the Acquirer or by any person acting in concert with him during the 26 (twenty-six) weeks immediately preceding the date of the PA, being December 20, 2019	Not Applicable[1]
D.	The volume-weighted average market price per Equity Share for a period of 60 (sixty) trading days immediately preceding the date of the PA as traded on the NSE	115.60
E	Where the Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to Offer, taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies; and	Not Applicable
F	The per equity share value computed under Regulation 8(5), of SEBI (SAST) Regulations, if applicable	Not Applicable[2]

Notes:

1. *The Acquirer has not acquired any Equity Shares in the Target Company.*
2. *The acquisition is not an indirect acquisition under Regulation 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations.*

5. The Offer Price of INR 115.60 (Indian Rupees One Hundred and Fifteen and Sixty Paise only) per Offer Share represents the highest of the above parameters mentioned in the SEBI (SAST) Regulations.
6. There have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price or the Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or the Offer Size, the Acquirer shall comply with Regulations 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations.
7. In the event of an acquisition of the Equity Shares of the Target Company by the Acquirer during the Offer period, at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations. However, the Acquirer shall not acquire any Equity Shares of the Target Company after the 3rd (third) working day prior to the commencement of the Tendering Period of this Offer and until the expiry of the Tendering Period of this Offer. An upward revision to the Offer Price or to the Offer Size, if any, on account of competing offers or otherwise, may also be done at any time prior to the commencement of 1 (one) working day before the commencement of the Tendering Period of this Offer in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations. Such revision would be done in compliance with other formalities prescribed under the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirer shall:
   (i) make corresponding increase to the escrow amounts as more particularly set out in paragraph 6 of Part V (*Financial Arrangements*) of this DPS;
   (ii) make a public announcement in the same newspapers in which this DPS is published; and
   (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform BSE, NSE, SEBI and the Target Company at its registered office of such revision in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.
8. In the event the Acquirer acquires any Equity Shares, it will disclose such information to BSE and NSE where the Equity Shares are listed and to the Target Company within 24 (twenty-four) hours of such acquisition.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. The total consideration for the Offer Size at the Offer Price, assuming full acceptance of the Offer, is INR 31,49,37,750 (Indian Rupees Thirty One Crore Forty Nine Lakh Thirty Seven Thousand Seven Hundred and Fifty only) ("**Maximum Consideration**").
2. In accordance with Regulation 17(5) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has opened an escrow account under the name and title of '**Shirdi Sai Open Offer Escrow Account**' ("**Escrow Account**") with Citi Bank, N.A., Mumbai and having its branch at 4th Floor, Fort House, Dr D.N. Road, Fort, Mumbai - 400001 and acting through its office at Citibank N.A. 11th Floor, First International Financial Center, C-54 & 55, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 098 ("**Escrow Agent**") pursuant to an escrow agreement dated December 19, 2019 ("**Escrow Agreement**") and has made a cash deposit of an amount of INR 7,90,00,000 (Indian Rupees Seven Crore Ninety Lakh only) in such Escrow Account which constitutes more than 25% (Twenty Five percent) of the Maximum Consideration ("**Cash Escrow**"). In terms of the Escrow Agreement, the Manager to the Offer has been authorized to operate the Escrow Account in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. The cash deposit has been confirmed by the Escrow Agent by way of its confirmation letter dated December 26, 2019.
3. Reddy & Kumar, Chartered Accountants, located at B-27, View Towers, Lakdi-ka-pul, Hyderabad-500 004, Telangana, has *vide* its letter dated December 20, 2019, certified that the Acquirer has adequate resources and capability to meet the financial obligations under the open offer.
4. The Manager to the Offer has entered into an Escrow Agreement with the Acquirer and the Escrow Agent pursuant to which the Acquirer has solely authorized the Manager to the Offer to realize the value of the Escrow Account and to operate the special escrow account opened as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.
5. Based on the certificate dated December 20, 2019 provided by Reddy & Kumar, Chartered Accountants, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to fulfill the obligations in relation to this Open Offer through verifiable means in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.
6. In case of any upward revision in the Offer Price or the Offer Size, corresponding increase to the escrow amounts as mentioned above in this Part shall be made by the Acquirer in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. To the best of knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required to complete the Open Offer as on the date of this DPS. If, however, any statutory approval becomes applicable prior to completion of such acquisitions, the Open Offer would also be subject to such statutory approval(s) and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals.
2. In terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, in the event that the statutory approvals (in relation to the acquisition of the Offer Shares), if any, applicable, or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the Acquirer shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer (through the Manager to the Offer) shall, within 2 (two) working days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations.
3. All Public Shareholders, (including resident or non-resident shareholders) must obtain all requisite approvals required, if any, to tender their part of the Offer Shares (including without limitation, the approval from the RBI, if required), in the Offer and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares held by them, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Offer Shares.
4. Public Shareholders classified as OCBs, if any, may tender the Equity Shares held by them in the Open Offer pursuant to receipt of approval from Foreign Investment Facilitation Portal (FIFP)/SIA and RBI, as applicable under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the regulations made thereunder, including the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019. Such OCBs shall approach the RBI independently to seek approval to tender the Equity Shares held by them in the Open Offer.
5. Subject to the receipt of the statutory and other approvals, if any, the Acquirer shall complete payment of consideration within 10 (Ten) working days from the closure of the Tendering Period to those Public Shareholders whose documents are found valid and in order and are approved for acquisition by the Acquirer.
6. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.
7. In case of delay/non-receipt of any statutory and other approval referred to in this Part VI, as per Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, SEBI may, if satisfied, that non-receipt of the requisite statutory approval(s) was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer to diligently pursue such approval(s), grant an extension of time for the purpose of completion of this Open Offer, subject to such terms and conditions as may be specified by SEBI, including payment of interest by the Acquirer to the Public Shareholders at such rate, as may be prescribed by SEBI from time to time, in accordance with Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations.
8. For the Transaction, the Acquirer is required to procure a no-objection certificate from its lenders, in terms of its lending documents. Accordingly, the Acquirer has already made an application for procuring the same.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Sl. No.	Activity	Schedule (Day and Date)^
1.	Issue of PA	Friday, December 20, 2019
2.	Date of publishing the DPS in the newspapers	Monday, December 30, 2019
3.	Last date of filing of the draft letter of offer ("**DLoF**") with SEBI	Monday, January 06, 2020
4.	Last date for public announcement for competing offer(s) as per the DPS*	Monday, January 20, 2020
5.	Last date for receipt of SEBI observations on the DLoF (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Monday, January 27, 2020
6.	Identified Date#	Wednesday, January 29, 2020
7.	Last date by which the Letter of Offer is to be dispatched to the Public Shareholders whose name appears on the register of members on the Identified Date	Wednesday, February 05, 2020
8.	Last date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation to the shareholders of the Target Company for this Offer	Monday, February 10, 2020
9.	Last date for upward revision of the Offer Price/Offer Size	Monday, February 10, 2020
10.	Date of publication of Offer opening public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	Tuesday, February 11, 2020
11.	Date of commencement of the Tendering Period ("**Offer Opening Date**")	Wednesday, February 12, 2020
12.	Date of closure of the Tendering Period ("**Offer Closing Date**")	Thursday, February 27, 2020
13.	Last date of communicating the rejection/acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the shareholders of the Target Company	Friday, March 13, 2020
14.	Last date for issue of post-Offer advertisement	Friday, March 20, 2020

^ The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and may be subject to receipt of relevant approvals from various regulatory authorities and may be revised accordingly.

**There has been no competing offer as on the date of this DPS.*

 # Date falling on the 10th (tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period. The Identified Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be dispatched/mailed. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) who own Equity Shares of the Target Company are eligible to participate in the Offer at any time prior to the Offer Closing Date.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. Subject to paragraph 2 of Part VI (*Statutory and Other Approvals*), all Public Shareholders holding the shares in dematerialized form are eligible to participate in this Open Offer at any time during the period from Offer Opening Date till the Offer Closing Date ("**Tendering Period**") for this Open Offer. Please refer to paragraph 7 below of this part, for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.
2. The Letter of Offer specifying the detailed terms and conditions of this Offer will be mailed to all the Public Shareholders whose name appears in the register of members of the Target Company as at the close of business hours on the Identified Date.
3. Accidental omission to dispatch the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way. The last date by which the Letter of Offer may be dispatched to the Public Shareholders of the Target Company is February 05, 2020.
4. Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date but prior to the closure of the Tendering Period of the Offer, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.
5. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer (details at paragraph 7 of Part IX (*Other Information*) of this DPS) on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company.
6. The Offer will be implemented under the stock exchange mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of a separate window ("**Acquisition Window**"), as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 issued by SEBI and as amended via SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and BSE notice no. 20170202-34 dated 02 February 2017, in such a case:
   a. BSE shall be the designated stock exchange for the purpose of tendering Equity Shares in the Offer.
   b. The Acquirer has appointed Prabhudas Lilladher Private Limited ("**Buying Broker**") as its broker for the Offer through whom the purchases and settlement of the Equity Shares tendered under the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:
      Name: Prabhudas Lilladher Private Limited
      Address: 3rd Floor, Sadhana House, 570 P.B. Marg, Behind Mahindra Tower, Worli Mumbai - 400 018
      Tel.: +91 22 6632 2222
      Email: vijayshah@plindia.com
      Contact Person: Mr. Vijay Shah
      Website: www.plindia.com
      SEBI Registration Number: NSE: INB230597738 / BSE: INB010502855
   c. All the Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer, would have to intimate their respective stock brokers ("**Selling Broker**") within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.
   d. A separate Acquisition Window will be provided by BSE to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for dematerialized Equity Shares.
   e. Upon placing the order, the Selling Broker shall provide Transaction Registration Slip ("**TRS**") generated by the stock exchange bidding system to the Public Shareholder. TRS will contain details of order submitted like bid ID No., DP ID, Client ID, no. of Equity Shares tendered, etc.
   f. On receipt of TRS from the respective Selling Broker, the Public Shareholder has successfully placed the bid in the Offer.
   g. Modification/cancellation of orders will not be allowed during the Tendering Period.
   h. For custodian participant, orders for demat Equity Shares early pay-in is mandatory prior to confirmation of order by the custodian. The custodians shall either confirm or reject orders not later than the time provided by the Stock Exchanges on the last day of the Tendering Period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected.
   i. The details of settlement number for early pay-in of Equity Shares shall be informed in the issue opening circular that will be issued by the Stock Exchanges/Clearing Corporation, before the opening of the Offer.
   j. The Public Shareholders will have to ensure that they keep their DP account active and unblocked to successfully facilitate the tendering of the Equity Shares and to receive credit in case of return of Equity Shares due to rejection or due to prorated Offer.
   k. The cumulative quantity tendered will be made available on the website of the BSE (www.bseindia.com) throughout the trading sessions and will be updated at specific intervals during the Tendering Period.
7. Procedure to be followed by Public Shareholders holding Equity Shares in the physical form:
   a. As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI LODR Regulations read with SEBI Press Release No. 49/2018 dated December 3, 2018, effective from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository.
   b. Accordingly, the Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Open Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

   THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OPEN OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER

IX. OTHER INFORMATION

1. The Acquirer and its directors, accept full responsibility for the information contained in this DPS (other than: (i) such information regarding the Seller and the Target Company that has been confirmed and verified by them; and (ii) information compiled from public sources, neither of which have been independently verified by the Acquirer or the Manager to the Offer) and shall be responsible for the fulfillment of obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Offer.
2. The information pertaining to the Target Company contained in the PA or the DPS or Letter of Offer or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or provided by the Target Company, as the case may be, or from publicly available sources which has not been independently verified by the Acquirer. The Acquirer does not accept any responsibility with respect to any misstatement in relation to such information.
3. The Acquirer accepts full responsibility for its obligations under the Open Offer and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer.
4. Unless otherwise stated, the information set out in this DPS reflects the position as of the date hereof.
5. Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has appointed Ernst & Young Merchant Banking Services LLP as the Manager to the Offer.
6. This DPS and the PA shall also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).
7. The Acquirer has appointed Link Intime India Private Limited as the Registrar to the Offer, whose details are set out here below:

Registrar to the Offer	
LINK Intime	**LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** **Address:** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India **Contact Person:** Mr. Sumeet Deshpande **Tel:** +91 22 4918 6200; **Fax:** +91 22 4918 6195 **Email:** indotechtransformers.offer@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **SEBI Registration No.:** INR000004058

8. In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer	
EY Building a better working world	**ERNST & YOUNG MERCHANT BANKING SERVICES LLP^** 14th Floor, The Ruby, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028, India **Tel:** +91-22-6192 0000; **Fax:** +91-22-6192 1000 **Website:** www.ey.com/india; **Email:** ittlopenoffer@in.ey.com **Contact Person:** Mr. Chintan Hefa **SEBI Registration No.:** INM000010700

^Ernst & Young Merchant Banking Services Pvt. Ltd. (a company with registration no U67120MH2000PTC129109) converted into Ernst & Young Merchant Banking Services LLP (a Limited Liability Partnership with LLP Identity No. AAO-2287) effective February 7, 2019.

On behalf of the Acquirer:
Shirdi Sai Electricals Limited

Place : Mumbai
Date : December 28, 2019

PRESSMAN

खबर कोना

अमेरिका में एनबीए बॉस्केटबाल मे शनिवार को खेले घए एक मुकाबले में लास एंजलिस क्लीपर्स के फारवर्ड कबाही लियोनार्ड गेंद बॉस्केट में डालने का प्रयास करते हुए।

हॉकी इंडिया का दूसरा कोच शिक्षा कार्यक्रम फरवरी-मार्च में

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

हॉकी इंडिया के कोच शिक्षा कार्यक्रम (कोचिंग एजुकेशन पैथ-वे) का दूसरा सत्र अगले साल फरवरी-मार्च में आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) अकादमी का अहम हिस्सा है। इसके तहत फरवरी 2020 में चार क्षेत्रों- दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व- में लेवल 'बेसिक' और लेवल 'एक' स्तर के कोचिंग कोर्स आयोजित होंगे जबकि हॉकी इंडिया का लेवल 'दो' का कोचिंग कोर्स मार्च में होगा। हॉकी इंडिया के इस कोच शिक्षा कार्यक्रम में वेब सामग्री के अलावा आमने-सामने बैठकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कोचों का आकलन किया जाएगा जिससे कोच को आगे के स्तर पर बढ़ने मे मदद मिलेगी।

आइएसएल के छह मैचों के कार्यक्रम में बदलाव

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) ने विभिन्न कारणों से 2019-20 सत्र के लिए छह मैचों के कार्यक्रम में बदलाव किया है। आइएसएल की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक 12 दिसंबर को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शन के कारण गुवाहाटी में नार्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नइयन एफसी का मैच नहीं खेला जा सका था। इस मुकाबले को अब 25 फरवरी को इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेला जाएगा। नार्थ ईस्ट यूनाइटेड के एक अन्य मैच की तारीख में भी बदलाव किया गया है। जमशेदपुर एफसी के खिलाफ दो जनवरी को खेला जाने वाला मुकाबला अब 10 फरवरी को खेला जाएगा क्योंकि दो जनवरी से 22 जनवरी तक इस स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। आयोजकों ने पहले जारी कार्यक्रम में सात फरवरी को खेले जाने वाले चेन्नइयन एफसी एवं बंगलुरु एफसी के मुकाबले को नौ फरवरी को कराने का फैसला किया है जबकि पहले नौ फरवरी को खेला जाने वाला नार्थ ईस्ट यूनाइटेड और केरल ब्लास्टर्स एफसी का मुकाबला अब सात फरवरी को खेला जाएगा।

लीस्टर ने वेस्ट हैम को हराया

लंदन, 29 दिसंबर (एएफपी)।

लीस्टर ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम को 2-1 से हराया। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बर्नले को 2-0 से हराकर शीर्ष चार में जगह बनाने के करीब पहुंच गया है। एंथोनी मार्शल और मार्कस रशफोर्ड के गोल से यूनाइटेड शनिवार को बर्नले को हराकर टोटेनहैम को पछाड़कर अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गया। टोटेनहैम ने नोर्विच से 2-2 से ड्रॉ खेला। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अब 20 मैचों में 31 अंक हैं जबकि टोटेनहैम इतने ही मैचों में 30 अंक के साथ छठे स्थान पर है। चौथे स्थान पर मौजूदा चेल्सी के 19 मैचों में 32 अंक हैं। लीसेस्टर 20 मैचों में 42 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है ।

दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड से पहला टैस्ट 107 रन से जीता

सेंचुरियन, 29 दिसंबर (एएफपी)।

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को आखिर में अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाने दिया और रविवार को यहां विश्व टैस्ट चैंपियनशिप का अपना पहला टैस्ट मैच 107 रन से जीता।

इंग्लैंड को जीत के लिए 376 रन की जरूरत थी लेकिन कुछ बल्लेबाजों की प्रतिबद्ध बल्लेबाजी के बावजूद उसकी टीम चौथे दिन ही 268 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की तरफ मैच तब पलटा जब केशव महाराज ने बेन स्टोक्स को बोल्ड किया। स्टोक्स (14) और कप्तान जोए रूट (48) ने दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाने की कोशिश की थी।

दक्षिण अफ्रीका ने तुरंत ही नई गेंद ली जिसके बाद कैगिसो रबाडा और एनरिच नोर्त्ज ने महत्त्वपूर्ण सफलताएं हासिल की।दक्षिण अफ्रीका ने अनुशासित गेंदबाजी की जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहा। पहले सत्र में बर्न्स और जो डेनली (31) पवेलियन लौटे।

जोए रूट

कैगिसो रबाडा

बर्न्स सुबह एक घंटे क्रीज पर बिताने के बावजूद अपने कल के स्कोर में केवल सात रन जोड़ पाए। वर्नोन फिलैंडर और रबाडा ने लगातार दबाव में रखा। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका ने चार टैस्ट मैचों की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त बनाई।

मेलबर्न में रविवार को बॉक्सिंग डे टैस्ट में आस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड के कामचलाऊ सलामी बल्लेबाज ब्लंडेल ने शतक लगाया। ब्लंडेल ने 121 रन की पारी खेली।

आस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 247 रन से हराया

मेलबर्न, 29 दिसंबर (एएफपी)।

नाथन लियोन और जेम्स पैटिंसन की धारदार गेंदबाजी से आस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टैस्ट के चौथे दिन रविवार को 247 रन से हराया। इस मुकाबले में कामचलाऊ सलामी बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने शतक जमाया लेकिन वे टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। इस जीत से आस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली है।

आस्ट्रेलिया के 488 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम दिन के अंतिम सत्र में 240 रन पर सिमट गई। लियोन ने 81 रन देकर चार जबकि पैटिंसन ने 35 रन देकर तीन विकेट चटकाए। ब्लंडेल आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे। उन्होंने 210 गेंद में 15 चौकों की मदद से 121 रन की पारी खेली।

तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल होने के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की गेंद पर उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। वह सिडनी में तीन जनवरी से शुरू हो रहे तीसरे टैस्ट से भी बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड को लगातार दूसरे टैस्ट में चार दिन के भीतर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। टीम ने पर्थ में पहला टैस्ट भी चार दिन के अंदर 296 रन से गंवाया था।

बॉक्सिंग डे टैस्ट

टैस्ट इतिहास में कोई टीम 418 रन से अधिक के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है लेकिन यह रेकार्ड भी आस्ट्रेलिया के खिलाफ ही है। वेस्ट इंडीज ने 2003 में एंटीगा में आस्ट्रेलिया के खिलाफ यह लक्ष्य हासिल किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड पैटिंसन की तूफानी गेंदबाजी के सामने लंच तक 38 रन तक तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में था लेकिन ब्लंडेल ने एक छोर संभाले रखा।

दूसरे सत्र में लियोन ने एक विकेट चटकाया लेकिन तीसरे सत्र में इस ऑफ स्पिनर ने तीन विकेट हासिल करके आस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। आम तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाने वाले ब्लंडेल को सलामी बल्लेबाज जीत रावल को बाहर किए जाने के बाद पारी का आगाज करने का मौका मिला।

न्यूजीलैंड ने सतर्क शुरुआत की और एक समय उसका स्कोर बिना विकेट खोए 32 रन था लेकिन पैटिंसन ने टॉम लैथम (08), कप्तान केन विलियमसन (00) और अनुभवी रोस टेलर (02) को तीन रन के भीतर पवेलियन भेज दिया। पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले लैथम ने पैटिंसन की गेंद पर विकेटकीपर पेन को कैच थमाया जबकि इस तेज गेंदबाज ने विलियमसन को पगबाधा किया। टेलर भी इसके बाद पैटिंसन की गेंद को विकेटों पर खेल गए।

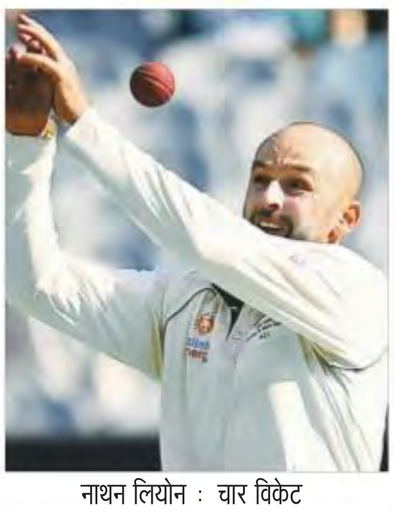

नाथन लियोन : चार विकेट

आस्ट्रेलिया के 488 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम दिन के अंतिम सत्र में 240 रन पर सिमट गई। *ब्लंडेल* आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे। उन्होंने 210 गेंद में 15 चौकों की मदद से 121 रन की पारी खेली।

जेम्स पैटिंसन : तीन विकेट

महिला विश्व रैपिड चैंपियन बनीं भारतीय ग्रैंडमास्टर हम्पी

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

भारत की कोनेरू हम्पी ने रूस के मॉस्को में चल रही महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में चीन की लेई चिंगजी को टाईब्रेकर की सीरीज (आर्मेगेडोन मुकाबले) में हराकर खिताब अपने नाम किया। हम्पी विश्व महिला रैपिड चैंपियन बनीं तो नार्वे के मैग्नस कार्लसन ने शनिवार को कुछ ही मिनट में पुरुष खिताब अपने नाम कर लिया।

हम्पी ने फिडे को साक्षात्कार में कहा कि जब मैंने तीसरे दिन अपना पहला गेम शुरू किया तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं शीर्ष पर रहूंगी। मैं शीर्ष तीन में रहने की उम्मीद कर रही थी। मैंने टाई-ब्रेक गेम खेलने की उम्मीद नहीं की थी।

उन्होंने कहा कि मैंने पहला गेम गंवा दिया लेकिन दूसरे गेम में वापसी की। यह गेम बहुत जोखिम भरा रहा लेकिन मैंने इसमें जीत हासिल की। अंतिम गेम में मैं बेहतर स्थिति में थी और फिर मैंने आसान जीत हासिल की। हम्पी ने 12 दौर में प्रत्येक में नौ अंक जुटाए जिससे वह टिंगजी के साथ बराबरी पर थीं। दोनों के बीच फिर आर्मेगेडोन गेम से विजेता का फैसला हुआ। हम्पी ने पहला गेम गंवाने के बाद दूसरे गेम में वापसी की और फिर निर्णायक गेम में खिताब जीता।

कोनेरू हम्पी

मैग्नस कार्लसन

अभी नहीं बता सकता कब वापसी करूंगा : भुवनेश्वर

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को नहीं पता कि वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में कब वापसी करेंगे। अब तक यह तय नहीं किया जा सका है कि उनकी स्पोर्ट्स हर्निया के उपचार के लिए सर्जरी की जरूरत है या नहीं। वे अपने रिहैबिलिटेशन में खामी के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते। हालांकि वे हैरान जरूर हैं कि उनके हर्निया का पता पहले क्यों नहीं चला।

भुवनेश्वर ने कहा कि विश्व टी-20 में अब भी नौ महीने का समय है। मैं इस बारे में नहीं सोच रहा।

सबसे पहले मुझे फिट होना है और मुझे नहीं पता कि मैं कब फिट हो पाऊंगा।

एनसीए की भूमिका पर 29 साल के इस तेज गेंदबाज ने कहा कि यह बीसीसीआइ पर निर्भर करता है कि वे इसे कैसे लेते हैं। उन्हें एनसीए से बात करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि एनसीए ने निश्चित तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया होगा लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ और वे इसका पता क्यों नहीं लगा पाए। फिर भी इस बारे में टिप्पणी करने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हू। भारत के लिए 21 टैस्ट, 114 वनडे और 43 टी-20 खेल चुके मेरठ के भुवनेश्वर से पूछा गया कि क्या खिलाड़ी एनसीए में जाने से डरते हैं तो उन्होंने कहा कि यह किसी भी खिलाड़ी की व्यक्तिगत इच्छा है।

पिता के सपने को पूरा कर रहा हूं : जेरेमी

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

युवा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जेरेमी लालरिनुंगा ने कहा कि वह सीनियर स्तर के प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करके अपने पिता के सपने को पूरा कर रहे हैं। सत्रह साल के इस खिलाड़ी के पिता जूनियर मुक्केबाजी चैंपियन थे लेकिन कभी देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि मेरे पिता मेरे करिअर के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। मैंने जब से भरोत्तोलन में हाथ आजमाने का फैसला किया उन्होंने तभी से मेरा पूरा साथ दिया। वह मुक्केबाज थे, उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर अपने अनुभव मुझसे साझा किए। वह जूनियर चैंपियन थे लेकिन दुर्भाग्य से देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला इसलिए मैं उनके सपने को साकार कर रहा हूं। आइजल का यह खिलाड़ी 2020 तोक्यो ओलंपिक के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस साल 67 किग्रा भार वर्ग में दो रजत पदक जीते हैं। इस खिलाड़ी ने कहा कि मैं 2020 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की तैयारी कर रहा हूं। ओलंपिक क्वालीफिकेशन के लिए आखिरी टूर्नामेंट इस साल अप्रैल में होगा। मैं उस प्रतियोगिता कि तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि मैंने थाईलैंड में ईजीएटी कप अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप और छठे कतर अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।

चोट के कारण आस्ट्रेलियाई ओपन से हटे एंडी मर्रे

लंदन, 29 दिसंबर (एएफपी)।

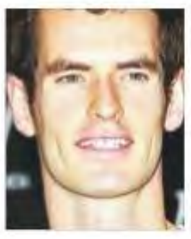

ब्रिटेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी एंडी मर्रे चोट के कारण अगले महीने होने वाले साल के पहले ग्रैंडस्लैम आस्ट्रेलिया ओपन से हट गए हैं। स्कॉटलैंड के 32 साल के मर्रे को पिछले महीने डेविस कप में ब्रिटेन की ओर से खेलते हुए कूल्हे के आसपास के क्षेत्र में चोट लगी थी। मर्रे ने शनिवार को कहा कि शीर्ष स्तर पर खेलने के लिए खुद को तैयार करने में मैंने काफी मेहनत की थी और जनवरी में आस्ट्रेलिया ओपन में नहीं खेल पाना बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि इस साल आस्ट्रेलिया ओपन के बाद मुझे दोबारा खेलने का यकीन नहीं था। यही कारण है कि मैं दोबारा आस्ट्रेलिया आने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को लेकर रोमांचित था।

पीसीबी अधिकारी सट्टेबाज को जानते थे : कनेरिया

कराची, 29 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व स्पिनर दानेश कनेरिया ने रविवार को दावा किया कि 2012 में इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल सट्टेबाज पीसीबी के आमंत्रण पर लगातार पाकिस्तान का दौरा करता था और राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी उसे जानते थे।

कनेरिया 2012 में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए स्पॉट फिक्सिग में दोषी पाए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सट्टेबाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को जानता था।

कनेरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'पाकिस्तान की पूरी टीम उस व्यक्ति (सट्टेबाज) को जानती थी और अधिकारी भी। वह व्यक्ति आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान आता रहता था।

पंघल पुरुष विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने | **अलविदा-2019** | ओलंपिक क्वालीफिकेशन के लिए चुनी गई टीम में मैरी कॉम विवादों में रहीं

दमदार पंच लगाना जारी रहा भारतीय मुक्केबाजों का

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय मुक्केबाजी के लिए रिंग में यह साल सफलताएं हासिल करने वाला रहा। इस दौरान अमित पंघल ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हालांकि डोपिंग मामले में कुछ मुक्केबाजों का नाम आने से मुक्केबाजी जगत को शर्मशार होना पड़ा। वहीं ओलंपिक क्वालीफिकेशन के लिए टीम चयन भी विवादों में रहा।

सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो 23 साल के पंघल पुरुष विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। छह बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम भी लय में रहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई भारतीय मुक्केबाजों ने पदक अपने नाम किए। पेशेवर सर्किट में विजेंदर सिह का अजेय क्रम इस साल भी जारी रहा। ओलंपिक क्वालीफिकेश के लिए चुनी गई टीम में मैरी कॉम विवादों में रहीं। वहीं नीरज फोगाट (महिला) और सुमित सांगवान (पुरुष) के डोप टैस्ट में विफल होने से भारतीय मुक्केबाजी को झटका लगा।

अमित पंघल

यूरोप के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित स्ट्रैंद्जा मेमोरियल में पंघल ने 49 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निकहत जरीन और मीना कुमारी भी इस टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहीं।

पंघल ने इसके बाद ओलंपिक के सपने को पूरा करने के लिए मार्च में 52 किग्रा भार वर्ग में खेलने का फैसला किया। वह हालांकि शुरु में थोड़े नर्वस थे लेकिन नतीजों पर इसका असर नहीं दिखा। उन्होंने अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। पूजा रानी ने भी स्ट्रैंद्जा मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई।

मैरी कॉम

इसके बाद सितंबर-अक्तूबर में विश्व चैंपियनशिप से ओलंपिक क्वालीफिकेशन का दर्जा छीन लिया गया। टूर्नामेंट के लिए भारतीय महिला टीम के चयन को लेकर विवाद हुआ क्योंकि निकहत ने इसके लिए ट्रायल की मांग की। हालांकि इस ट्रायल का ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि इंडिया ओपन और इंडोनेशिया में हुए टूर्नामेंट और राष्ट्रीय शिविर में प्रदर्शन के आधार पर मैरी कॉम का चयन हुआ। विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के वर्ग में पंघल ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास बनाया जबकि मनीष कौशिक (63 किग्रा) ने कांस्य पदक हासिल किया। यह विश्व चैंपियनशिप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। इस रजत पदक ने पंघल को शीर्ष भारतीय मुक्केबाजों में शामिल कर दिया।

जरीन निकहत

मंजू रानी (महिला 48 किग्रा) को खुद की पहचान बनाने की ललक ने मुक्केबाजी दस्ताने पहनने को प्रेरित किया और रिंग में उतरने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

पहली बार महिला विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाली 20 साल की मंजू को फाइनल में पराजय के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

मैरी कॉम को विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने ओलंपिक क्वालीफिकेशन के लिए केवल स्वर्ण और रजत पदक विजेता का ही सीधा चयन करने का निर्णय किया था लेकिन उसने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम को भेजने का फैसला किया जिसका निकहत ने विरोध किया।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 43, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।